1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6) षष्टम् विधान सभा के षष्टम् सत्र का दसवां दिवस (संख्या 5

बुधवार
दिनांक 3 अक्टूबर, 1979

विधानसभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 89

श्री रावतराम आर्य।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)।

प्रश्न संख्या 90.

श्री गंगाराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मूलचन्द डागा।

आपातकाल में सी. ए. एस. डाक्टरों की सेवा मुक्ति

91. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आपातकाल के दौरान चिकित्सा विभाग में कितने और कौन-कौनसे सी. ए. एस. डाक्टरों को कब-कब जबरन सेवामुक्त किया गया ? इनमें से कितने और कौन-कौनसे डाक्टरों को जनता शासन के आने के बाद वापस सेवा में ले लिया गया ? कितने और कौन-कौन से डाक्टरों को अभी वापस सेवा में लेना बाकी है ?

(2) क्या यह सही है कि डा. सतीशचन्द्र गुप्ता, जो सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के प्रसिद्ध डाक्टर थे तथा जिनकी सेवाओं को राज्य सरकार एवं जनता द्वारा सराहा गया था, को राजनैतिक एवं प्रशासनिक दुर्भावना के कारण सेवामुक्त किया गया था ? क्या यह भी सही है कि उनका गोपनीय प्रतिवेदन भी अच्छा था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त डॉक्टर को काफी प्रयत्नों के उपरान्त भी राजकीय सेवा में वापस नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो अब राज्य सरकार उक्त डॉक्टर को सेवा में कब तक वापस ले लेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर पहली दिसम्बर, 1980 में रिटायर हो जायेंगे और यदि उन्हें वापस सेवा में नहीं लिया गया तो वे अपने पिछले राजकीय कार्य के लाभ से वंचित रह जायेंगे ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(5) क्या यह सही है कि जिस किसी को किसी मामले में एक बार पेनेलाइज कर दिया जाता है उसे उसी मामले में दुबारा पेनेलाइज नहीं किया जा सकता? क्या राज्य सरकार को यह भी विदित है कि राज्य के अन्य महकमों में उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तकरीबन वापस राज्य सेवा में ले लिया गया है?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): (1) आपातकाल में 7 सी. ए. एस. डॉक्टर अनिवार्य रूप से राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है। जनता शासन में 2 डाक्टरों को पुनः सेवा में ले लिया गया है जिसकी सूचना सूची में दी गई है। बाकी बचे हुए डॉक्टरों को पुनः राज्य सेवा में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) डा. गुप्ता को राजनैतिक व प्रशासनिक विद्वेष के कारण सेवामुक्त नहीं किया गया था परन्तु उनके रिकार्ड के आधार पर किया गया था।

(3) उनकी रिव्यू पिटीशन रद्द कर दी गई है। सेवा में लेने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

(4) यदि डॉक्टर गुप्ता सेवा में रहते तो उनकी अधिवार्षिकी आयु दिनांक 30-9-80 को पूर्ण होती।

(5) साधारणतया एक ही दोष के लिए दो बार दण्ड नहीं दिया जाता है। परन्तु इनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दण्ड स्वरूप नहीं की गई है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) में सेवानिवृत्ति किसी दोष विशेष पर आधारित न होकर कर्मचारी के सम्पूर्ण रिकार्ड को देख कर की जाती है।

यह सही नहीं है कि राज्य सरकार ने सभी अनिवार्य सेवानिवृत्त अधिकारियों या कर्मचारियों को राज्य सेवा में पुनः ले लिया हो।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मूलचन्द डागा: प्रश्न यह है कि आपने कौनसा क्राइटेरिया मुकर्रर किया था कि कुछ व्यक्तियों को अपाइन्टमेन्ट दे दिया?

एक माननीय सदस्य: एडहाक बेसिस पर।

श्री मूलचन्द डागा: किन्हीं को एडहाक बेसिस पर ले लिया है, किन्हीं को छोड़ दिया है। जो आपके ऐसे थे उनको आपने ले लिया है। जिन्होंने सर्विसेज में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उनको नहीं लिया है। कान्स्टीट्यूशन में प्रोवीजन है कि किसी आदमी को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। क्या आप इन साहब को पुनः लिये जाने के लिए पुनर्विचार करेंगे या नहीं?

श्री त्रिलोकचन्द जैन: अनिवार्य सेवानिवृत्ति में क्लासीफिकेशन कण्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स लागू नहीं होते हैं। विशेष कारणों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं होगी जबकि सम्पूर्ण सेवाओं के रिकार्ड के आधार पर होती है। इसके लिए विभा-

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
मीयं स्क्रीनिंग कमेटी होती है । सारी सर्विस के रिकार्ड को देख कर निर्णय होता है, फिर इस पर रिव्यू होता है । जो सेवानिवृत्त हुए हैं इसमें रिव्यू कमेटी का भी निर्णय है । इसके बाद में जनता सरकार आई । अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः प्रार्थना-पत्र मुख्य सचिव को देने को कहा गया । चूंकि वर्तमान मुख्य सचिव रिव्यू कमेटी के सदस्य थे इसलिए डॉ. गुप्ता का केस राजस्व मण्डल के अध्यक्ष को भेजा गया। उन्होंने भी निर्णय को बहाल रखा ।

श्री मूलचन्द डागा : न तो उनको सूचना दी, न उनको बुलाकर सुना । यह कौनसा कानून है ?

व्यवस्था का प्रश्न

व्यक्तिगत मामलों से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए सदन में प्रश्न नहीं किया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : You cannot raise this point now. The question has been admitted by the Speaker. You are challenging the Speaker. आपको मालूम नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : नहीं नहीं ....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : I am simply making a submission to the Hon'ble Speaker.

श्री मूलचन्द डागा : This is not a submission.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियमों के अनुसार....

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मंजूर हो गया ....

(व्यवधान)

प्रश्न मंजूर हो गया । उत्तर सुनाया गया। अब आप खड़े हो गये । मैंने कहा कि आपने एडहाक बेसिस पर कुछ आदमियों को रख लिया और कुछ को निकाल दिया । किस कारण से निकाला ? उसको आपने बुलाया नहीं । सुना नहीं । अब इन्होंने यह लगाया । स्पीकर महोदय ने एडमिट कर लिया । प्रश्न पूछ लिया । उत्तर दे दिया । उसके बाद ये खड़े हो गये । सदन के नेता की तरह से खड़े हो गये । अगर सदन के नेता खड़े हो जायें...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सप्ली-मेण्टरी कर रहे हैं ? वह इण्डिविजुअल की पैरवी में आता है ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है । पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने 9-4-70 को एक प्रश्न किया था, जिसके बारे में यह कहा गया है कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई पूरक प्रश्न है ?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : 37 में कहा गया है—

"It shall not relate to an individual case, unless it raises a question of principle or policy."

यह रूल में लिखा हुआ है। पुनः नौकरी में उनको किस आधार पर लिया गया है? क्या उन्होंने उन नियमों की पालना नहीं की है? यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इस आधार पर It is a question of policy and principle. यह सरकारी पॉलिसी का सवाल है। आपातकाल में जिनको निकाला गया है, उनको किन आधारों पर वापिस लिया गया है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा था..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब पर्याप्त है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : जो आब्जेक्शन किया था वह रूल आउट हो गया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा। पहले एक प्रश्न पर चेयरमैन ने रूलिंग दी है। हमारा पाइन्ट वाजिब है। किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यह व्यक्ति विशेष के बारे में है। डागा साहब ने एक प्रश्न किया था। यह जो अध्यक्षीय व्यवस्थाएँ 1967 से 1977 तक संकलित है इसके सफा 33 पर है:-

"पाली नगरपालिका के भूतपूर्व सदस्य श्री जसराज द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद मोहल्ले के चौराहे पर मकान बनाना प्रारम्भ कर दिये जाने से सम्बन्धित श्री मूलचन्द डागा के प्रश्न संख्या 631 के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह शेखावत ने आपत्ति की कि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए था।"

इस प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने कहा:-

"यह पाइन्ट आपका वाजिब है कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।"

यह नियम है पुस्तक में :—

"It shall not relate to an individual case unless it raises a question of principle or policy."

जिस प्रकार से प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा, It does not relate to any policy or principle. और जो रिपोर्ट की है उन्होंने अपनी हरकत बावजूद इसके कि वे जानते हैं कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो चुकी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था देने की कृपा करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो रूलिंग पढ़ी है वह इससे रेलेवेंट नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो फर्माया है उस सम्बन्ध में आप व्यवस्था देवें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि विक्टिमाइजेशन किस बात का हुआ उसके बारे में: . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें, जिस आदमी का विक्टिमाईजेशन किया गया था क्या आपने उसको सुना था—Whether any notice has been served upon him? Has he been called or heard ?

श्री अध्यक्ष : सम्बंधित प्रश्न के लिए मुझे यह कहनी है कि खुद व्यक्ति अपना रिप्रेजेण्टेशन मन्त्री महोदय को दे दें और वह उसका मसला हल कर दें। नीति की बात मन्त्री महोदय बता चुके हैं। और अब मैं दूसरा प्रश्न पुकार रहा हूँ, इसका उत्तर पर्याप्त आ चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : कहाँ आ गया ? आप बता दीजिये, क्या उत्तर पर्याप्त है? आप ही बता दीजिये। He has no right to stand, मैं बैठ जाऊंगा।

(व्यवधान)

आपको क्या अधिकार है। एक मेम्बर बोलता है, दूसरे मेम्बर को बिना आपकी इजाजत के नहीं बोलना चाहिए . . .

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : जो भी जवाब मांगा गया था उसका उत्तर आ चुका है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मैं पॉलिसी के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : सवाल यह है कि उसको अपार्चुनिटी दी गई या नहीं ? यह स्पेसिफिक सवाल पूछा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : सवाल यह है कि . . . .

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आप पहले

(व्यवधान)

सुन लें, रेलेवेन्ट हो तो अनुमति दें। पॉलिसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जो लोग कम्पलसरी रिटायर्ड हुए, और जिनके केसेज रिव्यू किये गए, उनमें सम्बन्धित व्यक्तियों, जो रिटायर्ड हुए थे, को सुना गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, अगर आपके पास उत्तर हो तो दे दीजिये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में पॉलिसी यह है कि 25 वर्ष की क्वालिफाईड

(6)

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

सर्विस पूरी हो जाय या 50 वर्ष से अधिक आयु हो जाय, उन कर्मचारियों के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में रिव्यू किया जाता है और रिव्यू करने के साथ-साथ स्क्रीनिंग कमेटी रिकार्ड देखकर तय करती है। उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी ने रिव्यू कमेटी के सामने प्रतिनिवेदन दिया। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने चीफ सेक्रेटरी के सामने अभ्यावेदन दिया, और चूंकि वे रिव्यू कमेटी के सदस्य थे, इसलिए उनके केस को बाद में राजस्व मण्डल को भेज दिया। अध्यक्ष ने सेवा-निवृत्ति के निर्णय को उचित ठहराया।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : उनको सुना गया या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के सम्बन्ध में पर्सनल हियरिंग देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये नियम जिस समय आप लोगों की सरकार थी, उस समय से चले आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 92

श्री गुरुशरण छाबड़ा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

शास्त्री सदन सांचौर में सीटें बढ़ाने की स्वीकृति

93. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति 'शास्त्री सदन' छात्रावास सांचौर सलाहकार समिति द्वारा एवं समाज कल्याण विभाग सिरोही द्वारा छात्रावास में 30 सीटें बढ़ाने की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी गई है? अगर हां, तो कब एवं उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास में भवन की पूर्ण मरम्मत करवा कर नये छात्रों को भर्ती करने हेतु आवास सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है? अगर हां, तो उक्त छात्रों की संख्या तीस तक कब तक बढ़वा दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास सलाहकार समिति सांचौर द्वारा एवं जिला समाज कल्याण सलाहकार समिति द्वारा उक्त छात्रावास को पूर्ण-रूपेण सरकार के अधीन लेने हेतु कई बार सिफारिशें की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? उक्त सिफारिशों के अनुसार अब इस छात्रवास को सरकार के अधीन कब तक ले लिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां, अध्यक्ष, शास्त्री सदन छात्रावास समिति द्वारा उक्त छात्रावास में 50 सीटें बढ़ाने हेतु एक आवेदन-पत्र दिनांक 23-7-79 को प्राप्त हुआ था किन्तु जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सिरोही ने अपने

(श्रीमती विद्या पाठक)
तार दिनांक 10-8-79 द्वारा 30 ही छात्रों की सीटें बढ़ाने की सिफारिश की है। छात्रों की संख्या हेतु प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की सकी।

(2) जी हां। माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 15-9-79 से यह प्रतीत होता है कि छात्रावास भवन की मरम्मत करवाई जा चुकी है और अब अधिक छात्रों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध है परन्तु छात्रों की संख्या में वृद्धि हेतु आवश्यक प्रावधान न होने के कारण इस पर विचार करना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं, केवल समाज कल्याण बोर्ड जालौर की बैठक दिनांक 26-11-75 में छात्रावास को सरकार के अधीन लेने की सिफारिश को जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 15-1-76 द्वारा विभाग को भेजी थी। परन्तु प्रावधान के अभाव में यह सिफारिश स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, परिवीक्षा अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी की रिकमण्डेशन के आधार पर तार भेजा गया कि एडमीशन कर दिया जाय। अगर अभाव की स्थिति थी, और इन गरीब छात्रों का एडमीशन हो चुका है, महीने भर से वे वहां पर पढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि प्रावधान नहीं है, कहां से आयेगा प्रावधान? एक तो छात्रावास है अनुसूचित जाति का, फिर इसका प्रावधान कौन करेगा? कहां से आयेगा?

श्रीमती विद्या पाठक: अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि महीने भर पहले छात्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस समय आर्थिक संकोच है....

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, तीस छात्र 9वीं और दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं, पैसा दे देंगे तो क्या हो जायेगा? अन्त्योदय और दूसरी जगह भी तो देते हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने लिख दिया उनका एडमीशन भी हो गया, वे वहां पढ़ रहे हैं, इन एन्टीसिपेशन ऑफ सेंक्शन। कुछ तो आपको मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण अधिकारी ने लिख कर दिया एडमीशन के लिए, उसकी जिम्मेदारी थी, अब कहते हैं कि प्रावधान नहीं है। क्या उन छात्रों को इससे हार्ड शिप नहीं होगी। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको स्पेशल केस मानकर रिलेक्सेशन दिया जाय और समाज कल्याण अधिकारी से पूछा जाय कि एडमीशन क्यों दिया?

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण अधिकारी ने डाइरेक्टर को तार भेजा कि पिछले साल एडमीशन नहीं दे सके थे भवन की वजह से। उन्होंने दस हजार का चन्दा करके एवं 35,000 रु० सरकार का लगा कर भवन बना दिया। अब नहीं होता है तो आप इसे सरकार में ले लीजिये। 70 लड़के कहां पढ़ सकते हैं? सिर्फ ग्राण्ट-इन-एड का सवाल है, समाज कल्याण अधिकारी ने लिखा था, उसकी रिकमण्डेशन है। उसने लिखा कि एडमीशन दे दीजिए, और सेंक्शन आ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जायगी। आप लड़कों के साथ मखौल कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों-करोड़ों रुपये फालतू खर्च करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। संक्षेप में पूछें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कहते हैं कि कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया जवाब आने दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य मंत्रीजी, आप हंस रहे हैं, परंतु हंसी आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि आप पार्टीबाजी के आधार पर गरीब छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मानवीय दृष्टिकोण है. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय ओंकारलाल चौहान।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : 40 हजार रुपये सरकार ने पिछले वर्ष इस भवन को बनाने के लिए दिए। मेरा तो निवेदन है कि इस छात्रावास को राज्य सरकार अधिगृहीत कर ले तो अच्छा होगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सोशियल वेलफेयर अधिकारी ने परमिशन दे दी। यह विषय अनुसूचित जाति के लड़कों से संबंध रखता है, अन्त्योदय परिवारों से संबंध रखता है, तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि. . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे पढ़ न सकेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : अन्त्योदय परिवारों का मतलब अनुसूचित जाति व जनजाति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस आधार पर क्या मुख्य मंत्री व मंत्री महोदय दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे कि छात्रावास के लिए जो ग्रांट-इन एड में कमी रह गई है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे ? नहीं तो उनकी क्या दुर्दशा होगी, आप समझ सकते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : जहां तक जिला सोशल वेलफेयर अधिकारी की परमिशन का प्रश्न है, वह सेक्शनिंग अथोरिटी नहीं है। न परमिशन दी है। एकमोडेशन के लिए डायरेक्टर से पूछा था तो यह सीटों के लिए कमिटमेन्ट कैसे माना जा सकता है। जहां तक सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, वह भवन के विषय में है, वह अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस प्रश्न का मानवीय दृष्टिकोण से जवाब नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : आप बार-बार कहते हैं कि हरिजनों को छात्रवृत्ति देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सुरेशकुमार । प्रश्न संख्या 94 ।

श्री नवरंग सिंह : आप अपने रूल्स को उठा कर देखें । आपको ज्ञान नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर आपके ऑफिसर ने लिख दिया, अगर आफिसर ने गलती कर दी तो आप उसको दण्ड दें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : छात्रावासों के बारे में मेरा भी एक प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पूछे गए हैं, मंत्री महोदया ने जवाब दे दिए हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप उनको डाइरेक्शन दें, लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब ऑफिसर ने परमिशन दे दी, गलती आप मानते हैं कि उनको अधिकार नहीं था लेकिन लड़कों को भर्ती तो कर लिया, यह तथ्य है ।

श्री अध्यक्ष : जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जवाब मंत्री महोदया दे चुकी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : इससे पहले कि आप नया प्रश्न पुकारें, मैंने निवेदन किया कि छात्रावासों के संबंध में अहम प्रश्न मेरा है । वह यह कि हर वर्ग के छात्र शहरों व कस्बों में मौजूद होते हैं, माइनोरिटीज के लड़कों को एडमीशन नहीं मिलता । महाराजा कालेज में आज तक एडमीशन नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : आप किसी और रूप में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री अब्दुल अजीज : आपको एप्रीशिएट करना चाहिए । अगर इस प्रकार माननीय सदस्यों को आप अपनी बात करने का मौका नहीं देंगे तो उचित नहीं है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि छात्रावासों में हर वर्ग के लड़के हैं । अल्पसंख्यकों के बच्चों को एडमीशन नहीं मिलता है, एक भी माइनोरिटी कम्युनिटी के लड़के को एडमीशन नहीं दिया, कई मुसलमानों •

श्री अध्यक्ष : खास तौर से यह छात्रावास में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रश्न पूछा गया है ।

श्री अब्दुल अजीज : यह छात्रावास से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : यह रेलेवेण्ट क्वेश्चन नहीं है ।

(व्यवधान)

कृपया आपस में बात न करें । श्री लालचंद ।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : मुख्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं । उन छात्रों का क्या होगा ? परमिशन दे दी गई है समाज कल्याण अधिकार द्वारा । तो जब तक ग्रांट नहीं मिलेगी उनकी शिक्षा का क्या हाल होगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह लड़के पढ नहीं सकेंगे और आपको गालियां देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(10)

श्री रघुनाथ विश्नोई : 20 लड़कों की तो कम से कम सीटें बढ़ा दें। तो 10 को हम चन्दा कर पैसे दे देंगे। 10 लड़कों का खर्चा चन्दे से चला लेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं। उनको सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : प्राप्त जानकारी के अनुसार, लड़कों के एडमीशन के लिए कोई स्वीकृति नहीं थी। माननीय सदस्य यदि कोई स्वीकृति बता देंगे तो निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्वीकृति नहीं है। माननीय सदस्य क्या बतायेंगे, स्वीकृति तो राज्य सरकार देगी। सरकार अगर स्वीकृति नहीं देना चाहती है तो नहीं दे। फैक्टस आपके सामने आ गए। अगर आप लड़कों के खिलाफ हैं तो Let them do whatever you like.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से भरतपुर जिले को पानी

94. **श्री सुरेशकुमार (भरतपुर)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस भयंकर सूखे के समय में क्या गुड़गांव नहर और भरतपुर फीडर के द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भरतपुर जिले को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने कभी यह प्रयास किया है कि यमुना का पानी राजस्थान में लाया जा सके ? यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार अब कोई ऐसी योजना तैयार करेगी जिसके द्वारा यमुना का पानी राजस्थान को उपलब्ध हो सके।

(3) इस समय ओखला बैराज की क्या स्थिति है ? क्या ओखला बैराज के माध्यम से भरतपुर जिले को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) भरतपुर फीडर द्वारा भरतपुर जिले को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गुड़गांव नहर में इस वर्ष यमुना में पानी की कमी के कारण पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(2) जी हां। गंगा व यमुना नदी के जल को राजस्थान में उपयोग करने हेतु भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने निम्न प्रस्ताव भेजे हैं। पश्चिमी राजस्थान की मांग के सन्दर्भ में राजस्थान ने कुल 17.98 मिलियन एकड़ फीट पानी की मांग की है जिसे 130 मीटर तक लिफ्ट करके 111.43 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। विभिन्न लिफ्टस पर स्थिति इस प्रकार होगी:—

(1) प्रवाही सिंचाई 3.05 लाख एकड़ यदि 9.54 मिलियन एकड़ फीट

(2) 40 मीटर लिफ्ट पर 32.03 लाख एकड़ यदि 4.91 मिलियन एकड़ फीट

(3) 70 मीटर लिफ्ट पर 65.23 लाख एकड़ यदि 10 मिलियन एकड़ फीट

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(4) 130 मीटर लिफ्ट पर 11.43 लाख एकड़ यदि 17 मिलियन एकड़ फीट

अलवर व भरतपुर क्षेत्र के सन्दर्भ में राजस्थान में कुल 3.03 मिलियन एकड़ फीट की मांग की है जिसे 110 मीटर तक लिफ्ट करके 19.75 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। विभिन्न लिफ्ट्स पर स्थिति इस प्रकार होगी:—

(1) प्रवाही सिंचाई 3.5 लाख एकड़ 0.54 मिलियन एकड़ फीट मिलने पर।

(2) 15 मीटर लिफ्ट 7.5 लाख एकड़ 1.15 मिलियन एकड़ फीट मिलने पर।

(3) 110 मीटर लिफ्ट 19.75 लाख एकड़ 3.65 मिलियन एकड़ फीट मिलने पर।

केन्द्रीय सरकार ने गंगा-यमुना जल के अन्तर्राज्यीय विभाजन पर अभी निर्णय नहीं किया है।

(3) इस समय ओखला बैराज में अत्यधिक सिल्ट जमा हो गई है। इसके रिमोडलिंग का कार्य उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जा रहा है। ओखला बैराज से वर्तमान में भरतपुर फीडर द्वारा भरतपुर जिले को पानी दिया जा रहा है। गुड़गांव कैनाल में पानी की कमी के कारण उससे पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

श्री सुरेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी का उत्तर बहुत संतोषजनक मिला लेकिन दो बातों की और जानकारी चाहूंगा। एक तो मन्त्री महोदय का यह कहना कि यमुना का पानी गुड़गांव कैनाल में बहुत कम होने के कारण नहीं दिया जा सकता। एक तरफ बाढ़ आती है तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को बचाने के लिए भरतपुर को डुबोया जाता है और पानी कम होता है तो देवाते क्यों नहीं देते कि कुछ पानी हमको जरूर दिया जाये।

दूसरा जवाब में यह चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से यह मुआयदा था कि आगरा कैनाल से 300 क्यूसेक्स पानी भरतपुर के चकसाना इलाके को दिया जायेगा तो, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या 300 क्यूसेक्स पानी भरतपुर के इलाके को दिया जाता है या नहीं? और नहीं दिया जाता है तो क्यों? सरकार उसको दिलवाने के लिये क्या प्रयास कर रही है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यमुना पर ओखला बैराज से आगरा कैनाल निकलती है जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है। राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में सिंचाई गुड़गांव कैनाल से होती है जो कि इस नहर से 15 मील से निकलती है। जो एग्रीमेंट हमारा उनसे हुआ है उसमें यह निर्णय हुआ है कि आगरा कैनाल में पानी अधिक होने के बाद ही हमको इसमें से पानी मिल सकेगा। यह बात सच है कि उसके अनुसार गुड़गांव कैनाल से 500 क्यूसेक्स पानी 90 दिनों यानी जुलाई में नवम्बर तक चलता है, इस कन्डीशन पर पानी उस कैनाल में ज्यादा मिला। उसी प्रकार से भरतपुर फीडर का जहां तक सवाल है इसमें 300 क्यूसेक्स पानी मिलता है। करीब 25 दिन अगस्त

(12)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

से नवम्बर तक यानी सर्दियों में मिलता है। इसमें भी प्रावधान है कि आगरा कैनाल में पानी अधिक हो। मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा कि आगरा कैनाल में कितना पानी रहा तो माननीय सदस्य को स्पष्ट हो जायेगा कि एग्रीमेन्ट के अनुसार पानी मिलना सम्भव नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मेरे पास है उनके अनुसार आगरा कैनाल में 15 जुलाई तक 15 क्यूसेक्स पानी बढ़ा..

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : पानी देंगे या आंकड़े बतायेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप समझते तो हैं नहीं। मुझे सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री सुरेश कुमार : इनको भरतपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह व्यवधान डाल रहे हैं। हम जानकारी पूछ रहे हैं तो समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे पास आंकड़े हैं, उन्हें तो सुन लें....

श्री सुरेश कुमार : मुझे आंकड़े चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके बावजूद राजस्थान सरकार का पूरा प्रयास है कि 24-8-79 को लगातार हम अपने आग्रह पर ले रहे हैं, एग्रीमेन्ट के आधार पर नहीं।

श्री सुरेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात सिंचाई मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि भरतपुर फीडर और गुड़गांव कैनाल का जो हिस्सा भरतपुर क्षेत्र से पास होता है क्या उस स्थान पर रेगुलेटर बना कर भरतपुर को पानी देने की व्यवस्था नहीं की जा सकती ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री जहूर मोहम्मद (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कैनाल तो राजस्थान में कम्पलीट ही नहीं हुई है और पानी की बात कर रहे हैं। वह तो कामां के नाले में पानी डाला जाता है और इस साल भी डाला गया। जब तक यह कम्पलीट नहीं होती तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर के किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल अभी 12 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री महोदय से मिला था। उन्होंने बताया कि जो राजस्थान सरकार का एग्रीमेन्ट है उसके अनुसार हमें पानी मिलना चाहिए। इस पर वहां के सिंचाई मंत्री महोदय ने बताया कि हमारे पास राजस्थान सरकार की इस प्रकार की मांग नहीं आई है। उन्होंने आगरा का इन्जीनियर लखनऊ बुलाया। इन्जीनियर ने कहा कि हमारे यहां पानी कम है इसलिए नहीं दे सकते। तब उन्होंने बताया कि हमारे पास पानी की कमी है। हम फिर वहां के मुख्य मंत्रीजी से मिले और उन्होंने पानी देने का वचन दिया। आज से 8 दिन पूर्व पानी छोड़ा गया लेकिन कल टेलीफोन पर बातचीत की तो बताया कि राजस्थान सरकार पानी को आगे ले जाने

(श्री काशीनाथ गुप्त)
का इन्तजाम करेगी लेकिन आपकी सरकार कुछ कर नहीं रही है क्योंकि यह नहर पूरी होगी.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री काशीनाथ गुप्त : पानी आगे नहीं बह पा रहा है, क्या यह सही है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष-महोदय, जो सवाल अभी माननीय सदस्य ने किया है यह बात सच है कि पिछले दो वर्षों में गुड़गांव कैनाल पर हमने बहुत जोरों से काम शुरू किया है। उससे पहले पांच साल तक कोई काम नहीं हुआ। यह बात सच है कि जितनी कैनाल बनी थी उतना पानी लेते थे। जनता सरकार आने के बाद 80 लाख रुपया खर्च किया है और जल्दी से उसे हम बनाना चाहते हैं ताकि फ्लड के समय यमुना से पानी मिले उससे उसकी सिंचाई कर सकें।

श्री काशीनाथ गुप्त : उत्तर प्रदेश सरकार से पानी लेने को राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की अपने लेवल पर, यह पूछना चाहते हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्त : माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिये से मैं सिंचाई मंत्रीजी से एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी सवाल पूछना चाहूंगा। वह यह है कि गंगा यमुना का पानी लिफ्ट करके अलवर, भरतपुर और अन्य इलाकों को देने की सरकार की योजना बनी है लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल की जो लिफ्ट योजना है उसको रद्दी की टोकरी में इस सरकार ने फेंक दिया है।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सवाल इससे संबंधित नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : सवाल इससे संबंधित है। यह राजस्थान में वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार गंगा यमुना के पानी को लिफ्ट करके उसके उपयोग करने की बात सोच रही है और दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल की प्रस्तावित लिफ्ट योजना को इसलिए छोड़ रहे हैं कि वह महंगी पड़ती है। तो राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप क्यों उतारू हो गये ? राजस्थान कैनाल में पानी है। भारत सरकार ने उस योजना की स्वीकृति दे दी, काम चालू हो गया। किन्तु इस जनता सरकार ने आकर उस योजना को बन्द कर दिया। तो एक तरफ तो गंगा यमुना के पानी को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल के प्राप्त पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो यह धोखाधड़ी राजस्थान की जनता के साथ क्यों ?

श्री काशीनाथ गुप्त : मेरा उत्तर नहीं आया। मैं बार-बार पूछ रहा हूं कि भरतपुर फीडर में पानी लाने के लिए इस साल राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकृष्णदास गुप्त : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इसका उत्तर देने का कष्ट करें। पश्चिमी राजस्थान की सारी जनता व्याकुल है। इसकी लिफ्ट योजना को छोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ भरतपुर की लिफ्ट योजना बनाई जा रही है, यह दो तरह मापदण्ड क्यों है ? मुख्य मंत्रीजी जवाब दें।

(19)

श्री रामकृष्णदास गुप्त : पश्चिमी राजस्थान भी आपका ही हिस्सा है..

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : क्या सिंचाई मंत्रीजी यह बतायेंगे कि राजस्थान कैनाल का पानी जैसलमेर में नहीं जाना चाहिये ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्त : जैसलमेर में पानी जायेगा..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामकृष्ण दास गुप्त : राजस्थान कैनाल में अब इसकी जरूरत नहीं है। लिफ्ट योजना निकाल कर पश्चिमी रेगिस्तान के भू-भाग को पानी दिया जा सकता है..

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें। अगर जवाब नहीं देते हैं तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाये कि पश्चिमी राजस्थान अलग हो..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय गुप्ता साहब।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : अगर आप चाहते हैं..

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : राजस्थान की जनता के साथ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री रामकृष्णदास गुप्त : राजस्थान की जनता के साथ धोखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सरकार की जो भी कमियां रही हों, जिस कांग्रेस सरकार ने लिफ्ट योजना निकाली, उनकी मंजूरियां दीं उनको जनता सरकार ने कैसे बन्द कर दिया ? हम यह जानना चाहते हैं वरना राजस्थान के दो टुकड़े करने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न पूछा गया है वह भरतपुर में आगरा नहर के बारे में पूछा गया है। जो प्रश्न है, उसके हिसाब से पूछें वरना अगले प्रश्न करके जानकारी नहीं ले पायेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : सवाल है..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : राजस्थान ने कभी प्रयास किया है कि जमुना का पानी राजस्थान में लिया जा सकता है। लिफ्ट के जरिये लिया जा सकता है। अगर राजस्थान कैनाल का पानी लिफ्ट के जरिये महंगा पड़ता है तो जमुना का पानी कैसे सस्ता पड़ेगा। पूर्वी राजस्थान को लिफ्ट से पानी देंगे तो पश्चिमी राजस्थान की लिफ्ट योजनाओं को छोड़ देंगे ? पश्चिमी राजस्थान को अलग राजस्थान की मांग करनी पड़ेगी। इसका सारा ब्लेम जनता सरकार को जायेगा। क्या माननीय सिंचाई मंत्रीजी जवाब देंगे. आप राजस्थान की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी।

माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे प्रश्न करने की जगह भाषण का रूप

(श्री अध्यक्ष)

ले लेते हैं। प्रश्न केवल प्रश्न के रूप में ही हों। इस प्रश्न का उत्तर पर्याप्त आ चुका है।

श्री काशीनाथ गुप्त : भरतपुर के फीडर बारे में राजस्थान का एग्रीमेंट था। राजस्थान सरकार ने क्या लिखा पढ़ी की है। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान कब-कब आकर्षित किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने यह कहा है कि कुछ लोकल लेवल पर, कुछ इन्जीनियर्स के लेवल पर और कुछ चीफ इन्जीनियर्स के लेवल पर हम सब ने वार्ता की है उसका परिणाम है कि 200 क्यूसेक्स पानी जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामकृष्णदास गुप्त : माननीय अध्यक्षजी, मैं इस आसन की प्रतिष्ठा, गरिमा गौरव के लिये यह मांग करता हूं कि आप मेरे इस महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर दिलावें। यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है, कि यह भेदभाव की नीति क्यों हो रही है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामकृष्णदास गुप्त : मेरे सवाल का जवाब दिलावें मेरा सवाल महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं आपका सवाल महत्वपूर्ण है...

श्री रामकृष्णदास गुप्त : माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात का जवाब दें, पूर्वी राजस्थान को पानी दिया जा सकता है तो पश्चिमी राजस्थान को क्यों नहीं दिया जा सकता ?..

(व्यवधान)

आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये, श्रीमान....

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनने की कृपा करें।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : माननीय गुप्ताजी ने जो प्रश्न उठाया है वह विपरीत है....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ गुप्त : किस-किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री व सिंचाई मंत्री से राजस्थान सरकार व चीफ इंजीनियर साहब ने कब-कब बात की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, कृपया सुन लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने नीति का सवाल उठाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न अलग से है। सिंचाई की व्यवस्था में प्रवाह और लिफ्ट सिंचाई दोनों हैं....

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई के बारे में उत्तर दें

(16)

(श्री किशनसिंह भाटी)
रहे है। मेरा भी सप्लीमेंट्री उसमें जोड़ दें। जहां तक राजस्थान कैनाल का सवाल है, भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के कृषि मंत्रीजी के प्रयास पर इसकी योजना बनी। वही एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमेन बने। पैसे की कमी की वजह से कैनाल पूरी नहीं हो रही है, मेन कैनाल पूरी नहीं हो रही है। इसको डिस्टर्ब न किया जाये। सीमेंट की कमी है, बिजली की कमी है, इसलिये मेन केनाल को डिस्टर्ब न करके....

श्री रामकृष्णदास गुप्त : राजस्थान कैनाल के अधिकारी 8 करोड़ का उपयोग नहीं कर सके....

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी !

श्री रामकृष्णदास गुप्त : राजस्थान कनाल का प्रशासन अच्छे हाथों में नहीं है। सवाल यह है....

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : अलग-अलग जगह के लिये अलग-अलग योजनायें महत्वपूर्ण है।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : आप....

श्री लालचन्द : × × × बैठ जाईये...

श्री रतनलाल वर्मा : एक दूसरे की निंदा क्यों करते हैं

श्री रामकृष्णदास गुप्त : भाषण नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार : लिफ्ट कैनाल से पानी ले जाने का था।

वर्तमान में जो राजस्थान कैनाल की नहरें चल रही हैं उनमें तीन-तीन महीने से पानी नहीं जाने और डिस्ट्रीब्यूटरीज में पानी नहीं है। और ब्रांचेज में पानी की कमी हैं। वह बंद पड़ी हैं.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय गुप्ताजी विराजें। माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, आप सुन लीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आधा सवाल पूछ लूं।

(व्यवधान)

आधा सवाल है माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुप्ताजी विराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्त : यह राजस्थान की एक करोड़ जनता के भाग्य का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी विराजें।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्य ने सवाल किया है, मैं निवेदन कर रहा था जिस इकोनोमी की बात की है उसको केलकुलेट करने के बाद जो प्रभावी सिंचाई है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का विचार कर रहे हैं। जहां तक लिफ्ट सिंचाई का सवाल है वह चेप्टर ओपन है। मुख्य मंत्री जी के स्तर पर चर्चा हो रही है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी सवाल किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं लिफ्ट योजना के और जो राजस्थान का मरु प्रदेश है उसकी सिंचाई करने के लिये राज्य सरकार बराबर संवेदनशील है। गंगा और जमुना का पानी भी उसमें जाने वाला है। चेप्टर बन्द नहीं हुआ है। Chapter is open.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामेश्वरदयाल यादव।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से....

(व्यवधान)

इस पर कब तक विचार कर लेगी ?

मुख्य मंत्री जी लिफ्ट कैनाल के बारे में कब तक विचार कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

होम्योपैथिक निदेशक का पद

95. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि होम्योपैथिक निदेशक का पद राज्य सरकार ने अब तक सृजित नहीं किया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार उप-निदेशक का पद सृजित कर होम्योपैथिक को आयुर्वेद के बजाय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं के अनुसार प्रान्त में होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने में असफल रही है ? अगर हां, तो क्यों ? गत पांच वर्ष में कहां-कहां डिस्पेन्सरी खोली गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपचार में ली गई होम्योपैथिक दवाइयों का चिकित्सा पुनर्भरण देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भैरवलाल कालाबादल) : (1) जी हां। होम्योपैथिक एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये एक ही निदेशक है। राज्य में होम्योपैथिक औषधालयों की संख्या केवल 46 है। अतः पृथक् से निदेशक के पद की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी नहीं। केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार भी होम्योपैथिक को भारतीय चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत ही रखना चाहती है।

(3) जी नहीं। गत पांच वर्षों में खोले गये होम्योपैथिक औषधालयों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि 46 जो होम्योपैथिक डिस्पेन्सरियां खोली हैं उनमें कितनों में डाक्टर की नियुक्ति की गई है और कितने खाली हैं ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह प्रश्न अलग से पूछते तो मैं बता देता।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या तीन है, उसमें मैंने स्पष्ट पूछा है। बजट घोषणाओं के अनुरूप आपने डिस्पेन्सरियां नहीं खोली हैं। इसे स्पष्ट करें और जो खोली हैं उनमें डाक्टर नहीं हैं, उसका भी स्पष्ट जवाब दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इसका अलग से बजट नहीं होता है। आयुर्वेद की पद्धति के साथ ही इसको भी खोला जाता है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुख्य मंत्री जी, आप उन्हें समझाएं। मैं कहना चाहता हूं बजट घोषणाओं के अनुरूप डिस्पेंसरियां नहीं खोली गई हैं। और जो खोली गई हैं उनमें डाक्टर नहीं हैं, इसका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : घोषणाओं के अनुरूप ही डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं। नहीं खोली हैं तो आप बता दें कहाँ खोलना बाकी रह गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री काशीनाथ गुप्त।

कामां में पम्प हाउसों का निर्माण

96. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कामां में तेरह पम्प हाउस बनाने के चौबीस हजार रुपया प्रति पम्प हाउस के टेन्डर प्राप्त हुए थे और बाद में डिजाइन में कुछ परिवर्तन करके उन्हीं पम्प हाउसों को उन्हीं चार ठेकेदारों, जिन्होंने पहले टेन्डर दिये थे, से नेगोसियेशन करके बनाने के ठेके पचपन हजार रुपया प्रति पम्प हाउस के हिसाब से दे दिये गये हैं ?

(2) क्या पम्प हाउसों के डिजाइन में परिवर्तन की स्वीकृति तथा इस परिवर्तन के फलस्वरूप अधिक व्यय के अनुमान की पूर्व स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से ले ली गई थी ?

(श्री काशीनाथ गुप्त)

(3) इस परिवर्तन में पूर्व के अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक लागत का अनुमान लगाया गया है ?

(4) क्या इस परिवर्तन की जांच सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उनके अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक व्यय इस परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है और यह भुगतान उसी अनुपात में किया गया है ?

(5) जब पम्प हाउस का डिजाइन बदल दिया गया था तो इसके निर्माण के टेन्डर पुनः क्यों नहीं आमंत्रित किये गये ?

(6) क्या सरकार उन अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करेगी जिन्होंने डिजाइन परिवर्तन के नाम पर बिना किसी अनुमान के कायम किये और बिना टेण्डर लिये पम्प हाउसों के निर्माण का अधिक दर पर ठेका दे दिया ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) पूर्व के अनुमान से 47.39 प्रतिशत अधिक लागत का अनुमान लगाया गया है।

(4) जी हां, मुख्य अभियन्ता सिंचाई द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच से ज्ञात होगा कि वास्तव में कितना अधिक भुगतान किया गया है।

(5) इस विषय में जांच की जा रही है।

(6) जी हां। जांच पूर्ण होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अवश्यमेव की जायेगी।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले टेण्डर 24 हजार की कीमत के आये थे फिर 55 हजार पर क्यों दिया गया है ? दुबारा टेण्डर क्यों नहीं लिया गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि टेण्डर में 24 हजार की कीमत आई थी और इसी बात की जांच की जा रही है। जांच होने पर निश्चित रूप से दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जांच कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है। चार्ज शीट बनकर डी. ओ. पी. में जा रही है और बहुत जल्दी निर्णय हो जायगा।

श्री ओंकार लाल चौहान : जांच कब शुरू हुई यह बता दें ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या दोषी अधिकारियों को सस्पैण्ड किया गया है ? एक छोटे कर्मचारी को तो जांच के पहले ही सस्पैण्ड कर दिया जाता है। तो क्यों नहीं इन बड़े अधिकारियों को भी जांच होने से पूर्व सस्पैण्ड किया गया ? यह बताया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :-माननीय अध्यक्ष महोदय, दो महीने पहले जांच शुरू हुई थी उसमें सारे फैक्ट्स मांगे गये थे। अब चार्ज शीट बन गई है और डी. ओ. पी. में एक-दो दिन में चली जायगी, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर का मामला है। प्राइमा फेसी मामला पूरी तरह नहीं बना था। अब नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि 15 दिन में कार्यवाही हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें आपने कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा है। पहले वाला प्रश्न तो कभी का गया।

श्री डूंगरराम पंवार : यह जान-बूझकर टाला जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कब टेंडर लिए थे और कब रेट में परिवर्तन किया? जब रेट में परिवर्तन किया तो बढ़ी हुई रेटों की मन्जूरी सक्षम अधिकारियों से क्यों नहीं ली गई? दूसरा, सरकार को कब मालूम हो गया था और उसके बाद कब जांच के आदेश दिये?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, चार माइनर टेल्स पर पानी नहीं जा रहा है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है, माननीय सदस्य। इस प्रश्न के साथ में पूरक नहीं बनता है। कृपया विराजें। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री डूंगरराम पंवार : ये तो टालना चाहते हैं.....

श्री काशीनाथ गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे। खड़े हुए थे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है और ये उत्तर नहीं दे रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति सुजानगढ़ एवं चूरू में कनिष्ठ लिपिकों के पद

89. **श्री रावत राम आर्य** (सुजानगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुजानगढ़ और चूरू की निजी आय (वार्षिक) पचास हजार से ऊपर है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चूरू एवं सुजानगढ़ की निजी आय पचास हजार से अधिक होने के कारण उक्त समितियों ने वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पद सृजन करने हेतु विकास विभाग से मांग कर रखी है ? यदि हां, तो इनको अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

(3) उक्त मांग पंचायत समितियों की ओर से कब की गई थी और अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने के क्या कारण हैं ? अब स्वीकृति कब तक भेज दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पंचायत समिति सुजानगढ़ से एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक कनिष्ठ लिपिक के पद सृजन की मांग इस विभाग को पत्र संख्या 651, दिनांक 1-3-79 से प्राप्त हुई थी। मांग तथा निजी आय की स्थिति पर विचार करके इस विभाग की स्वीकृति संख्या एफ. 1 प्रशा. (76) प. वि. प्रशा. 3 (76) 4220, दिनांक 14-9-79 के द्वारा एक कनिष्ठ लिपिक के पद की 29-2-80 तक के लिए जारी कर दी गई है। पंचायत समिति चूरू से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) स्थिति प्रश्न के खंड (2) में वर्णित कर दी गई है।

विधायक नगर से लालकोठी, जयपुर तक पक्की सड़क का निर्माण

90. **श्री गंगा राम चौधरी** (गुढ़ा-मालानी): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधायक नगर जयपुर से लाल कोठी तक एक सड़क निर्माण की योजना की स्वीकृति हो चुकी है ?

(2) क्या उक्त सड़क निर्माण हेतु रास्ते की कच्ची बस्ती को हटा दिया गया ? यदि हां, तो इन सड़क निर्माण में अब विलम्ब क्यों हो रहा है ? और कब तक यह निर्माण कार्य पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधायक नगर से लाल कोठी योजना तक सड़क निर्माण हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई। प्रस्तुत टोंक रोड से स्टेडियम तक लिंक रोड स्वीकृत हुई थी। यही लिंक रोड टोंक रोड से विधायक नगर को मिलाती है।

(2) इस लिंक रोड के निर्माण में न्यायालय से स्थगन आदेश आने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

सूरतगढ़ क्षेत्र में पानी से सेम की समस्या

92. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ क्षेत्र में घग्घर के डिप्रेशनों में पड़े पानी से

22

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

सेम की समस्या पैदा होने से हजारों एकड़ भूमि प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो इस समस्या के निदान के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या गंगकैनाल की कर्णीजी शाखा व भाखड़ा की पी.बी.एन. में पानी के अलाव को दूर करने हेतु घग्घर डिप्रेशनों में पड़े पानी को डालने हेतु कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, घग्घर के डिप्रेशनों में खड़े पानी से सूरतगढ़ के क्षेत्र के ग्राम बाडोपल, मानकथेड़ी व किशनपुरा के करीब 200 हजार एकड़ भूमि में सेम की समस्या हो जाती है ।

इस समस्या के निदान हेतु एक एस्केप एस 8-ए निर्माणाधीन है । इन डिप्रेशन्स में खड़े पानी के उपयोग के लिये एक लिंक चैनल बना कर, करणीजी व पीलीबंगा वितरिकाओं में पानी डालने की योजना विचाराधीन है । इस योजना के बनने से जल के शीघ्र उपयोग से भी सेम की समस्या कम हो जायेगी ।

(2) जी हां, सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है व आकलन बनाया जा रहा है । जिसकी जांच के बाद कार्य किया जा सकेगा ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के सुचारु रूप से नहीं चलने के कारण गांवों में पानी की कमी के विषय में ।

(2) श्री रामकृष्णदास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अभाव व अकाल के बावजूद राहत कार्य आरम्भ नहीं होने के विषय में ।

सदन में आज बाढ़ व अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है अतः माननीय सदस्य इस अवसर पर चर्चा में भाग ले सकते हैं ।

(3) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला म्युनिसिपल एम्पलाइज फेडरेशन, श्री गंगानगर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये मांग पत्र के विषय में।

(4) सर्वश्री शंकरलाल व गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगरपरिषद् में कार्यरत 112 कर्मचारियों की गत 21 जुलाई को हुई अनियमित सेवा मुक्ति के विषय में ।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है । मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर में पिछले 15 दिनों में डकैती की 3 संगीन घटनायें होने के विषय में।

(6) सर्वश्री बजरंगलाल, नूरा व हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पिछले कुछ अर्से से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तीन नर्सों की रहस्यमय हत्या के विषय में।

(7) श्री गुल मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के विषय में।

इनमें से राज्य मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर हुई तीन दिन की बहस में कानून व व्यवस्था की स्थिति तथा नर्सों की हत्या को लेकर काफी चर्चा हो चुकी। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(8) श्री बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम रारोली, क्षेत्र टोंक के कुछ ग्रामवासियों द्वारा गत 24 सितम्बर से हो रही भूख हड़ताल के विषय में।

यह प्रस्ताव भी राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री काशीनाथ गुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि श्री सूर्यनारायण चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री कुछ सूचना प्रस्तुत करना चाहेंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर की डकैतियों के सम्बन्ध में . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ गुप्त : अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरा भी स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुन लीजिए।

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिए मनोनयन पत्र प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है। निवेदन है कि आज जो मनोनयन पत्र प्रस्तुत करने का समय एक बजे तक का है, उसको बढ़ा कर साढ़े तीन बजे कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : जो मंत्री महोदय ने अनुमति सदन से मांगी है, क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय; मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है . . .

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के प्रस्तावनुसार समय बढ़ाया जाता है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थान प्रस्ताव रखा है..

व्यवस्था का प्रश्न

निन्दा प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री गुल मोहम्मद : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन, माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैंने दि. 22 सितम्बर, 79 के दिन आपके समक्ष एक निन्दा प्रस्ताव की सूचना दी थी। उसके बारे में अभी तक किसी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया है। निन्दा प्रस्ताव सहकारिता मंत्री, श्री मेघवाल के आचरण के बारे में था। तो मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि निन्दा प्रस्ताव आप कब ले रहे हैं? आप कल तक अवगत कराने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : विषय विचाराधीन है। निर्णय लिए जाने पर आपको सूचना दे दी जावेगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भरतपुर में हुई डकैतियों के बारे में है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्दजी जैन।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया बतायें कि इसी सत्र के अन्दर लेंगे या नहीं लेंगे।

श्री दुलाराम : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसी सत्र में इसका जवाब दूंगा।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 24 तारीख को गंग कैनाल नहर के बारे में दिया था। आपने व्यवस्था दी थी कि चूंकि वह 10.45 पर दिया गया था इसलिए 25 तारीख को लेंगे। 25 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लेने के कारण मेरा प्रश्न नहीं आया लेकिन आज तो आना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। वह प्रश्न कार्यवाही में नहीं आ सका इसलिए लैप्स हो गया।

श्री दुलाराम : आपने सूचना ही नहीं दी, लैप्स कैसे हो गया? बिना सूचना के ही लैप्स कैसे हो गया? आपने सदन को सूचना ही नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दुलाराम : स्थान तो तभी ग्रहण करूंगा जब आप बतायेंगे कि प्रश्न लैप्स कैसे हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान यह व्यवस्था दी कि जो भी स्थगन प्रस्ताव थे, उन पर आपने यह व्यवस्था दी थी कि उन दिनों में स्थगन प्रस्ताव नहीं लिए जावेंगे। लेकिन आज तो वे प्रायोरिटी पर आने चाहिए थे। उनको आज लिया जाना चाहिए था। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आज नहीं तो कल लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के जो प्रश्न हैं, तीन चार दिनों में नहीं आते हैं तो वैसे भी लैप्स हो जाते हैं। आज की तारीख में, अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो स्थगन प्रस्ताव पेश हुए हैं उन पर व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री दुलाराम : आपने व्यवस्था दी थी कि आपके स्थगन प्रस्ताव पेंडिंग हैं⋯

श्री सूर्यनारायण चौधरी : चैम्बर में मिल लें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अलवर के महाराजकुमार श्री प्रतापसिंहजी की हत्या के बारे में दिया था। उस पर कानसिंह आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की जाकर उस पर चर्चा होनी चाहिए, इसके लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। सरकार की तरफ से उसमें क्या एक्शन हुआ? इसके लिए सरकार की तरफ से रिलाई होना चाहिए। क्योंकि यह रिपोर्ट पब्लिक होकर सदस्यों के पास पहुंच चुकी है। उस रिपोर्ट पर चर्चा का समय निर्धारित करें ताकी सदस्यगण ज्यादतियां करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मांग कर सकें। उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। इसके लिए मुझसे कक्ष में बात कर लें।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं आपके कक्ष में तो जरूर निवेदन करूंगा लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही होना जरूरी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि अगले सत्र में कानसिंह आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है। बैठिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री वृद्धिचंदजी जैन।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपातकाल का नाम लेकर यह सरकार यहां पर बैठी हुई है तो क्या यह सरकार कानसिंह आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगी? पिछले अधिवेशन में यह आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा।

(28)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मुख्य मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। वे यह घोषणा करें कि इस रिपोर्ट पर कब विचार किया जाएगा ? जनता यह जानना चाहती है कि आपातकाल की दुहाई दे कर यह सरकार सत्ता में आई है यह आपातकाल में अत्याचार करने वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहती है। इसलिए आप आश्वासन दें कि इस पर कब विचार किया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट पर कब विचार किया जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार उठ रहा हूं। मुझे अनुमति दी जाय .....

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

व्यवस्था का प्रश्न

अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेहरबानी करके बैठ जायं अध्यक्ष महोदय ने मेरे को अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, जो पहले अविलम्बनीय लोकमहत्व के स्थगन प्रस्ताव दिये गए थे उस सम्बन्ध में आपने यह व्यवस्था दी थी कि जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनके बारे में माननीय सदस्य बहस में भाग लेकर बोल सकते हैं परन्तु खेद है कि सरकार का कोई उत्तर नहीं आया। इस बारे में पहले भी कोई न कोई व्यवस्था रही है कि मामले को एक बार सत्र के दौरान सदन में रेफर कर दें। इसलिए जो व्यवस्था दी थी वह खतम हो गई है। आटोमेटिकली कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन लैप्स नहीं होता है। इसलिए जब अविश्वास का प्रस्ताव समाप्त हो गया है और सत्र वापस शुरू हो गया है तो जो स्थगन प्रस्ताव मैंने पेश किए हैं वे रेफर हो जाने चाहिए थे नहीं तो उनका मकसद क्या हुआ ? उनका कोई जवाब नहीं हुआ। इसके बारे में आपकी स्पष्ट व्यवस्था हो जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विश्नोई ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर मैं अपनी व्यवस्था रिजर्व रखता हूं। इसके ऊपर डिसीजन ले कर मैं आपको जानकारी दूंगा।

श्री दुलाराम : आपने व्यवस्था दी है...

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आधार

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उसे सुन कर आप अपना निर्णय दें। मैं समझता हूं कि आज तक इस सम्बन्ध में जो कन्फ्यूजन रहा है, चल रहा है, वह इससे दूर होगा। जब भी कोई माननीय सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन देता है या एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव करता है तो कन्सेन्ट होती है, आसन की। कानून में, रूल ऑफ लॉ से अगर कोई सदन, राज्य या समाज परिचालित होता है तो कन्सेन्ट का प्रश्न

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

माता है परन्तु यह कन्सेन्ट should be on sound reasonable ground. कोई भी हो, चाहे माननीय सदस्य हो, अध्यक्ष महोदय या राज्याध्यक्ष हो या किसी न्यायालय का न्यायाधिपति हो, तो जहां कहीं कन्सेन्ट का प्रश्न है तो यह कन्सेन्ट विल या विश नहीं है, मनमानापन नहीं है। कन्सेन्ट ऑन साउण्ड, रिजनेबल ग्राउन्ड होनी चाहिए। मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन माननीय सदस्य हरिसिंह के साथ मूव किया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है कि केवल राजस्थान ही नहीं, सुदूर दक्षिण केरल में भी इस विषय पर आग लग रही है। माननीय होम मिनिस्टर, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको गंभीर माना है लेकिन हमारी राज्य सरकार इसको लाइटली ले रही है। हमारे मुख्य मंत्री केरल के मुख्य मंत्री को उत्तर देते हैं जो गलत है। जो हत्याएं हुई है वह संदिग्ध है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। आल इंडिया के अखबार इस बारे में लगातार लिख रहे हैं और जो सूचनाएं प्रकाशित हो रही हैं उनसे कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में जो एडजोर्नमेन्ट मोशन दो माननीय सदस्यों के साथ दिया है उसको आपने अस्वीकार कर दिया है इसलिए मेरा यह प्रश्न आपके सामने विचारणीय है कि क्या अध्यक्ष महोदय को किसी भी मोशन को अस्वीकार करने का कारण सिर्फ उनकी इच्छा मात्र है या उसको अस्वीकार करने के लिए कोई आधार होना चाहिए। जहां कहीं कानून की व्यवस्था, में समाज की व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है तो उस समाज में जहां कहीं भी कन्सेन्ट का प्रश्न है कन्सेन्ट cannot be arbitrary. It cannot be just a wish. It has to be judicial. It is the real desire of the authority to decide a question. इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि क्या यह कन्सेन्ट अध्यक्ष महोदय की कसौटी मानी गई है? वह कन्सेन्ट प्योरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर की विश है or it is judicial. If the consent is refused, it has to be refused with reasons and not otherwise. माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न है कि जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसमें जो प्रावधान है उसमें यह साफ लिखा है कि किन-किन आधारों पर एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं दिया जा सकता है। यह भी देखा है कि कौन-कौन से विषयों पर एडजोनमेन्ट मोशन दिए जा सकते हैं और किन-किन हालातों में नहीं दिए जा सकते हैं। उन सारे रेस्ट्रिक्शन, एक्सेप्शन और एक्सप्रेशन के अलावा हम कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन देते हैं तो बिना किसी आधार के उसको अस्वीकार कर दिया जाता है? इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि कन्सेन्ट has been refused lawfully and validly to the person who has moved the motion of adjournment. यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय बजरंगलाल शर्मा, माननीय नूरा और माननीय हरिसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको मैंने इस आधार

(28)

(श्री अध्यक्ष)
पर स्वीकृति नहीं दी है कि अविश्वास प्रस्ताव, जो सरकार के विरुद्ध रखा गया था पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया था । कई माननीय सदस्य अव्यवस्था के बारे में, नर्स हत्याकांड के बारे में बोल चुके.....

श्री बजरंगलाल शर्मा : सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया । लगातार तीन हत्याएं हो चुकी हैं.....

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं । माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है अतः इस आधार पर मैंने यह एडजोर्नमेंट मोशन अस्वीकार किया है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसके बाद तो हालात बदले हैं । कितने ही नये-नये तथ्य सामने आ रहे हैं । आप कहते हैं कि बहस हो चुकी है, मैटर कवर हो चुका है परन्तु यह कहना सत्य नहीं है, सही नहीं है discussion has not been held. It is incorrect.

श्री नूरा : मैं 30 तारीख को इस मामले की जानकारी करने के लिये सरदार शहर चूरू गया था उसके अनुसार जो घटना के बारे में जानकारी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बताई है वह गलत है । इसलिए मैं विस्तार से जानकारी लेकर आया हूं वह कहना चाहूंगा इसलिए बोलने की इजाजत दी जानी चाहिये और इसलिये हमारे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय पेट्रिशिया मेरी की इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दर्दनाक कहानी है उनके बारे में सदन में चर्चा हो, सदन की जानकारी के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : केरल में कमेटी बन रही है । केरल के मन्त्री राजस्थान के सी. एम. को पत्र लिख रहे हैं, होम मिनिस्टर इंडिया को लिख रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय. जितने माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये है वे बोलेंगे तो सदन ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था आपके सामने पेश कर चुका हूं । अतः अब मैं जो स्थगन प्रस्ताव है उनके लिये 10 मिनट तक के लिये बोलने का टाइम देता हूं । माननीय श्री वृद्धिचन्दजी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है जो जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी से सम्बन्धित है । वह कोई अकाल राहत मन्त्रीजी से सबन्धित नहीं है । मेरे स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट है बाड़मेर जिले में जो ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें चल रही हैं वे ठीक ढंग से नहीं चल रही है मैंने स्थगन प्रस्ताव में स्पेसिफिक योजनायें भी बताई हैं जो योजनायें नहीं चल रही हैं और जिनके कारण पानी के संकट का

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रश्न हमारे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से छाया हुआ है। मैं सबसे पहले उंडू-पनावडा योजना के बारे में मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो योजना कभी भी इन ग्रामों में ठीक तरह से नहीं चली और अम्लू और नादरा में तो पानी बिल्कुल ही नहीं पहुंचा। जहां पानी पहुंचा तो भी कहीं एक महीने में एक बार, कहीं दो महीने में एक बार और कहीं तीन महीने में एक बार पहुंचा है। इस तरह की जो योजनायें हैं जिन पर लाखों रुपया खर्च होता है

(12.25 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुचे और पहुचे भी तो कहीं हफ्ते में एक बार और कहीं महीने में एक बार पानी पहुंचे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी जल-संकट की समस्या रहती है। जबकि वे इन योजनाओं पर आधारित है इस कारण पानी का बड़ा भयकर प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता है। मनुष्यों के लिये तो है ही, पशुओं के लिये भी गम्भीर प्रश्न उपस्थित होता है।

दूसरे उंडू से कूपलिया गांव में पानी नहीं पहुंचा है। इस योजना को क्रियान्वित हुए 4 साल हो गये हैं। खेड़ा में पानी पहुंचा तो कभी माह में और कभी दो माह में एक बार पानी पहुंचा है। इस प्रकार जो ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें चल रही है उनमें जो ढिलाई हो रही है, अधिकारी कतई इंट्रेस्ट नहीं लेते। वहां एक्स. ई. एन. श्री भंवरलाल लोहिया हैं वे कोई भी योजना में इंट्रेस्ट नही लेते। वे बाड़मेर बैठे रहते हैं। आॅन दी स्पाॅट नहीं जाते। ग्रामीणों को जो जल संकट है उसके बारे में कतई ध्यान नहीं दिया जाता। एक्स. ई-एन. कोई भी कार्य करते नहीं, जे. ई-एन. और ए. ई-एन. की कमी है स्टाफ की कमी है। इनकी कमी की पूर्ति की जानी चाहिये और योजनायें ठीक ढंग से चलें इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये। कुछ सालों ने नल -कूप खरीद पड़े हैं, और पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट का टाइम दिया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : 10 मिनट का टाइम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचन्दजी, मुझे स्पीकर साहब कह चुके है, दो मिनट का टाइम दिया है। आपको जो जानकारी दी है वह पहले की है, उसको दो मिनट मान लीजिये। कृपया समाप्त करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं जल्दी समाप्त करता हूं। हरसाणी में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति इन दिनों गांवों में है। इसी प्रकार ग्राम खडेल, हड़ियाल, बाड़ेजनगर में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। चौड़ेल में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इनके बारे में जब से एक्स. ई-एन. आये हैं तब से कोई प्रगति नहीं हुई है और इनकी क्रियान्विति बहुत ही मन्द गति से चल रही है। अगर इसी प्रकार नल कूप चले, इसी प्रकार ग्रामीण योजनायें चली तो किस प्रकार अकाल क्षेत्रों में

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

लोगों को टैंकरों से पानी पहुंचाया जा सकेगा। बड़ी समस्या पैदा हो जायेगी। इसलिये मुख्य मंत्रीजी इस समस्या की ओर कृपया ध्यान दें और एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट आफ व्यू से इस ओर विशेष ध्यान दें, इनकी अच्छी तरह से व्यवस्था करायें, इनको ठीक तरह से चलायें ताकि लोगों को और पशुओं को जानकारी मिल सके। अगर इस भयंकर अकाल के समय में आप व्यवस्था नहीं कर सकेंगे तो बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसके साथ में मेरा स्थगन प्रस्ताव पेश करता हूं। इस पर गवर्नमेंट रिप्लाई दे। गवर्नमेंट द्वारा स्टेटमेंट दिया जाय। जो निर्णय दिया है स्पीकर साहब ने, इस पर गौर करें मुख्य मंत्रीजी। जन स्वास्थ्य मंत्रीजी से उनका जवाब लिया जाय, स्टेटमेंट लिया जाय कि इस प्रश्न को हल करने पर क्या विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह मकासर, श्री शंकरलाल एवं गंगाराम चौधरी।

श्री शंकरलाल (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जोधपुर नगर परिषद् के 112 कर्मचारियों को नगर परिषद् द्वारा 21 जुलाई को अकारण सेवा से मुक्त करने के सम्बंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैंने अविश्वाश प्रस्ताव के संबंध में भी बोलते समय कहा था कि यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला सकती लेकिन जिनको रोजगार मिला हुआ है उनको नौकरी से निकाल रही है। राजस्थान के 240 डाक्टरों को निकाल दिया था। आज एक उदाहरण फिर आपके समक्ष, सदन के समक्ष रख रहा हूं कि जोधपुर नगर में नगर परिषद् द्वारा 112 कर्मचारियों, 1976-77-78 से अलग अलग तारीखों में जिनको मुकर्रर किया था उनको एक साथ ही सेवा से मुक्त करने के आदेश डायरेक्टर ने और उनके आदेशों के ऊपर वहां की नगर परिषद् ने दिये। उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, जहां तक मैं समझता हूं, अपने क्षेत्र में टेम्प्रेरी अपाइंमेंट्स करने की अधिकारी है। उसके अन्दर कोई भी दखलन्दाजी यहां के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नहीं की जा सकती है। पहले भी जो अपोइण्ट-मेंट हुए थे उनको रेगुलेराइज किया गया। शरबत भण्डारी, कैलाश अरोड़ा, लक्ष्मण पुरोहित, जिनको टेम्प्रेरी बेजेज पर रखा था बाद में उनको रेगुलेराइज किया गया। 240 दिन कोई कर्मचारी लगातार काम कर लेता है तो अपने आप स्थायी पद के लिए अधिकारी हो जाता है। उसको लागू नहीं करने के लिए अमूमन जो अधिकारी होते हैं वह किसी को एक महीने के लिए अप्वाण्ट करते हैं फिर निकाल देते हैं। किसी को कुछ महीने के लिए अपोइण्ट करते हैं फिर निकाल देते हैं। फिर दो महीने बाद वापिस ले लेते हैं। यह इन पब्लिक अण्डरटेकिंग में और कई डिपार्टमेंण्ट्स में है। ऐसा करते हैं। ये 112 कर्मचारी हैं जिनके लिए मुख्य मंत्रीजी जब जोधपुर पधारे थे तो उन्होंने प्रतिवेदन दिया था इसके बारे में, उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री को भी ज्ञापन दिया है। जो आदेश दिये गये हैं, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है। जिसको कहना होता है, उसको नोटिस देकर कहा जाता है। लेकिन आज तक 112 कर्मचारियों में से किसी को नोटिस नहीं दिया गया है। एक जनरल आर्डर निकाल दिया है। किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं होता है। पता नहीं किस

(श्री शंकरलाल)

कानून कायदे से चलते हैं ? यह स्वायत्त शासन मंत्री महोदय बतायेंगे । पहले तो मैं डायरेक्टर का आर्डर पढ़ कर सुनाऊंगा फिर वह कारण बतायेंगे। यह 11 जुलाई, 1979 को भेजा है म्युनिसिपल कौंसिल जोधपुर को।

"Dear Shri Singhvi,

I understand that a very large number of work-charged employees have been employed in your Municipal Council for quite some time. I have discussed this matter with your Commissioner and find that 58 persons are employed @ Rs.10.00 per day and 54 people are employed @ Rs. 8.00 per day. Employing such a large number of people at such salary is irregular and against the standing instructions of the department. I would request you kindly to look into this matter seriously and remove all the employees.

If a few employees are required in the interest of smooth working of the Municipality, they may be employed after screening and after obtaining sanction of this department. The action in this matter may be completed by August, 1979."

इसके अन्दर 4 बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने नियमों और कानून के खिलाफ राठौड़ी तरीके से लिखी हैं। पहले तो यह लिखा है कि ये अपाइण्टमेंट बेसिकली गलत हैं। 112 आदमियों के नाम हैं। लेकिन यह नहीं बताया है कि यह किस प्रकार से इर्रेगुलर हैं। मैं यह बताऊंगा कि म्युनिसिपल को अपाइण्टमेण्ट करने के अधिकार हैं। एक तो माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या म्युनिसिपल को अपाइण्ट करने के अधिकार हैं या नहीं ? अगर हैं तो यह दखल कर सकते हैं या नहीं ? दूसरा, इन्होंने यह लिखा है कि सब को हटा दो। अगर आपको जरूरत है तो आप हमारी स्वीकृति लेकर स्क्रीनिंग करके रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम चाहें उन लोगों को लगा सकते हैं। यह सरकार का कौनसा कायदा है ? एक तरफ कहते हैं कि गलत लगाये गये हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी स्वीकृति से ले सकते हैं। इन चारों बातों का जवाब माननीय मंत्री महोदय दें। यह स्वायत्त शासन संस्था पर सरकार की अवैधानिक दखलन्दाजी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अपने-अपने आदमियों को नियुक्ति देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारे आदमियों को नियुक्ति दें। 76-77 से जो आदमी काम कर रहे हैं, उनको आप निकाल रहे हैं। आर्डर दिये हैं। किसी कर्मचारी को नोटिस नहीं। जबकि संविधान में किसी कर्मचारी को हटाते हैं तो नोटिस देने का प्रावधान है। आपने एक भी कर्मचारी को नोटिस नहीं दिया है। आपने क्या किया है। 13-7-79 को यह आर्डर निकाला है।

"समस्त दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारियों को यह आदेशित है कि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त हो गई है वे नगर परिषद के कार्यालय में उपस्थित न होवें। सम्बन्धित अधिकारी एवं शाखा प्रभारी को भी यह आदेश दिये जाते हैं कि ऐसे समस्त कर्मचारियों, जिनकी सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है, से सक्षम अधिकारी

(श्री शंकरलाल)
की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कार्य न लेवें। अन्यथा उनके वेतन भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सम्बंधित अधिकारी पर होगी।"

यह जनरल आर्डर निकाला गया है कि उनको अप्पाइंटमेंट नहीं करें। उनको नौकरी पर नहीं लें। 94 को आपको स्वयं लेना है। वहाँ पर वेकेन्सीज हैं। आपने खुद ने एडवर्टाइजमेंट किया है। हमारे पास लिस्ट है। 23 आदमी नाकेदार, 10 सब-नाकेदार, 33 आदमी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, व क्लिनर की 2 जगह खाली हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, 94 पद रिक्त हैं। लोगों को एम्प्लायमेंट की जरूरत है। यह क्या तरीका है, पुरानों को निकाला जाये नयों को रखा जाये। मैं यह आरोप लगाऊंगा, आप पार्टी के लोगों के कहने पर ऐसे आदमियों को लगाना चाहते हैं जो आपसे सम्बन्धित हैं। जो काम कर रहे हैं, उनको निकालना चाहते हैं। जो 112 आदमी हैं, जिनको आप छुट्टी देना चाहते हैं, उनमें एल.डी.सी., अधिकतर ग्रेजुएट हैं। एक ओर शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या है दूसरी ओर आप के यहाँ रिक्त स्थान हैं। उन्हीं स्थानों से आप लोगों को निकाल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीर मामला है। उन लोगों का एक डेपुटेशन आया हुआ है। उन्होंने जो प्रतिनिवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया है, वह पढ़ कर मैं सुनाना नहीं चाहता हूं। उनके बारे में निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : मैंने जो सारी बातें रखी हैं, वह इस प्रतिनिवेदन में हैं। मैं चाहता हूं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री अपने डायरेक्टर द्वारा निकाले गये आदेश निरस्त करायें। नगरपरिषद में जो वास्तव में काम कर रहे हैं जिनको निकाला गया है उनको वह नौकरी में लेकर अपनी निष्पक्षता का परिचय दें। अन्यथा मैं यही समझूंगा कि पोलिटिकल रीजन से लोगों को निकाल रहे हैं। इस पर कल आन्दोलन होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : यह एक गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, आपका नाम पुकारा गया था, आप अनुपस्थित थे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लघुशंका का शिकार था। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह भी कोई गुनाह है,

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले के उन हजारों कर्मचारियों का है जिन्होंने नोटिस दिया राज्य सरकार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का। मैं सोच रहा था अविश्वास का प्रस्ताव गिर जाने के बाद जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी ने परसों कहा था जवाब देते वक्त कि बड़ा अच्छा हुआ, हमारी कमियों का आभास हो

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

गया, हमारी कमजोरियां मालूम हो गई दौराने वहम। लेकिन पंचों का कहना सर माथे पर परनाला यहां गिरेगा—इस रास्ते पर मत जाओ कि हमारी बात ही ठीक है। गंगानगर जिले के हजारों म्युनिसिपल के कर्मचारियों ने पिछले साल भी आठ दस दिन तक हड़ताल रखी। हड़ताल का नतीजा न कर्मचारियों के लिए अच्छा होता है और न इससे जनता को ही कोई फायदा होता है। अगर सरकार वक्त रहते कर्मचारियों से बात करे बैठ कर, तो कोई वजह नहीं है कि हड़ताल हो, हड़ताल रोकी जा सकती है। मगर एक साल पहले जब हड़ताल हुई गंगानगर जिले के म्युनिसिपल कर्मचारियों की, तो सरकार ने नेगोसिएशन किया। मुझे याद पड़ता है, उनके साथ बातचीत की गई, उनकी मांगों को जायज करार दिया गया, मगर उसके बाद भी उस समझौते को लागू नहीं किया गया। ऐसी हालत में उन्होंने फिर नोटिस दिया है इससे लाखों लोगों, जो शहरों में रहते हैं, को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं संक्षेप में एक ही बात कहते हुए कि यह गंगानगर जिला ही प्रभावित नहीं होगा, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कहूंगा आपको मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल गंगानगर जिले में हड़ताल हुई थी, इस साल सारे राजस्थान में होगी। उनसे आप बैठ कर बातचीत करिये और उनके साथ जो समझौता हुआ उसको लागू करिये, चुनाव आ रहे हैं। अभी आपने जोधपुर में सैकड़ों लोगों को निकाल दिया अपने लोगों को रखने के लिए। उन नौजवानों का कसूर क्या यही था कि उन्होंने दो-तीन साल वहां पर सर्विस की। एक तरफ डाइरेक्टर साहब का हुक्म जाता है, दूसरी तरफ आप यह हुक्म निकाल रहे हैं कि नई भर्ती की जायेगी। आश्वासन देवें सदन में कि उन लोगों को रखा जायेगा, आपने यह मौका गलत चुना है। कामनसेंस की लिहाज तो होना चाहिए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इतना कामनसेन्स भी नहीं। एक तरफ आप उनको निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ नई भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। दूसरा सवाल, जयपुर नगर परिषद में क्या हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव पर स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने कहा था हमने फैसला कर दिया है, जब हम बाहर गए तो बिल्कुल धोखा निकला, जिन लोगों ने भूख हड़ताल की उनको जेल में डाल दिया जयपुर परिषद में, दो फैडरेशन, दो यूनियन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंहजी, आपका प्रस्ताव केवल गंगानगर जिले से सम्बन्धित है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सारे राजस्थान का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रिविलेज मोशन.

(व्यवधान)

आखिर में एक बात कहता हूं, मुझे प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, प्रिविलेज मोशन लाऊंगा, जो कर्मचारी लगातार 15 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया, जे.पी. संगठन से बातचीत कर समझौता कर लिया

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, चर्चा समाप्त करिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्वायत्त शासन मंत्री जी की बनिस्पत मैं मुख्य मंत्री

(३५)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जी से कहूंगा कि आप इसमें दखल दें। और मंत्रीजी के भरोसे में नहीं रहें अविश्वास का प्रस्ताव तो गिर गया, मगर इसके नतीजे भयंकर हो सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जयपुर नगर परिषद के मामले में यह कहा था कि उनसे समझौता हो गया –

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, पाइन्ट आफ आर्डर के बारे में नियम में किस समय उठाया जा सकता है –

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये क्लेरिफिकेशन दे दें सदन में –

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने झूंठा आश्वासन दिया है सदन में –

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कुछ तो जवाब दिलवाइये सारी सरकार गूंगी हो गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, अगर आप कोई जानकारी देने जा रहे हैं, तो आसन को भी पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आप माननीय शंकरलालजी के प्रस्ताव के बारे में जानकारी देना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया....

श्री उपाध्यक्ष : आप किस बारे में बोलना चाहते हैं, मुझे इसकी जानकारी तो दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : शंकरलालजी के प्रस्ताव के बारे में...

व्यवस्था का प्रश्न

कार्यवाही के बीच में कभी भी मंत्री को उत्तर या वक्तव्य देने का अधिकार

श्री बजरंगलाल शर्मा : Whether a Minister has the choice of intervening in the debate any-time, even though the matter is not in issue and the House is not seized of it ?

शंकरलालजी का मामला बहुत देर पहले समाप्त हो गया, उसके बाद श्योपतसिंहजी आगए, फिर जयपुर नगर परिषद का मामला आ गया। श्योपतसिंहजी के प्रस्ताव के बारे में आप कह सकते हैं, अन्यथा कल की बात, परसों की बात,...

श्री शंकरलाल : श्योपतसिंहजी ने मेरी बात भी कही थी, वह आवश्यक है इसलिए कह रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ये लोगों को कंफ्यूज करने में सिद्धहस्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, मैं कुछ कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय किसी भी समय इण्टरवीन कर सकते हैं। अगर कोई सार्वजनिक मसला हो, उनको वक्तव्य देने का अधिकार है, लेकिन वक्तव्य

(श्री उपाध्यक्ष)
लिखित में होना, जैसा भी हो आसन की ओर से अनुमति आवश्यक है। आप कम से कम इसकी जानकारी आसन को तो देवें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ये मर्जी आवें जब प्रवचन करने लग जाते हैं। बौद्धिक प्रवचन। This is not the moment for the Minister to intervene, Sir.

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसराम मदेरणा : स्वायत्त शासन मंत्री से संबंधित तीन मुद्दे सदन में उठाए गए। एक गंगानगर के संबंध में था, दूसरा जोधपुर, तीसरा जयपुर के म्युनिसिपल कर्मचारियों के संबंध में है। तीनों का संबंध इन्हीं मंत्रीजी से है। अगर कोई भी मंत्री स्टेटमेंट देना चाहता है तो पूर्व में भी आपने अनुमति दी है और आज भी आप अनुमति दे दें क्योंकि ये स्थिति को स्पष्ट करेंगे। माननीय सदस्य ने जो अभी बात की उस दिन जो स्वायत्त शासन मंत्री ने वक्तव्य दिया, वह सदन को मिसलीड करने वाला था। उस वक्तव्य का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : इन सबका उत्तर मैं कल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। भरतपुर में पिछले 15 दिनों से तीन संगीन डकैतियां पड़ीं। भरतपुर एक लाख से अधिक की आबादी का एक बड़ा शहर है। वहां पर कलेक्टर है, क्योंकि जिला मुख्यालय है और सैकड़ों पुलिस व दूसरे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं इसके बावजूद लगातार आए दिन तीन डकैतियां होना और डकैतियां ही नहीं होना, हथियार, बंदूकें, रिवाल्वर, भालों से लेस होकर बाकायदा योजना बद्ध तरीके से लोगों के घरों में घुस कर डकैती डाल कर आराम से चले जाना, पुलिस को टेलीफोन करने के बाद भी घटनास्थल पर पुलिस का समय पर न पहुंचना, पुलिस की अकर्मण्यता का द्योतक है। उसका घर भरतपुर की घनी आबादी में बसा हुआ है, वहां शुक्रवार और शनिवार की रात्रि को डाका पड़ा, 9 आदमियों को घायल कर दिया, 4 आदमी बंदूकों से लेस थे, बाकी के पास भाले और घातक हथियार थे। 9 आदमी सीरियस कन्डीशन में अस्पताल में हैं। जब डकैती पड़ रही थी तब लोग छतों पर चढ़ गए थे, शहर में हो हल्ला हो गया, फोन द्वारा एस. पी. व वहां के कोतवाल को वहां के नागरिकों के द्वारा सूचना दे दी गई कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति के घर पर इस समय डाका पड़ रहा है, कई डाकू हैं, बंदूकों की आवाज आ रही है। पता नहीं लोगों को मारा है या जिंदा छोड़े हैं। आप आश्चर्य करेंगे डकैत लूटमार करके लोगों को घायल करके आराम से टहलते हुए चले गए। पुलिस अधिकारियों के कारण लोगों के अंदर आत्मविश्वास था कि जिला मुख्यालय पर चोरी हो सकती है, डकैती नहीं पड़ेगी। जब से जनता पार्टी का शासन आया है रोजमर्रा कहीं न कहीं जिला मुख्यालय पर डकैती पड़ती है। 30 साल के शासन में जिला मुख्यालय पर डकैती नहीं पड़ी लेकिन अब 15 दिनों में तीन डकैतियां पड़ीं और

(श्री रामनारायण चौधरी)

पुलिस द्वारा अकर्मण्य रहने से लोगों को घायल करके चला जाना, यह कोई एक जगह नहीं हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों में देखें, इस अखबार में भी आया है, राष्ट्रदूत में छपा है, नव ज्योति और राजस्थान पत्रिका में छपा है, मुख्य मंत्री की मन चाही पत्र राजस्थान पत्रिका के अंदर भी समाचार छपा है। और अखबारों का काग्नीजेंस गृह मंत्री व मुख्य मंत्री नहीं लेते हैं लेकिन यह तो आपका स्वयं का पत्र है, इसका आपको काग्नीजेंस लेनी चाहिए। आपको वहां के अधिकारियों से पूछना चाहिए कि एस. पी. व डी वाई. एस. पी. क्या कर रहे थे, जहां पर सैकड़ों आदमियों को आपने भर्ती कर रखा है। किसलिए वहां बैठे हैं? शहर लुट रहा है, नागरिकों की इज्जत जा रही है, उनका कमाया हुआ धन जा रहा है और आप चुप बैठे हैं, शासन अकर्मण्य है। गृह मंत्री इसका जवाब दें, 12 दिन में तीन डकैतियां, कैसी शर्मनाक बात है। आज ही उत्तर दिया जाए, स्थिति स्पष्ट की जाए और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इस 29 तारीख की रात को भरतपुर शहर की घनी बस्ती में ......

श्री बजरंगलाल शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नूरा : हमारा प्रस्ताव है, सुरेश कुमार जी का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपने उनको बोलने के लिए कहा है......

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को समझ लिया है, आप सुरेश कुमार जी के बोलने पर आपत्ति करना चाहते हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : नहीं। क्या भरतपुर जिले के लिये मुख्य मंत्री ने अपनी सारी पावर्स पंडित राम किशन को डेलीगेट कर दी हैं ? वह सदन में नहीं हैं, उस जिले में अगर हत्यायें होती हैं, कुछ भी होता है, तो क्या मुख्य मंत्री से जवाब तलब किया जा सकता है। यह अहम व्यवस्था का प्रश्न है, सारा भरतपुर जानता है, पंडित राम किशन को मुख्य मंत्री ने अथोराइज कर रखा है। इसलिए इस सदन में जब तक पंडित राम किशन नहीं हो, यह चर्चा नहीं उठाई जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष जी, 29 तारीख की रात को भरतपुर की सघन बस्ती में डाका पड़ा और उस डकैती के अंदर 50 हजार रुपए की लूट हुई, 9 आदमियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। सबसे गंभीरता की बात है कि उस बस्ती के दक्षिण की तरफ आधा किलोमीटर पर पुलिस चौकी है। मंडी में, उत्तर की तरफ आधा किलोमीटर पर पुलिस चौकी और एक किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में पुलिस चौकी है मथुरा दरवाजे पर। यह गंभीर मसला है, जहां पास में तीन पुलिस चौकियां हो, और डकैती पड़ जाए लेकिन इसके साथ साथ इसके कारणों में भी जाना पड़ेगा। भरतपुर का इलाका यू. पी. से लगा हुआ है। मैं

(श्री सुरेश कुमार)

पहले भी सरकार से कह चुका हूं, भूख के कारण वहां पर जुर्म बहुत बढ़ रहे हैं। यू.पी. से निकल, आकर भरतपुर में लूट-मार करते हैं। मैंने सरकार को पूर्व में भी लिखा है कि ऐसी हालत जब भरतपुर में हो तो बोर्डर पर आर. ए. सी. को लगायें। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय को सरकार गंभीरता से ले और पुलिस की जो अकर्मण्यता रही है, जो पुलिस व दूसरे अधिकारी दोषी पाये जायं, शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करके इस डकैती को निकलवाया जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मुझे दुःख है इस घटना से क्योंकि यह घटना मेरे क्षेत्र में घटी है, यह कहने के बावजूद भी कि यू. पी. वाले भरतपुर में आते हैं, राज्य सरकार व गृह विभाग कोई प्रबंध नहीं कर रहा है। मुझे आशा है गृह मंत्री बोर्डर पर व्यवस्था करेंगे ताकि यू. पी. की गैंग यहां आकर कोई लूटमार न करें।

श्री टकीनाथ गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में जिस समय यह डकैती पड़ी डकैतों ने महिलाओं के कानों की बालियां निकाल लीं, उनके कान कट गए, जो भी थे सबको घायल कर दिया, लोग बेहोश हो गए। दूसरे दिन वे लोग होश में आए लेकिन आज तक उनकी हालत सही नहीं है। कोई रात को 1½ बजे घटना घटी है, 4 बजे पुलिस पहुंची 1½ सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि टेलीफोन पहुंचने के बाद भी पुलिस फोर्स नहीं आई। थाना पास में है और पुलिस 2½ घंटे के बाद पहुंची है। कुछ दिन पूर्व कृष्णा कालोनी में डकैतों ने सीनों पर बंदूकें रख दीं तथा लूट ले गए, आज तक पुलिस जांच नहीं कर सकी। जितनी भी चोरियां व डकैतियां वहां पड़ी एक का भी पता नहीं लगा। जब से यह सरकार बनी है, तब से अब तक किसी चोरी या डकैती का पता नहीं है। मेरे क्षेत्र में 23 डकैतियां डाली गई, जिनमें 2 कत्ल हुए तथा 35 आदमी बुरी तरह से घायल हुए है। जो पुलिस एक भी मुलजिम को नहीं पकड़ सकी, एक भी चोरी बरामद नहीं कर सकी, वह डकैतियों को रोकने के बारे में कुछ नहीं कर पा रही है। आज से 25 दिन पहले दिनदहाड़े विरहरु ग्राम में एक आदमी का कत्ल किया और 15 दिनों तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। मैंने जब एस. पी. से कहा और वहां के लोगों ने गृह मंत्रीजी को तार दिये, टेलीफोन किये तब जाकर आदमी गिरफ्तार कर पाये हैं लेकिन अभी तक फिर भी सही मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इतना ही नहीं इन डकैतियों के बारे में सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश के बदमाश आकर डकैती डालते हैं यहां की बहुत बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से मिली हुई है परन्तु मैं इस बारे में बार बार कह रहा हूं कि वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की जाये। आज से पचास साल पूर्व जो चौकियां उस समय पर थीं वही की वही आज स्ट्रेन्थ है। पांच-पांच मील तक कोई पुलिस का थाना नहीं है। 6½ किलोमीटर के बाद कुम्हेर थाना रखा गया है जब कि कुम्हेर की जो सीमा यू. पी. से लगती है वहां पर यू. पी. सरकार की चार चौकियां तथा तीन थाने हैं लेकिन राजस्थान सरकार कोई भी चौकी कायम नहीं कर पाती। मैं अभी यू. पी. के मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा कि हमारे अब क्राइम्स बहुत कम हुए है राजस्थान की सीमा पर और राजस्थान की पुलिस जब भी मदद चाहेगी तो हम मदद देंगे।

(श्री काशीनाथ गुप्त)

लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मांग नहीं आ रही है। जब कहा जाता है तो कहते हैं कि यू. पी की सीमा वहाँ पर मिल रही है इसलिए डकैतियाँ पड़ती हैं। बहाना यह लिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि वहाँ ध्यान दे। वहाँ आदमियों के मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस एरिया के बारे में कितनी ही बार कह चुका हूं कि जगह-जगह आर. ए. सी. तैनात की जाये। इसके पहले एक बार माननीय मुख्य मंत्री-जी को जब मैंने प्रार्थना की थी तो उन्होंने आर ए. सी को तैनात किया और उसके फलस्वरूप आठ नौ महीने डकैतियाँ बन्द हो गयीं। लेकिन फिर आर. ए. सी. कम करने पर डकैतियों का जोर बढ़ गया है। राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि वह हमारी हर तरह से सुरक्षा करे। मैं आज डी. आई. जी. से मिला था तो उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स की कमी है। चुनाव आ रहे है, ऐसी स्थिति में अधिक पुलिस लगाना सम्भव नहीं होगा। पहले हमारी रक्षा का सवाल है, हमारे जन-धन की रक्षा का सवाल है। मैं आपके जरिये से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आदमियों के मर्डर हो रहे हों, लोग घायल हो रहे हों और आये दिन डकैतियाँ डलें, रोजाना चोरियाँ हों, कत्ल होते हों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन राजस्थान सरकार एक भी केस का पता नहीं लगा पा रही है ऐसी सूरत में हम क्या आशा करें ? इसलिए मैं आपके माध्यम ने सरकार का ध्यान फिर एक बार आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पूर्व जनता सरकार जनता में यह आस्था पैदा करे कि उनकी शांति का ध्यान रखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजें। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस जघन्य अपराध की तरफ मेरी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं है कि यह घटनायें नहीं होनी चाहिए। यह हर सरकार का कर्त्तव्य है कि इस प्रकार के सनसनीखेज जुर्म हों तो उसके लिए राज्य का कर्त्तव्य होता है और सबसे बड़े दुःख की की बात तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के ऊपर इस तरह के डाकू आयें और डकेतियां डाल कर चले जायें। इसमें किस-किस की गलती रही है और क्या कुछ रहा है इसकी ओर सरकार देखेगी लेकिन साथ ही साथ यह कार्यवाही भी सरकार करेगी, इस तरह से घनी आबादी में डाकू डाका डाल कर चले जायें तो जनता का विश्वास सरकार से उठता है। यह बोर्डर के ऊपर घटना हुई होती तो शायद इसका इतना इम्पेक्ट नहीं होता जितना कि शहर में होता है। तो इसको स्वीकार करने में मैं शत प्रतिशत सहमत हूं। अभी-अभी श्री रामनारायण-जी ने जिक्र किया कि दो दिन पहले नवज्योति में एक घटना छपी थी। मैंने जानकारी की थी। उसमें पुलिस ने तो सतर्कता बरती थी और पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। अब यह जो मूल घटना हुई है इसके बारे में राज्य

(श्री सम्पतराम)

सरकार को देखना है कि जितने बड़े-बड़े शहर हैं वहां कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनायें पुनः न हों। आर. ए. सी. जहां से हटाई गई, वहां इन हालातों को देखते हुए उनको कायम रखेंगे। मूल केस श्री रामनारायण-जी ने रखा उसके बारे में मूल तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस प्रकार है:

शासकीय वक्तव्य

भरतपुर नगर में हुई डकैती

दिनांक 29-30 सितम्बर, 79 की रात्रि को 8-10 बदमाशान भरतपुर नगर में मोहल्ला बुध की हाट स्थित श्री होतचन्द कपड़ा व्यापारी के मकान में दीवार कूद कर दाखिल हुए। जाग हो जाने पर श्री होतचन्द व उसके परिवार वालों ने उनको ललकारा जिस पर इन बदमाशान ने लाठी व डण्डों से उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तत्पश्चात् बदमाशान ने कमरों के तालों को तोड़कर कुल्हाड़ी से स्टील आलमारी को तोड़ा और उसमें से सामान निकाल कर भाग गये। शोर सुन कर मोहल्ले वाले एकत्रित हो गये जिस पर बदमाशों ने हवाई फायर किये और भाग निकलने में सफल हो गये। घटना की सूचना हैड कान्सटेबल श्री गणेश, जो उसी मोहल्ले में रहता है, ने 3.40 ए. एम. पर कोतवाली व फ्लाइंग स्क्वायड को दी जिस पर पुलिस मय फ्लाइंग स्क्वाड के तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षकजी को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और चारों ओर नाकेबन्दी की मगर बदमाशान का कोई पता नहीं लगा। मुलजिमान की तलाश में पुलिस दल रवाना किये गये और आगरा से रेलवे सुरक्षा दल (आर.पी.एफ.) का खोजी कुत्ता मंगाया जाकर मौके को सूंघा कर मुलजिमान की तलाश में लगाया गया मगर सड़क पर पहुंचाने के बाद कुत्ता आगे नहीं चला। मौके से मुलजिमानों द्वारा चलाये गये 4 खाली कारतूस व 2 मिस किये कारतूस बरामद किये गये।

इस घटना में श्री होतचन्द सहित उसके परिवार के 9 व्यक्तियों के गम्भीर चोटें आई हैं जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो अभी जेर इलाज है। अभी तक जो सामान चोरी गया है, उसकी सूची श्री होतचन्द के अस्पताल में होने की वजह से पुलिस को नहीं दी गई है।

इस घटना को लेकर नागरिकों का एक शिष्टमण्डल श्री राजबहादुर व श्री आदित्येन्द्र के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक व जिलाधीश से मिला। पुलिस अधीक्षक द्वारा मुलजिमान को खोजने में सभी सम्भव प्रयत्न करने का आश्वासन दिया गया। इस घटना को लेकर नगरवासियों ने सायंकाल एक आम सभा भी की जिसमें वक्ताओं ने इस घटना को लेकर चिन्ता प्रकट की। नगर के कुछ दुकानदारों ने आंशिक हड़ताल भी रखी।

सूचना मिलते ही जयपुर से पुलिस उप-महानिरीक्षक, जयपुर रेन्ज, जयपुर भी भरतपुर पहुंच गये हैं और उन्होंने इस अपराध के अनुसंधान हेतु एक विशेष दल गठित किया है। अपराध शाखा से पदचिन्ह विशेषज्ञ ने घटनास्थल पर पहुंच कर अभियुक्तों के पदचिन्ह भी उठाये है। नगर में रात्रि गश्त अधिक सक्रिय करने हेतु एवं तत्काल सहायता पहुंचाने हेतु पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किये गये हैं।

40

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा, श्री बजरंगलाल शर्मा और डा. हरिसिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तीनों ही माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहेंगे ?

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर जाकर आया हूं इसलिए थोड़ी-सी चर्चा करूंगा और बाद में वह करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में मेरी नर्स की हत्या होने के बाद और जीप में दुर्घटना से मरने के बाद केरल के मुख्य मंत्री को राजस्थान सरकार की तरफ से आपने जानकारी दी जबकि आपको दी गयी रिपोर्ट में आपको आपके अधिकारियों ने मुगालते में रखा है या फिर आपने ऐसी घटना को दबाने की कोशिश की। घटना इस प्रकार से है। तारीख 31 को कुमारी मेरी गाँव की धर्मशाला में थी। वहाँ के डाक्टर, ई. सी. टेक्नीशियन सरदार गुरदेवसिंह मेरी के कमरे में घुस गये और उसके साथ हाथापाई की और जो नीयत उनके बरतने की थी वह की लेकिन मेरी के चिल्लाने पर गाँव के लोगों ने हल्ला सुना। उससे डर कर भागते समय उसके हाथ पैर में चोट आई और मेरी के कपडे फट गये। उसके बाद वहाँ से भाग गये। उनके भाग जाने के बाद में नर्स ने वहाँ पुलिस चौकी पर रिपोर्ट करने गई। उसकी सुनी नहीं गई और उसको डाटफटकार कर निकाल दिया। वहाँ से निकलने के बाद उस नर्स मेरी 2 अगस्त को तारानगर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की नियत से बस नं. 5582 पर सवार होकर जब तारानगर जा रही थी उस समय डा. गुरदेवसिंह, डा. गुलाटिया और एक कांस्टेबल छोटूराम एक गाड़ी लेकर आये और बस को रुकवा कर कहा कि इसकी पुलिस जांच में जरूरत है। उसको उतार कर ले गये और उसके साथ में तीनों ने बलात्कार किया। वह बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसको वहीं पर एक अस्पताल में ले गये। वहाँ के डा. ने कहा कि इसको बीकानेर ले जाओ, इसकी हालत खराब है। वहाँ पर नर्स ने स्टाफ को बताया कि मेरे साथ बलात्कार किया है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ के डाक्टर जो उनका दोस्त हैं, मैं तीनों से मिला। राजगढ़ के डाक्टर और गुरदेवसिंह और गुलाटिया और कांस्टेबल से मिला हुआ था। इस बात की जानकारी जिस तरह से दी गई है मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को भी, इस मामले में या तो मुगालते में रखा गया है या राज्य सरकार की इस मामले में गलत दृष्टिकोण की बात कह सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उस नर्स की यह फोटो है जिसकी हत्या कर दी गई। मेरी हुई मेरी की दूसरी फोटो पेश करना चाहूंगा। उसके मरने के बाद उसकी लाश की यह फोटो है और लोग वहाँ पर खड़े हैं। 30 तारीख को मैं सरदार शहर गया। वहाँ के सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात हुई, उन्होंने इस सारी घटना की जानकारी दी। ऐसी हालत में कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, एक दूसरी स्टेट की बालिकायें हमारे राजस्थान में सेवा करने आती हैं उनके साथ में ऐसी घटना घटती है। आपको अधिकारियों ने मुगालते में रखा है। इस बात को दबाने के लिये जिस तरह से आपके सामने लाई गई, जो केरल के मुख्य मंत्रीजी को रिपोर्ट दी है वह सरासर गलत है। बलात्कार से उस नर्स की मौत हुई है।

(श्री नूरा)

परसों हमने अखबारों में देखा। यहाँ जयपुर में एक नर्स अमैनी के घर पर एक मंत्री के पी. ए. शायद बंसी लाल मौजूद थे और वह जलने लगी। वह खबर उस अखबार में छपी कि बचाने में उनका हाथ भी जल गया। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो वहाँ उनको बचाने की कोशिश कर रहा था क्या वह उनकी बहिन थी, क्या उनके परिवार में थी, वह उनकी क्या लगती है? इससे क्या झलकता है? अगर बचाने की बात थी तो घर से भाग कर नहीं जाता। उनको अस्पताल ले जाता। उस नर्स की मृत्यु हो गई। यह अखबार बिके हुए हैं या अखबार को लालच है। पी. ए साहब वहां क्या कर रहे थे? अगर बचाने की बात थी तो चले कहाँ गये? यह भी एक केरल की नर्स थी जिसके साथ में घटना घटी।

तीसरा एक नर्स का मामला ब्यावर की कुमारी जिसिया का है। वह भिनाय में नौकरी करती थी। यहां पर उसका सवाल उठाया था। कई बार उसके पिता ने पाइन्ट उठाया, सब अधिकारियों को भेजा। आज उस केस की हालत यह है कि कोई अधिकारी जाँच करने के लिये तैयार नहीं है। उस समय यह बताया गया कि गोलियाँ खाकर उसकी मृत्यु हुई। यह बिल्कुल सरासर गलत है। उसके कपड़ों का डाक्टरी मुआयना हुआ और रिपोर्ट में बताया गया कि बलात्कार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक एक घटना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो बालिकायें जिस तरह से हमारे राजस्थान की सेवा कर रही हैं, चाहे वे केरल की हों चाहे यहाँ की, उनकी इज्जत जाती है, इज्जत के साथ साथ उनकी जानें गई हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार चार आदमियों ने बलात्कार करके मार डाला। उसकी बिना जाँच किये केरल के मुख्य मंत्री को यह रिपोर्ट भेज दी, बड़े अफसोस की बात है। केरल वालों की यहाँ पर भी एक एसोसियेशन बनी है। केरला वेलफेयर सोसायटी उसने भी उसके बारे में बयान जारी किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना बयान जारी किया है लेकिन इस मामले में कोई जाँच नहीं हुई है। किसी डाक्टर को ससपेन्ड किया हो, किसी के खिलाफ एक्शन लिया हो, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। जहाँ इस तरह से हत्याएं हो रही हों, हमारे मुख्य मन्त्रीजी को मुगालते में रखा जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन अधिकारियों पर भरोसा करके दूसरी स्टेट के मुख्य मंत्री को रिपोर्ट दे दी, हमारे लिये अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर केरल के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। यहाँ पर जो नौकरी करते हैं उनमें बड़ा भारी असंतोष है, हमें उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं बल्कि जो दूसरी स्टेट से यहाँ सर्विस करने आती हैं, उनकी सिफारिश नहीं है, उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है, जगह-जगह सेवा कर रही है . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहाँ उनको मकान नहीं मिलता, जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं उन गाँवों में जाकर राजस्थान की सेवा कर रही हैं उन लड़कियों के साथ में बलात्कार करके उनको मार डाला, यह हमारे लिये शर्म की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जाँच मुकर्रर की जाये। संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करके जाँच की जानी चाहिये नहीं तो राजस्थान के लिए यह बड़े कलंक की बात है। यह बहुत बड़ी घटना है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि केरल में लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया है।

(श्री नूरा)
हम परेशान हैं कि इस तरह की घटना हो रही है। वहाँ के लोगों के आन्दोलन करने के बाद सारे मामले को तोड़ मरोड़ कर रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में सख्त से सख्त कदम उठा कर दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाये। राजस्थान के ऊपर यह बहुत बड़ा धब्बा है। हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और जिन्होंने बदनामी के कगार पर लाकर खड़ा किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। भविष्य में जो लड़कियां बाहर से आती हैं या यहाँ की लड़कियाँ हैं जो सेवा कर रही हैं जो गाँवों में या शहरों में जाती हैं उनकी इज्जत और जान बचाने के लिये उचित कदम उठाये जायं . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : एक जानकारी करना चाहूंगा। यह मिनाय वाली घटना कब की है ?

मेजर श्री फतहसिंह : एक साल पहले की है। भगवती प्रसाद कम्पाउडर ने . . . .

श्री नूरा : 5-9-78 की घटना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हाउस में इस पर बोल भी चुके हैं। जो आरोप लगाये गये हैं सही नहीं हैं।

श्री नूरा : मैं इसलिये लाया हूं कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जाँच पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई, इसलिये दुबारा नोटिस में लाया हूं।

श्री रतन लाल वर्मा: मिनाय का मामला है, इसलिये मुझे कहने की इजाजत दी जाय।

श्री नूरा : मिनाय की आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है ?

(व्यवधान)

बिना जाँच किये, आपके पास क्या सबूत है?

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा: यह बलात्कार का मामला है, बिल्कुल झूठ है। मैं चैलेन्ज करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें एक बार।

श्री नूरा : आप क्या चैलेन्ज करेंगे। उस दिन भी चैलेन्ज कर रहे थे। फिर जाँच कराने से क्यों डरते हैं? आज मैं कहता हूं साल भर हो गया कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

मेजर श्री फतहसिंह: पाइन्ट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, मिनाय की जो नर्स है, उसके पिता ने लगभग 10 दिन पहले प्रार्थना-पत्र भेजा है। वह प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी को एड्रेस किया हुआ है। उसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजी है और भी विधायकों को भेजी होगी। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है लेकिन उसमें उन्होंने यह लिखा है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि उस नर्स के कपड़ों पर इन्सान के वीर्य के निशान पाये गये हैं। लड़की के

(मेजर श्री फतहसिंह)

पिता ने सन्देह किया है कि भगवती प्रसाद कम्पाउन्डर का उस बलात्कार में हाथ है। बाद में उसको जहर देकर मार डाला है। मैं उस आधार पर कह रहा हूं-मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा था, उसमें भी मैं भाग नहीं ले सका नहीं तो उसमें भी इस मामले को पेश करता। मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है लेकिन उसके पिता का जो पत्र मिला है उसके आधार पर कह रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार कहा है। रूल्स 269 और 273 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रूल 269 में लिखा है—

"Shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, इसको कोट करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमान्, ये माननीय सदस्य बार-बार क्यों बोलते रहते हैं ?

श्री रतन लाल वर्मा : ये मेरे क्षेत्र की बात है। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप इस तरह दबा रहे हैं इस मामले को.....

(व्यवधान)

बार-बार इन्टरप्ट करके मामले को छिपाना चाहते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : रूल 249 का वायोलेशन है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, माननीय वर्मा साहब आप बिराजें। आप चर्चा में भाग लेना चाहें तो मैं अनुमति दे सकता हूं लेकिन इस तरह नहीं। आप जानकारी के लिये दो मिनट में कह सकते हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है....

(व्यवधान)

श्री नूरा : खाली पीली बात है, कोई आधार हो तो बतायें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो हमारे वर्मा साहब कह रहे हैं उससे मुख्य मंत्रीजी की जांच भिन्न है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : उनके क्षेत्र की बात है, कहने दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये कौनसी आथोरिटी से कह रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी मना कर रहे हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कमेटी की मीटिंग में आया हुआ था और मुझे जानकारी मिली तो मैं भिनाय गया और सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया...

(व्यवधान)

(44)

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय वर्मा साहब को गी तसल्ली नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष: उनके बोलने के लिये तसल्ली करने दीजिये।

(व्यवधान)

कहने दीजिये।

श्री रतन लाल वर्मा: मैं तत्काल पुलिस स्टेशन गया और हास्पिटल जाकर बातचीत की है और भी बीसियों आदमियों से पूछताछ की है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं भगवती प्रसाद का नाम बिना किसी आधार पर लिया जा रहा है। जिस दिन घटना हुई, उसके तीन दिन पहले से ही वह गांव गया हुआ था। उसका गांव भी 50 मील दूर है और, उपाध्यक्ष महोदय, छुट्टी पर गया हुआ था।

श्री नूरा : उसका बाप यह बताता है। ये कागज हैं, उसके बाद के लिखे हुए हैं। गृह मंत्री जी को भी भेजा है....

श्री रतन लाल वर्मा : मैं यह चुनौती के साथ कहता हूं कि भगवती प्रसाद एक चरित्रवान, सच्चा और सही सेवक रहा है। उसके खिलाफ आरोप लगाना बिल्कुल उचित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर: कितने में सौदा निपटाया है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चैलेन्ज करता हूं अगर यह मेरी बात गलत निकले तो मैं सदन में एक मिनट नहीं बैठूगा या फिर आप इस बात को कहें, दोषी को दण्ड मिलना चाहिये लेकिन दूसरों पर जबरदस्ती आरोप लगाना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

जो पराई फूंक से बोलता है, उसका कोई औचित्य नहीं है...

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय वर्मा साहब, हम पराई फूंक से नहीं बोल रहे हैं। शिकायत आती है तो सरकार की जानकारी में लाना हमारा परम कर्त्तव्य हो जाता है। इसलिये आप कहते हैं पराई फूंक से बोल रहे हैं, इस पर आपत्ति है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा साहब, कृपया बैठ जाय।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय गृह मंत्री जी को कह दीजिये कि उसकी जांच करवा लें।

श्री नूरा : गृह मंत्रीजी, आपको भी लिखा है, मुख्य मंत्रीजी को भी लिखा है और सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं इल्जाम लगाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

(व्यवधान)

माननीय बजरंगलालजी, विराजें। माननीय श्योपतसिंहजी, कृपया विराजें।

श्री नूरा : यही राज है, साल भर इसको नहीं खुलने दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : ये खुद पैसे के बल बिकने वाले हैं।

श्री नूरा : वर्मा साहब, ज्यादा मत बढ़ो, हम आपकी तरह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नूराजी, आप अनावश्यक चर्चा बढ़ा रहे हैं। कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री नूरा : हमारे में हिम्मत है तो हम साबित कर देंगे. .

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनके पिता का पत्र है, उसके आधार पर कह रहे हैं. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी. . . . . .

श्री नूरा : आपने हत्यारों को बचाने के लिए क्या नहीं किया है. . .

श्री रतनलाल वर्मा : अगर दोषी पाये जायें तो मैं कभी बर्दास्त नहीं करता. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, माननीय नूराजी और माननीय रतनलालजी वर्मा, आप चर्चा सदन के बाहर जाकर के भी कर सकते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक इन्फार्मेशन करना चाहता हूं। यह मामला रतनलाला जी के क्षेत्र का है। जिस तरह से वे बोल रहे हैं तो जनता पार्टी के जितने एम. एल. ए. हैं उनके क्षेत्रों में से थाने हटा दिये जावें, पुलिस चौकी हटा दी जावे, कलेक्टर को हटा दिया जावे और जो कुछ वहां का एम. एल. ए. कहे वही मान लिया जावे. . .

(व्यवधान)

अरे वर्माजी, कूदते क्यों हो, कहते क्यों नहीं . . .

श्री नूरा : यह इन्क्वायरी का विषय है, आप क्यों बीच में कूदते हो।

श्री रतनलाल वर्मा : जिसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप में मिली है उसकी जानकारी देना मेरा अधिकार है। सदन को जानकारी देने का मुझे पूर्ण अधिकार है। मुझे मेरे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मेरे क्षेत्र की बात है मेरे गांव की बात है, मुझे कहने का हक है। मेरे अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता. .

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको शर्म आनी चाहिए. . .

श्री नूरा : हमने सरकार से पूछा, विधान सभा में कहा है। मिनाय की चुनाव सभा में नहीं पूछा है।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरी व्यक्तिगत नोलेज के आधार पर कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें। श्री बजरंगलालजी !

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, तीन कन्याओं की हत्याओं की लोमहर्षक कहानी है जैसा कि कामरेड नूरा ने कहा कि यह कहानियाँ हविस और वासना के कारण है, किन्तु इसमें सबसे शर्मनाक बात है वह यह है कि रण बांकुरे राजपूतों के राजस्थान में और राजपूतों के शासन में रमणियों के सतीत्व की रक्षा नहीं हो सके, उनकी लाज और

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

अस्मत लूटी जाय और उससे भी अधिक हृदय विदारक बात यह है कि उनके हत्यारों को पोलिटिकल संरक्षण मिले इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। मान्यवर, एक जलालत और हिमाकत की हद होती है। एक दूसरे प्रदेश से आई हुई कुमारियाँ, कन्यायें जो यहां सेवा कर रही हैं उनकी हत्या की जावे। वासना की पूर्ति के बाद, बलात्कार के बाद उनका लहू बहे और लहू बहने के बाद सत्य की, सच्चाई की जानकारी के लिए आवाज उठे तो हत्यारों को गिरफ्तार करने के बजाय, बजाय इसके कि उनको गिरफ्तार किया जावे, उनको राजनैतिक संरक्षण मिले यह किसी भी राज्य के लिए शोभा की बात नहीं हो सकती। राजस्थान सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। एक हत्या की बात तो कुमारी लिर्टीशिया हेमिलटन, भिनाय वाली नर्स के बारे में बात हुई। मान्यवर, सच्चाई क्या है ? उसके पिता के पत्र की बात कही गई। भिनाय के रहने वाले वर्माजी ने चश्मदीद गवाह के रूप में अपनी बात कही। कामरेड नूरा ने यात्रा के आधार पर अपनी बात कही। मुझे एक पत्र मिला है वह बाप का ही नहीं बल्कि माँ-बाप दोनों ने लिखा है जो कि लिर्टीशिया हेमिलटन की हत्या के बारे में लिखा है वह मैं सदन के सामने ओरिजनल पत्र जो लिखा है उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं, बहुत छोटा-सा संक्षेप में पत्र है जो इसकी सच्चाई को खुद ब खुद कहता है। उसको आप, मान्यवर, कृपा करके ध्यानपूर्वक सुन लीजिये।

"मौरिस हैमिलटन, मिशन कम्पाउण्ड ब्यावर, सेवा में बी. एल. शर्मा, एम. एल. ए. साहब, जयपुर।

सेवा में निवेदन है कि मेरी पुत्री कुमारी लिर्टीशिया हैमिलटन प्रसारिका पी. एच. सी., भिनाय को भिनाय स्टाफ ने 3 सितम्बर, 78 को दिन में गहरी बेहोशी की हालत में भर्ती कराया और डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद भी उसे नहीं बचाया गया और उसकी 5-9-79 को मृत्यु हो गई। उसे बहुत ज्यादा नशीली चीज पिलाई गई या इंजेक्शन दिया गया। उसकी पीठ, कूल्हे तेजाब से जलाये गये थे। उसका मुंह उसके ब्लाउज से बांध रखा था। उसके कपड़े जले जिस्म पर बिल्कुल साबुत थे और पूरा जिस्म मिट्टी के तेल से तर था। उसकी पिन्डली पर भी चार अंगुलियों के तेजाब से जलने के साफ निशान थे। उसके उलटे जबाड़े पर चोट का निशान था। उसके हाथ कंधों तक कहीं से नहीं जले थे और उसके बाल भी कहीं से भी नहीं जले थे और जले जिस्म पीठ पर साबुत चूटिया थी, सामने छाती पर कहीं न कहीं से जली थी जिससे साफ जाहिर है उसकी हत्या की गई। ब्यावर पुलिस ने भी पंचनामे में इसे हत्या कहा है।"

मान्यवर, इसके बाद आगे लिखा

"परन्तु भिनाय पुलिस, डी. वाई. एस. पी., केकड़ी ने इसकी कोई जाँच नहीं की और मेडिकल जूरिस्ट ने भी उसका गलत पोस्ट-मार्टम किया। साथ ही रतनलाल वर्मा एम. एल. ए., भिनाय का भी कातिलों को और पुलिस को पूरा सहयोग होने के कारण.."

(व्यवधान)

उस भाग्यहीन हैमिलटन का बाप और माँ लिख रहे हैं :

"माननीय रतनलाल वर्मा का कातिलों को पूरा सपोर्ट हासिल है। यह जो कुछ

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
कहा गया है उससे क्या इन्फरेंस ड्रा किया जाये यह मैं आप पर, माननीय सदस्यों पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी और खास तौर से गृह मंत्री जी पर छोड़ता हूं।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंग लाल जी, यह पत्र किस तारीख का है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं सारी बातें रख रहा हूं, कुछ नहीं छिपाऊंगा, मान्यवर, लेकिन बातों को सिलसिलेवार रखने की कोशिश करूंगा।

"सिनाय पुलिस का संरक्षण होने के कारण मुझ गरीब की किसी ने भी सुनाई नहीं की और आज तक न तो मुलजिम ही गिरफ्तार हुए और न मेरे गवाहों के ही बयान हुए जिनकी संख्या 82 है।"

82 witnesses and none of them examined.

मान्यवर, मुलाहिजा कीजिए, किस तरह की दास्तान है। सारी मेरी दास्तान चल रही है। आगे लिखते हैं :

"ब्यावर एस. एच. ओ. को भी एस. पी., अजमेर ने अपने क्रमांक 2778-81 डेटेड 26-2-79 को जांच हेतु लिखा पर उन्होंने भी आज तक हमें टहला रखा है और न मेरे गवाहों के बयान लिए और हमें बुरी तरह से बेइज्जत किया।"

जिस पिता की पुत्री की इस तरह से हत्या हो, गवाहों के बयान नहीं लिए जावें और एस. पी. द्वारा एस. एच. ओ. को लिखने पर बेइज्जत किया जाय तो साफ जाहिर है कि बिना राजनैतिक संरक्षण के कोई भी इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। आगे लिखा है:—

"अनुसंधानाधिकारी, अभाव अभियोग, मुख्य मंत्री सचिवालय, जयपुर के आदेश क्रमांक 5179126३3 डेटेड 21-5-79 से यह केस आई. जी. पी., जयपुर को उचित कार्यवाही हेतु दिया। पर अभी तक मेरे दो प्रार्थना-पत्र आई. जी. पी. को देने के उपरान्त भी उनके पास से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया और न मेरी मांग सी. बी. आई. द्वारा जांच ही मंजूर की गई है। मैं पूरा सबूत और गवाहों को पेश कर रहा हूं पर मेरी कोई नहीं सुनता है। सब हां-हां करते हैं पर कोई कुछ नहीं करता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझ दुखी माता-पिता को सहयोग देते हुए उचित जांच सी. बी. आई. द्वारा कराने की व्यवस्था करायें। मुझ को क्या पता......"

उन्होंने मुख्य मंत्री को लिखा, सब को लिखा लेकिन बजरंगलाल बीच में कहां से आ गया। गरीब तो वहीं पर जायेगा जहां से उसको सहारा मिल सकता है। जब उसको कहीं सहारा नहीं मिला तो वह लिखता है :—

"आपका नाम और गुण सुन कर आपकी शरण में आया हूं, उन्हीं महानुभाव ने मुझे आपका पता दिया है मुझे आशा है आप पूरा सहयोग देंगे।

विनीत,

मौरिस हेमिलटन, ता. 20-7-79
ईवा गीर्गस, ए. एन. एम., ई. एस. आई. डिस्पेंसरी, ब्यावर"

माँ और बाप दोनों ही का पत्र है यह 20-7-79 का। यह पत्र इसलिये लिखा क्योंकि बावजूद 19 मई, 79 को मुख्य मंत्री के सचिवालय की हिदायत के बावजूद जब कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद और भी

(श्री बृजमंगलाल शर्मा)

घटना है। कैमिकल एग्जामिनेशन उन कपड़ों का हो गया। और जैसा मेजर साहब ने कहा कि वीर्य के दाग थे। मैं उसे पुरुष का वीर्य नहीं कहूंगा बल्कि एक कामुक का वीर्य था और उस कामुक व्यक्ति को बचाने के लिए यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे, साल भर से जिसको पकड़ा नहीं गया, इससे बढ़ कर शर्मनाक बात सरकार के लिए, और उस सरकार के लिये जो सरकार होने का दम्भ भरे, उसके लिए इससे बढ़ कर शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मान्यवर, यह दास्तान मां-बाप के जुबानी हैमिलटन की हत्या के बारे में आपके सामने प्रस्तुत है।

मान्यवर, दूसरी घटना कुमारी मेरी के बारे में है। केवल राजस्थान में जो कुछ हुआ वहीं तक सीमित नहीं है। यह घटना ऐसी है जिसके बारे में माननीय सदस्य कामरेड सूरा ने आपके समक्ष रखी, शायद जल्दी में इसका एक और पक्ष मिस कर गए हैं। जब राजगढ़ के डॉक्टर ने कहा कि इसको बीकानेर ले जाओ, तत्काल बीकानेर ले जाना जरूरी है अगर बचाने की कोशिश करना है तो डाक्टर गुलाटी उसको बीकानेर ले जाने की बजाय अपने दोस्त डाक्टर के पास चूरू में ले गए। चूरू अस्पताल में जब उसको भर्ती किया गया तो उसने नर्सिंग स्टाफ को अपनी सारी दास्तान सुनाई, उसके बाद वह 7 अगस्त 79 को मर गई। मान्यवर, उनके बाद 21 सितम्बर को केरल के मुख्य मंत्री मिस्टर वासुदेवन नैयर केरल विधान सभा में एक बात कह चुके हैं जिने मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री को इसके बारे में लिखा है और उन्होंने यह कहा है कि एक डाक्टर को डिसमिस कर दिया है। जीप के ड्राइवर को हटा दिया। और एक हैड कान्स्टेबल को भी सस्पेन्ड कर दिया है। यदि यह एक जीप दुर्घटना थी तो एक प्रश्न उठता है जो विचारवान व्यक्ति हैं उनके लिए। यह सिर्फ जीप दुर्घटना थी तो श्री नैयर ने केरल विधान सभा में जो बयान दिया है वह सही है? कोई इन दोनों बातों पर विचार करें। यदि यह केवल जीप दुर्घटना ही थी तो इस पर केवल डाक्टर को डिसमिस करने या हटाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों उसको डिसमिस किया गया? यह सूचना केरल के मुख्य मंत्री ने केरल की विधान सभा में दी है इस दुर्घटना के सिलसिले में? जीप दुर्घटना में कुमारी मेरी की मृत्यु हुई है तो डाक्टर को डिसमिस करने का प्रश्न केवल एक धोखा है? उसकी मृत्यु के संबंध में सरकार के पास पत्र आया है, शिकायत आई है। केरल के मुख्य मंत्री ने पत्र लिखा है और 24 सितम्बर को केरल की विधान सभा में यह कहा है कि डाक्टर को डिसमिस कर दिया है। तो डाक्टर को किस तरह से डिसमिस किया गया है। किसी भी सरकारी अधिकारी को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। 7 अगस्त को मृत्यु के बाद प्राप्त शिकायत के आधार पर केवल 17 दिन के भीतर तीव्र गति से कार्यवाही की गई तो इसके पीछे कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे कि एक महीने और सत्रह दिन के भीतर-भीतर एक अधिकारी को हटा दिया गया। वे सारी बातें हैं—इन बीटविन दी लाइन्स पढ़ने की बात है। क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री जैसा यहां पर हमको टरकाते हैं क्या उसी तरह से केरल के मुख्य मंत्री को टरकाने वाली बात नहीं कही है। असल में बात क्या है। क्या उनके और तरीके केरल प्रदेश में भी पहुंच गये हैं। मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

ही नहीं केरल में एक कमेटी बनी है "मेरी मर्डर केस कमेटी" इतने दूर प्रदेश में कमेटी बने न्याय पाने के लिए, कुमारी बालिकाएं जहां पर सेवा कर रही हैं; उनको हमारे यहां पर हविस का शिकार बनाया जाए ? यदि डाक्टर को डिसमिस किया गया है, हैड कांस्टेबल और जीप के ड्राइवर को हटाया गया है तो फिर प्रश्न यह उठता है कि उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई हैं ? उनको गिरफ्तार करने में क्यों संकोच किया गया है ? जो इस हत्या के सम्बन्ध में दोषी हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

मान्यवर, जो दूसरी हत्या है, उसके बारे में इतना ही निवेदन है कि यह सरकार अपने आप को जनता की सरकार कहती है परन्तु उसके बावजूद यह जनता की सरकार हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है। उनको गिरफ्तार करवाने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी, पूरे जिले के कर्मचारियों ने हड़ताल की जनता ने हड़ताल की, जुलूस निकाले गये और उसके बावजूद केरल के मुख्य मंत्री को यह लिख दिया कि यह सही बात नहीं है। चाहे यह सरकार हत्यारों को कितनी ही शह दे, मैं दावे के साथ यह कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में भी इसके लिए एक कमेटी बन गई है और जो केरल की कमेटी है, राजस्थान की कमेटी है उसने राष्ट्रपति भवन को हिला दिया है। परन्तु यह सरकार जिन हत्यारों को शह दे रही है वे नहीं बच सकेंगे।

मान्यवर, जो दूसरी और घटना है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर कह चुके हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन सारी बातों को नहीं दोहराया है जो माननीय नूरा ने यहां पर कह दी हैं। दो बातें हैं अमीनी के बारे में, बीस तारीख को जिस दिन वह जली तो एक टेलिग्राम उसके पिता जाकोब के पास जाता है कि वह सीरियसली बीमार है। पिता अपने तीन पुत्रों को तत्काल रवाना कर देता है। वे यहां पर आते हैं परन्तु हमारे यहां के सरकारी अधिकारी, पुलिस, अस्पताल के अधिकारी उनको भगा देते हैं। माननीय सदस्य डा. हरिसिंह इन सारी बातों के गवाह हैं। उन तीनों भाइयों को यहां से भगा दिया जाता है और इस सारी सूचना पर पर्दा डालने की चेष्टा की गई है। मान्यवर, उस लड़की की 15 दिन के बाद ही शादी होने वाली थी और चार अक्टूबर को वह यहां से रवाना होने वाली थी। वह शादी के लिए जा रही थी नई जिन्दगी की शुरुआत करने के लिए जा रही थी। मान्यवर, वह ईसाई थी परन्तु वह एक नई जिन्दगी की दहलीज पर बैठने जा रही थी परन्तु उसको रोकने की चेष्टा की गई। इस बात की पूरी चेष्टा की गई कि वह रुक जाए ताकि वह यहां के लोगों की सदा-सदा हवश की शिकार बनी रहे और नये जीवन की शुरुआत नहीं कर सके। यह मोटिव को जाहिर करता है कि उसकी हत्या की गई। पुलिस ने पहला कारण तो यह दिया कि उसकी मृत्यु स्टोव के फटने से हुई है, स्टोव के फटने से वह जल गई। जब यह मालूम हुआ कि वह स्टोव तो नूतन था, जिसके फटने का कोई प्रश्न नहीं आता है तो यह कहा गया कि वह तवा उतार रही थी और उसकी मैक्सी में आग लग गई। यह साधारण समझ की

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

बात है कि उसकी मैक्सी में स्टोव से आग लगी तो स्टोव उलट पुलट हो जाता, स्टोव उलट जाता, सब्जी गिर जाती। पहला ग्राउण्ड तो स्टोव फटने का दिया गया। दूसरा ग्राउन्ड यह बताया गया कि स्टोव फटा नहीं, वह तवा उतार रही थी, मैक्सी जल गई। तीसरा कारण यह बताया गया कि वह तवा उतार रही थी, सब्जी चढ़ी हुई थी। परन्तु मान्यवर इतना ही काफी नहीं है। इस पर विचार करना जरूरी है। पूरे तीन दिन तक पुलिस निष्क्रिय रही। निष्क्रिय इसलिए रही कि जो फैक्ट्स हैं वे गायब हो सकें, वंसी जो फैक्ट्स हैं उनको गायब कर सके। तो निश्चित तौर से इसके पीछे साँठ-गाँठ है। इसके पीछे किसी बड़ी रकम का हाथ है। इसके पीछे बड़े आसामियों, प्रभावशाली व्यक्तियों का हाथ है। उनका इन्वाल्वमेन्ट था। इसलिए मान्यवर आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री को कि केरल समाज ने इस की वास्तविकता जानने के लिए एक कमेटी बनाई है, केरल में एक कमेटी बनी है और राष्ट्रपति भवन के पास पुकार जा रही है और यदि हमारे मुख्य मंत्री इन हत्यारों पर पर्दा डालने की चेष्टा करेंगे, किसी अधिकारियों या व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे, किसी एम.एल.ए. की नाक को बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं उनको यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह नाक सुरक्षित नहीं रह पायेगी और उनकी नाक बचाने के चक्कर में सरकार की नाक भी कट जाएगी। इसलिए उनको बचाने के चक्कर में न पड़े। लोगों को न्याय, सुरक्षा दें। और यह लहू जो हवश का लहू है, उन हत्यारों को पकड़ें तो सही न्याय होगा। कहीं मुख्य मंत्री दूसरों की नाक बचाने में अपनी नाक न खो बैठें, इसके बारे में मुझे पूरी चिन्ता है। मैं लक्ष्मण बनकर राम को कर्त्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं और निश्चित तौर से जो सीता को लूटा जा रहा है, उसको रोकेंगे ताकि इस देश की सीता बची रहे, बच जाये और रावण बन कर जो कोई उस पर हाथ उठावे, उसके हाथों को काट दिया जाए चाहे वे बीस हाथ हों। मान्यवर, यही मेरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि राजस्थान में इन दो, तीन नर्सों को लेकर इस प्रकार की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। मैं अभी दिल्ली गया था उस समय केरल के लोग मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे यह जानकारी दी कि केरल में इन नर्सेज के प्रश्न को लेकर काफी चर्चा हो रही है और कोई संघर्ष समिति भी बनी है। वह संघर्ष समिति केवल राजस्थान के प्रश्न पर ही नहीं बनी बल्कि आज से कुछ दिन पहले समाचार-पत्रों में यदि आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले, बस्ती जिले के सम्बन्ध में, 'मास रेप आफ नर्सेज,' इस शीर्षक से एक समाचार छपा था। इस प्रकार के समाचार और स्थानों के भी छपे थे। उन समाचारों का संकलन कर उनकी जाँच करने के लिये संघर्ष समिति बनायी गयी।

अभी माननीय सदस्य नूराजी सरदार शहर जाकर आये हैं और उन्होंने भी इस संबंध में जाँच की है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि कम्युनिष्ट पार्टी ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है और इस संबंध में संघर्ष करने को तैयार बैठी है। इसके दो पहलू हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जहाँ तक इस सारे प्रश्न की सही जाँच हो और दोषी व्यक्ति गिरफ्तार हो या दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाय। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोषी व्यक्ति बचे इससे न तो सरकार की प्रतिष्ठा बनने वाली है, न मेरी और गृह मंत्रीजी की प्रतिष्ठा बनने वाली है। बल्कि मेरी मान्यता है कि दोषी व्यक्ति बच गया तो सरकार की प्रतिष्ठा गिरेगी, मेरी और गृह मंत्रीजी की गिरेगी। इसलिये दोषी व्यक्ति के बचाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिये आपने देखा होगा कि आरंभ में चूरू वाले प्रश्न को लेकर काफी विवाद इस सदन में उठा और चर्चा हुई तो चूरू और जयपुर की नर्सेज दोनों के मामलों की जाँच सी. आई. डी. को दे दी। कल मैं दिल्ली से आया तो मैंने सबसे पहले पूछताछ की कि जाँच पूरी हो गई हो तो मुझे तथ्य बताये जायं तो पता लगा कि जाँच अभी पूरी नहीं हुई है, अधिकारी लिख रहे हैं। उसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन है जिसमें जो बातें कही गई हैं और जो तथ्य माननीय सदस्यों ने बताये हैं उन दोनों में भारी अन्तर है। लेकिन इस मामले का राजनैतिक लाभ कोई न उठावे और इस राजनैतिक वातावरण में इसलिये दोषी बच न जाय इस दृष्टि से मैं उचित समझता हूं कि सदन से, चाहें तो सारे मामले की जाँच मैं सी. बी. आई. से कराने को तैयार हूं जिससे आपकी एक धारणा तो दूर हो जायेगी कि सरकार किसी दोषी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और नारायण चतुर्वेदी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीनों मामलों की ही। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों से एक सहयोग चाहूंगा कि किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न करने की चेष्टा न की जाय जिससे बाकी नर्सेज जो काम कर रही हैं वे अपने आपको असुरक्षित मानें। मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से उन सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का उन्हें पूरा संरक्षण प्राप्त होगा। यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हुई, किसी प्रकार के इम्प्रूवमेन्ट की आवश्यकता हुई, जो भी इम्प्रूवमेंट लिया जा सकता है, वह करेंगे। आज ये नर्सेज, जो इतनी दूर से आई हैं ये भी हमारी बहन, बेटियों के बराबर हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में किसी भी व्यक्ति को बचाने का हमारी तरफ से तनिक मात्र भी प्रयत्न नहीं है, न होगा। लेकिन संदेह से परे सारा इन्वेस्टीगेशन हो जाय तो मैं नहीं मानता कि हमारे अधिकारी इस मामले की तह तक न पहुंचें। जहाँ इन्वेस्टीगेशन सी. आई. डी. से करवायें तो मामला जल्दी पकड़ा जायेगा लेकिन किसी प्रकार का सन्देह न रहे, न केरल में रहे न यहाँ पर मित्रों के दिमाग में किसी प्रकार का सन्देह रहे इसलिये मैं आज ही सी. बी. आई. को लिखूंगा कि वह तीनों मामलों का इन्वेस्टीगेशन आरम्भ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था जैसी बिगड़ी हुई है, शायद ही राज्य के किसी और इलाके में बिगड़ी हुई हो। पाली में पिछले वर्ष जहां अपराधों की वृद्धि 10 प्र. श. हुआ करती थी वहां जयपुर में वृद्धि 35 प्रतिशत हुई है और अब जाकर 45

(श्री गुल मोहम्मद)

प्र. श. तक हो गई। अभी हाल ही की एक घटना का जिक्र आपके सामने बताना चाहूंगा और वह घटना, जयपुर में गलता कुण्ड में कुमारी हेमलता जैन की बोडी, जिसका मरडर किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हेमलता जैन अपने घर से 27-2-79 को सुबह साढ़े आठ बजे रवाना हुई और रवाना होकर गलता गई और किस प्रकार गलता में जाकर किस प्रकार उसकी डेड बोडी गलता में पाई गई और किस प्रकार वहां से उठा कर उसे होस्पिटल में लाया गया। इस बीच में उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो घंटे का टाइम मिला। 8॥ बजे कुमारी हेमलता अपने घर से रवाना हुई और 10॥ बजे पोस्ट मार्टम एस. एम. एस. में हो गया। केवल दो घंटे में किस प्रकार उसको मार कर उसको गलता के कुण्ड में पटका और पटकने के बाद पोस्ट मार्टम हुआ। लेकिन आज तक पुलिस ने न तो कोई कार्यवाही की और पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कई तथ्य मिले हैं जिनमें बताया गया है कि कुमारी हेमलता जैन ए.जी. आफिस में काम करती थी। वहां उसकी दोस्त है कृष्णा माथुर, वो भी बताते हैं उसके साथ थी। वह कहते हैं कि गलता के पहाड़ी बाबा के यहां जाती आती थी और कोई कहते हैं आनन्द मार्गी थी। मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार दो घंटे में यह सारा काण्ड समाप्त हुआ लेकिन आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं है, यह पुलिस के और आपके कारनामें हैं। जबकि जयपुर में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। जयपुर जो कि राजधानी है जहां बड़े से बड़े लोग विराजमान हैं। कलेक्टर दास गुप्ता की हत्या हुई, और सैकड़ों हत्यायें हुई। एक जाट के कुवे के अन्दर नूरी नाम की औरत की हत्या हुई। नारायण चतुर्वेदी की हत्या हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह उपाध्यक्ष महोदय, शासन के नीचे हत्याओं के मामले चल रहे हैं। इसके लिये मैं कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी जिस प्रकार से गृह विभाग को संभाले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अरसे पहले लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई थी कि आपने देखा होगा कि स्टेशन रोड पर जो राजपूत छात्रावास था उसमें किस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ कर उसमें आग लगाई गई। यह सारी गुण्डागर्दी चलती रही और पुलिस प्रशासन चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहा। यह किस प्रकार का इन्साफ है? 3-4 घंटे तक यह चलता रहा और कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर तो जो गांव राजधानी से काफी मिलों दूर हैं उनकी क्या हालत होगी। अभी-अभी कई प्रकार के मामले सामने आये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर दास गुप्त की हत्या हुई उसमें काफी इस तरह की भावना फैली है कि किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, अगर कोई एक्शन लेता है तो उसकी भी हत्या हो सकती है। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इस प्रकार का जो आतंक छाया हुआ है अधिकारियों में, आज इस प्रकार से मर्डर करते हैं उनको तुरन्त पकड़ने की व्यवस्था की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कौनसी ऐसी कमी है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जयपुर का अपराधों में

(श्री गुल मोहम्मद)

सबसे प्रथम स्थान हो गया है जबकि कभी गंगानगर सबसे प्रथम था, आज गंगानगर का चौथा स्थान है और गांधीनगर में रात दिन चोरियों का सिलसिला चला हुआ है। जयपुर में बहन-बेटियों के गले से जंजीरें निकाल ली जाती हैं और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहती है। यह इस प्रकार का प्रशासन कैसे चल पायेगा। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि क्या आप किसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे। आप तो बदमाशों और गुण्डों को संरक्षण देते हैं। जयपुर में इतना सट्टा चल रहा है जितना शायद ही और किसी इलाके में हो। यह सट्टा चलाने के लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी खुद सट्टे वालों को छुड़ाते हैं, वे उनकी जमानतें कराते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से अपराधों की रोकथाम होगी।

मैं गृह मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा, वह बतायें, हेमलता का जो मर्डर हुआ है, दो घण्टे में ही यह सब कैसे हो गया है। इसकी जांच करायें।

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो हेमलता का इश्यू उठाया गया है, इस मौके पर मैं इस हैसियत में नहीं हूं कि इस बहस में पड़ूं और सदन का समय लूं। मेरे पास इस समय फैक्ट्स नहीं हैं...

(व्यवधान)

अभी आपने कहा है। सट्टे वालों को संरक्षण दिया है। मेरे ख्याल से....

श्री गुल मोहम्मद : मैंने यह कहा है....

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है, सट्टे वालों को संरक्षण दिया है। कोतवाली के अन्दर सट्ट वालों को पकड़ रखा है, मुझे यह सूचना दी गई। यह भी कि पुलिस वाले जबरदस्ती हथकड़ी पहना रहे हैं। मैंने कहा कि मैं एस० पी० को फोन कर देता हूं लेकिन वह सन्तुष्ट नहीं हुए। हम कोतवाली में जाते हैं। मेरे कोतवाली में जाने का नतीजा यह हुआ कि उन सबने स्वीकार किया कि यह परचीहम को मिली.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, सट्टे वालों को पुलिस ने सही पकड़ा। झूठी परची नहीं दिखाई गई है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं। सट्टे वालों को संरक्षण कौन देता है। मैं देता हूं या कोई और देता है। मैं बताऊंगा कि सट्टे वालों को कौन संरक्षण देता है?

(व्यवधान)

मुझे बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मैंने कहा कि स्पष्ट कीजिए कि फलां-फलां आदमी हैं। तो वह ऐसे आदमी मिले कि जिनकी पुलिस को जरूरत थी।

(व्यवधान)

मैं पुलिस की तारीफ करूंगा कि पुलिस ने पकड़ा। अगर हम ये भावना लेकर चलें कि यह गलत है तो ठीक नहीं। मैंने वहां जाकर सट्टे वालों को पकड़ाया है।

श्री गुल मोहम्मद : मैंने तो यह कहा था....

श्री सम्पतराम : आपने कहा, कोतवाली में खुद गया।

(54)

श्री गुल मोहम्मद : आप गये थे ।

श्री सम्पतराम : मैंने सट्टे वालों को पकड़ाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बहादुरसिंह जी ।

माननीय सदस्य.......

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जाता है कि सुमेरसिंह यहां पर कोतवाली में कृषि मन्त्री श्री कालवी जी की इच्छा से लगाये गये हैं । इन सुमेरसिंहजी ने. . . .

(व्यवधान)

एक श्री लक्ष्मणसिंहजी हैं, जो हर जगह कह चुके है कि मैं देवीसिंहजी का पुत्र हूं जिसको भैरोंसिंह इनकार नहीं कर सकते हैं । उनकी सट्टे वालों के साथ में सांठगांठ हैं । इन सट्टे वालों में निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है. . . .

(व्यवधान)

आप जो चाहें वह बोलें । पहले मेरी सुन लें । तो मैंने कहा लक्ष्मणसिंह के दबाव में सुमेरसिंह ने पकड़ा । मेरे पास एक टेलीफोन आया कि इस प्रकार का एक झूठा मुकदमा बनाया गया है । मैंने पहले कोतवाल-जी से बात की । मैंने गृह मन्त्री जी को कहा कि आप चैकअप कर लें । मैंने यह कहा कि आप चेकअप कर लें । माननीय गृह मन्त्री जी वहां गये । इन्होंने देखा और देख कर क्या किया वही जानें । उसका केस बना । वह अदालत में मामला है । वह दोषी हैं तो वह दण्ड पायेंगे । निर्दोष होंगे तो बरी होंगे । मेरा प्रोटेक्शन देने का मामला कहां लगा ।

श्री सम्पतराम : यह मैंने नहीं कहा है ।।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है ।

श्री गुल मोहम्मद : मैंने गृह मन्त्रीजी को कहा है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए कहा गया होगा ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय गृह मन्त्रीजी ने मेरे घर की चोरी में भले ही तत्परता नहीं बरती हो लेकिन इसमें तत्परता बरती है। इसमें कोई शक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें ।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, दो घंटे में मर्डर होकर सब कुछ हो गया । मन्त्री महोदय जवाब तो दें ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें ।

श्री गुल मोहम्मद : इसी प्रकार से मर्डर होंगे तो जयपुर खाली हो जाएगा । सब-की जान खतरे में है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी, विराजें ।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब कब देंगे।।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद-जी, आप बीच में इण्ट्रप्शन नहीं करें । श्री बहादुरसिंह ।

श्री बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 14 तारीख से ग्राम रारौली टोंक क्षेत्र में कुछ काश्तकार भूख हड़ताल पर बैठे हैं । दो तीन काश्तकार आमरण भूख हड़ताल पर हैं । उनकी एक मांग है कि रारौली एक बहुत बड़ा गांव है । उनके गांव में जो मिडिल स्कूल है, उसको सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाये । उनकी यह मांग है कि हमारे से कम जनसंख्या वाले ग्राम के स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं । उनका मानना है कि यह हमारे गांव के साथ में भेदभाव किया गया है ।

(व्यवधान)

यह हमारे हकों पर कुठाराघात हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सरकार का जो संवैधानिक तरीका है, वह स्पष्ट है । उसमें स्पष्ट प्रावधान है । सरकार अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी । वहाँ पर मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाये । उस गांव की बहुत बड़ी जनसंख्या है । अगर स्कूल को रेज नहीं किया गया तो वहां गरीबों के लड़के हैं । अन्त्योदय की आप दुहाई देते हैं । अन्त्योदयी परिवारों के लड़के हैं । वहां शिक्षा से वंचित रह जायेंगे । इसलिए मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन काश्तकारों की वाजिब मांगें हैं, संवैधानिक भी हैं और सरकार का उत्तरदायित्व भी है और यह सरकार उस जिम्मेदारी को निभाने से टालमटोल कर रही है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे पहले स्कूलों को क्रमोन्नत करने में शिक्षा मन्त्रीजी ने भेदभाव बरता है, जहां पर पहले से अधिक सुविधायें हैं, जहां पर क्रमोन्नत किये जा चुके हैं, न वहां पर जनसंख्या का खयाल किया गया और न आवश्यकता का खयाल किया गया, केवल पार्टी का खयाल किया गया और मन का खयाल किया गया, इस तरह का भेदभाव बरता गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैं नेता महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरह से . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पक्षपात नहीं होना चाहिए और उनकी मांगों को सुनना चाहिए उन पर विचार करना चाहिए ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र-अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र-माननीय परिवहन मन्त्रीजी ।

श्री [illegible] सुराणा (परिवहन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा 2 के अन्तर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या प० 5(16) / (ग्रुप-7)/79, दिनांक 6 सितम्बर, 1979 को सदन की मेज पर रखता हूं ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य । पुरः

(56)

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थापित किये जाने वाले विधेयक माननीय गृह मन्त्रीजी ।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित भी करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्रीजी ।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री पुरुषोतम मंत्री (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पुरुषोतम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय. मैं राजस्थान भूराजस्व (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित भी करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी राज्य में बाढ़ और अकाल की स्थिति पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

व्यवस्था का प्रश्न

बाढ़ एवं अकाल से सम्बन्धित विवरण का विलम्ब से वितरण

श्री मूलचन्द डागा : इतना बड़ा विषय है और लिट्रेचर आज दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो, बाढ़ क्षेत्र में जाकर आए हैं, बाढ़ का प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

श्री मूलचन्द डागा : वाह, क्या उत्तर दे रहे हैं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के दिनों में डागाजी पाली में नहीं थे । डागा कालोनी सारी पानी में बाढ़ से बह गई । एक दिन भी वे पूछने के लिए नहीं गये ।

श्री मूलचन्द डागा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया था कि बाढ़ और अकाल पर विचार किया जाय, पांच दिन पहले यह हुआ था, आज सुबह हाउस में यह लिट्रेचर हमको मिला है, मैं इसको पढ़ भी नहीं सकता, इस प्रकार की कापी मिली है ।

एक माननीय सदस्य : चश्मा लगाइये ।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो साइक्लोस्टाइल लिट्रेचर मिला है, आप स्वयं मुलाहिजा फरमाइये, बिल्कुल अस्पष्ट है । पढ़ने में नहीं आता है, इसके लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए, व्यवस्था के लिए निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव भी इस सम्बन्ध में दिया था, इसलिए माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी भी है—

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बात सही है कि हम उस एरिया से आते हैं, और फैक्ट्स भी मालूम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, उनकी क्या योजना है, वह क्या करना चाहती है, इस बारे में यह प्रतिवेदन भी हमको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, पहले दे देते तो हम छुट्टियों में पढ़ लेते, आज इसको हाउस में दिया गया है, इसलिए मुख्य मंत्री जी को खेद प्रगट करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस समय यह निश्चित किया जा चुका था कि राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जायगा। आपको पूर्ण आशा थी कि यह सरकार रहने वाली नहीं है। आप सरकार से यह आशा नहीं कर सकते थे कि भविष्य के कार्यक्रम के लिए कोई प्रतिवेदन देवें। मैं निवेदन कर रहा था वह प्रसंग अविश्वास प्रस्ताव का था। लेकिन यह चर्चा के लिए विषय है इसके सम्बन्ध में जो लिट्रेचर देने में विलम्ब हुआ उसका मुझे खेद है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बाढ़ का तो दिलवा दो।

कई माननीय सदस्य : दोनों का आ गया है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख इस पर लिखी हुई है। आज जब इस पर चर्चा हो रही है, हम चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को पढ़ लेते। पूर्व में भी ऐसे प्रस्ताव को रखते वक्त थोड़ा सा वक्तव्य देते रहे हैं माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए —

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दो बातें कैसे हो सकती हैं, सुमित्राजी और रामनारायणजी कह रहे हैं कि पांचवां और छठा पृष्ठ समझ में नहीं आया इसका मतलब पढ़ा तो है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बैठे बैठे पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठे-बैठे पढ़ा है, पढ़ तो लिया—प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिये, सरकार आपके सुझावों से लाभ उठाना चाहती है। आप कुछ सुझाव देंगे तो सरकार निश्चित रूप से लाभान्वित होगी।

श्री परसराम मदेरणा : 1974 के अन्दर जिस समय सूखा और खाद्य समस्या पर चर्चा हुई थी, जिस समय मैं प्रभारी मंत्री था, मुझे यह कहा गया कि वक्तव्य देना चाहिए और मैंने वक्तव्य दिया है। आप परम्पराओं से काफी दूर होते जा रहे हैं। इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर लोक सभा और राज्य सभा में भी यही परम्परा है, प्रस्ताव क्या है इस संबंध में भी जो प्रभारी मंत्री हैं, वह थोड़ासा छोटा वक्तव्य देते हैं। अगर अकाल व बाढ़ सहायता मंत्री कोई छोटासा वक्तव्य दें तो सदन के माननीय सदस्यों को निश्चित तौर पर जो बात बाद में कहने वाले हैं, मदद मिलेगी क्योंकि आपने जो जानकारी दी है अगर छठे व सातवें पेज की बात करते हैं सूखे के संबंध में, सभी बातें अनुमान के आधार पर हैं। जो राज्य सरकार के पास अभी सूचना है, चर्चा पर माननीय सदस्य

(श्री परसराम मदेरणा)
ठोस सुझाव दे सकें। इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभिक तौर पर सदन में मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए, यह सदन की परम्परा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन की परम्परा रही है या नहीं, परम्परा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। इस सदन में ऐसे भी प्रसंग आए हैं जहां सरकार की ओर से कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया और बहस की गई, ऐसे भी प्रसंग आए हैं सरकार की ओर से, प्रतिवेदन भी दिया गया और मंत्री ने भाषण भी दिया, उसके बाद में चर्चा हुई है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि आपको प्रतिवेदन देने में विलंब हुआ है जिसके लिए मैं खेद प्रकट कर चुका हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा राजनीति से परे रहकर बाढ़ व अकाल की स्थिति पर विचार करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ केंद्र में सरकार आप लोगों की है, जितनी अच्छी चर्चा होगी, जितने सुझाव होंगे, मेरी मान्यता है कि केंद्र सरकार पर आपका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और उसका लाभ राजस्थान को मिल सकता है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी कोई सरकार नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप राजनैतिक कलर क्यों दे रहे हैं ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप उल्टा सीधा वक्तव्य न दें तब तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसा कहेंगे वैसा बोलेंगे, लेकिन आप प्रभाव तो डालिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : चूंकि अकाल और बाढ़ का महत्वपूर्ण मसला है और मैं जानकारी चाहता हूं कि आया जो 200 साल पुराना फेमिन कोड है उसके आधार पर बहस करेंगे और जितने राहत कार्य हैं उसी के आधार पर होंगे ? सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी कि इस संहिता में संशोधन करेंगे। अगर सरकार ने गाइड लाइन्स तैयार की हैं तो वह भी सदन की मेज पर आनी चाहिए या कम से कम इस प्रतिवेदन में उल्लेख होना चाहिए कि जो आउटडेटेड कोड है उस पर सरकार का वक्तव्य होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कुछ नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, आपने क्या किया ?

श्री लक्ष्मण सिंह (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार का प्रतिवेदन अभी-अभी हमको मिला है और जहां तक मुझे याद है, सदन की परम्परा रही है, मैं नहीं कहता कि हम बाध्य कर सकते हैं लेकिन बहस को सुचारू ढंग से सार्थक बनाने के लिए यदि सरकार की तरफ से दो शब्द, मंत्री महोदय की तरफ से आ जायं तो बहस सार्थक हो सकती है, अन्यथा मंत्री महोदय जो उचित समझें, कर सकते हैं। नहीं कहना हो तो मत कहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सारा राजस्थान सूखे की स्थिति के अंदर ग्रस्त है, सरकार का पुनीत कर्तव्य है कि अपना पक्ष भी दो शब्दों में सदन की मेज पर रखे ताकि हम उस पर कुछ बोल सकें। अगर सरकार को नहीं कहना है तो मैं बाध्य नहीं करता लेकिन सरकार की तरफ से कमी होगी, ऐसा मैं अनुभव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहूंगा। पहले की परम्परा क्या रही हो लेकिन नियमों में प्रावधान है कि जब कोई संकल्प या प्रस्ताव रखा जाता है तो संकल्प रखने वाले का राइट भी है कि डिवेट इनीशिएट करते समय बोल सकते हैं। जब मंत्री महोदय के लिए कहा जा रहा है कि रिजोल्यूशन रखते समय कुछ चर्चा कर लें, सरकार का अधिकार है जवाब देने का। लेकिन उससे पहले सरकार की ओर से संक्षेप में सारी पृष्ठभूमि की जानकारी दी जाती है।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम आभारी होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : तो सुविधा होगी।

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में आई बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार किया जाय।

आज जिस प्रस्ताव पर जो बहस होने जा रही है उसके अंदर यह मुद्दा उठाया गया है कि राजस्थान में जो बाढ़ आई उसमें कितना नुकसान हुआ और उसके अनुसार सरकार की तरफ से राहत पहुंचाने के लिए कितनी व्यवस्था हुई। इसके साथ-साथ अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। ये दोनों मुद्दे आज चर्चा के मुख्य विषय हैं। अतिवृष्टि के कारण से, बाढ़ जिस क्षेत्र में आई वहां पर नदियां ओवरफ्लो हुईं, नाले ओवरफ्लो हुए व जितने बांध थे टूटे और जहां-जहां पानी इकट्ठा होता गया, पानी बहना शुरू हुआ जिसकी कोई दिशा भी नहीं रही है और बहुत से गांवों में, ढाणियों में बहता हुआ, शहरों के अंदर बहता हुआ गया जिससे आदमियों की जानें गई, पशुधन भी बरबाद हुआ, सम्पत्ति का नुकसान हुआ, मकानों की भी क्षति हुई आंशिक रूप से भी पूर्णतया भी जिसका आंकलन हम प्रतिवेदन के रूप में यहां रख रहे हैं, उसके अंदर ये आंकड़े भी दिए गए हैं।

इसके अंदर यह प्रश्न उठाया गया कि यह प्रतिवेदन लेट आया है। इसमें कोई संदेह नहीं, हमें पहले आंकड़े देने चाहिए थे। इसका कारण यही था कि हम ताजे से ताजा स्थिति सदन के सामने रखना चाहते थे। इसमें माननीय सदस्य पढ़ेंगे कुछ अक्षर स्याही से लिखे हुए हैं, उसके बारे में केंद्र से बातचीत चल रही थी। पहले हमने दूसरे आंकड़े दिए थे। बाद में जब पुष्टी हो गई तब कल जाकर फाइनल कर पाए।

श्री परसराम मदेरणा : 28 तारीख क्यों लिख दी ?

श्री जयनारायण पूनिया : कुछ आइटम्स के बारे में हम स्पष्ट नहीं थे कि कितनी राशि हमें मिलेगी। ज्यादा राशि की मांग की गई थी उसके बाद उन लोगों ने आश्वासन दिया था लेकिन हमारे पास पुष्टी नहीं हो पाई थी तब तक ये आंकड़े हम इस मेमो में नहीं देना चाहते थे। उसके बावजूद राज्य सरकार की तरफ से समय पर बाढ़ नियंत्रण के जो कदम उठाए गए। वहां पर पानी से घिरे गांव वासियों को नावों द्वारा या दूसरे तरीकों द्वारा बाहर निकलवाया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और दवाईयों की व्यवस्था करना और पशुधन जो बरबाद हो गया था उनको बचाने के लिए, टीके लगाने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई और साथ में जिनके मकान ध्वस्त हो गए थे उनको भी 300) नगद राशि दी गई है। इस प्रकार से जिनका नुकसान

(श्री जयनारायण पूनिया)

हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में नगद पैसे दिए और जिनकी मृत्यु हो गई उनको भी हमने सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री कोष से वयस्कों को एक हजार और नाबालिगों को 500) दिये हैं।

इसी प्रकार बाढ़ के कारण कुछ नमक की खानें प्रभावित हुई, सड़कें भी टूटीं, उनको ठीक किया गया, ऋण आदि की वसूलियां स्थगित की गईं। इस प्रकार जितना नुकसान था उसका आंकलन किया। और करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से नकद खर्चा हमने बाढ़ राहत कार्यों पर किया। इसी दौरान में बाढ़ के बारे में जो स्टडी टीम आई उसके आधार पर इस बारे में मैं उनसे मिला हूं और मैं बताऊं कि केन्द्र से जो हमें मिला है वह काफी है वह काफी हैं या ना काफी हैं और इस नुकसान के लिए और कितना दिया जाना चाहिए इसके बारे में माननीय सदस्य जरूर सुझाव देंगे और इन सुझावों के माध्यम से सरकार को जानकारी मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सूखा पूरे राजस्थान में पड़ा है। कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। इस प्रकार से पूरे राजस्थान कमोबेशी करके इस सूखे से प्रभावित हुआ है और 1।। करोड़ आदमी इससे प्रभावित हुए हैं। अकाल की छाया छाई हुई है बुरी तरह से, लोग महसूस करते हैं कि घास की कमी, पानी की कमी और रोजगार की कमी है और इसके लिए व्यवस्था हो और जल्दी ही इस प्रकार की व्यवस्था के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इससे पूर्व कि यह राहत कार्य खोले जायें गिरदावरी के लिए हमने आदेश दिये थे और वह गिरदावरी 5 अक्टूबर तक हम कर पायेंगे, ऐसी हमें सूचना मिली है। उसके बाद वह गिरदावरी की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास में पहुंचेगी और उन आंकड़ों के आधार पर अकाल की घोषणा राज्य सरकार कर पायेगी उससे पूर्व अकाल राहत कार्यों पर पिछले वर्षों में कुछ काम चालू थे उनको कन्टीन्यू भी रखना है। अभी भी काम चालू हैं और नये राहत कार्य खोलने के लिए तो गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद ही खोल पायेंगे लेकिन जब तक गिरदावरी की रिपोर्ट न आ जाये और अकाल की घोषणा नहीं हो जाय तब तक लोगों को रोजगार देने के लिए काम के बदले अनाज योजना चालू कर दी है और इस प्रकार के आदेश दे दिय हैं कि ग्राम पंचायतों के द्वारा यह काम करवाये जायें। जो क्षेत्र अकाल से प्रभावित हैं वहां गिरदावरी की रिपोर्ट आने के बाद पूरी डिटेल मालूम होगी कि किस प्रकार से कितने क्षेत्र के अन्दर कृषि भूमि प्रभावित हुई है जहां काश्त नहीं हो पाई और काश्त हुई भी है तो कितनी फसल जल गयी, कितनी फसल उसमें पैदा होगी और कितना उसका नुकसान होगा और आंकलन करने के बाद ही कुछ कर पायेंगे। इन परिस्थितियों के अन्दर अब माननीय सदस्य सुझाव देकर मुझे अनुगृहित करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसके संबंध में आज बोलना चाहें तो वह आज बोल सकेंगे और जो कल बोलना चाहें तो कल भी बोल सकेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में सचिवालय को लिखकर भी

(श्री उपाध्यक्ष)
जानकारी दी है कि वह यह चर्चा में भाग लेना चाहेंगे और सचेतक महोदयों की ओर से भी व्यवस्था आई है वह भी मेरे पास है । बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनके नाम सचेतकों की सूची में नहीं हैं लेकिन चर्चा में भाग लेने के लिए उन्होंने कहा उनको भी मैं अनुमति दूंगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है या स्थगन प्रस्ताव रखा है वह भी चर्चा में भाग ले सकेंगे । लेकिन समय की सीमा को देखते हुए कल माननीय मंत्री महोदय की ओर से उत्तर दिया जायेगा इसलिए जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहें, बहुत से माननीय सदस्य ज्यादा समय ले सकेंगे, लेकिन साधारणतया दस मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा ।

मा० विरोधी दल के नेता से मैं कहना चाहूंगा कि वह चर्चा में भाग लेना चाहें तो मैं उनको समय दे सकूंगा आज और अगर कल वह भाग लेना चाहें तो कल भी उनको उचित समय दे दिया जायेगा । मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहूंगा कि क्या वह आज बोलेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह : आज मैं नहीं बोलूंगा । ठीक है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा यह चर्चा आरम्भ करें ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिये थे और मैं चाहूंगा कि जिस क्रम से स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं उसी क्रम से उनको ले लिया जाये और पहले उनको बोलने का अवसर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी मैं अपने विवेक के आधार पर ही नाम पुकारूंगा । मैं सबको अवसर दूंगा ।

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके विवेक को चुनौती नहीं है लेकिन जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनकी उपेक्षा आप नहीं करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है । जो लोग विजिलेन्ट थे, जो लोग सतर्क थे अपनी कान्सटीटुएन्सी के हित में सबसे पहले आवाज उठाई थी अकाल और बाढ़ के बारे में उनको यदि आप छोड़ देंगे और मौका नहीं देंगे तो जो श्री श्योपत सिंह जी ने कहा वह ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा उसको जस्टीफाई करते हुए मैं अवसर दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार सारी स्थिति का वर्णन जो मैंने बुलेटिन में पढ़ा और जो भी आपने लिट्रेचर दिया है उससे तो मालूम हो गया है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं बोल सकते मुझे एतराज है । हमने जो सूची दी है वह पार्टी के हिसाब से दी है । श्री मूलचन्द जी डागा अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल चुके हैं और हमारा नम्बर ही नहीं आया । अविश्वास के प्रस्ताव के पहले स्थगन प्रस्ताव बाढ़ और अकाल के बारे में दिया है उसके बाद में भी आपने इनका नाम ले लिया जबकि पार्टी के व्हिप के हिसाब से मेरा नाम सबसे पहले दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे खेद है कि मैं आपका नाम पहले नहीं पुकार सका । मेरे पास ऐसी

(श्री उपाध्यक्ष)
सूची माननीय सदस्यों की है जिन्होंने अलग से सचिवालय को इस चर्चा में भाग लेने के लिए दी है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस बारे में आप रूलिंग दे दीजिए या तो यह तय कीजिए कि जो सचेतक सूची देंगे उसी हिसाब से बोलेंगे या इन्डीविजुअल मेम्बर सूची देंगे उनके हिसाब से बोलेंगे। यह फैसला हो जाय नहीं तो सचेतक महोदयों द्वारा दी गयी सूची का क्या मतलब।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके विवेक को और शासन के अधिकारों को चुनौती है। आप किसी को भी पुकार सकते हैं और केवल व्हिप के आधार पर करें तो वह भी कर सकते हैं। आपका इन्टरनल हिसाब हो सकता है लेकिन व्हिप की सूची आसन के लिए बाइन्डिग नहीं है। आसन को अधिकार है कि उनको बाई पास कर सकते हैं। सारे अधिकार सुरक्षित हैं आसन के पास।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 131 के तहत सूचना मैंने इसी संबंध में दी है और उसी दिन दी थी लेकिन अफसोस है कि कार्य सूची में मेरा नाम ही नहीं है कृपया मुझे बतायें कि मेरा नाम कब आयेगा ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, जो जागरूक थे और जिन्होंने पहले स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनको पहले अवसर दिया जाये तो उचित रहेगा। भाषण देने के लिए तो डागा जो तैयार हो जायेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : 24 तारीख को विधान सभा शुरू होने से पहले रूल 131 के नीचे बाढ़ और अकाल के लिए लिखकर दिया है। कृपया मुझे बतायें कि उसमें मेरा नम्बर है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मह मैं जानकारी नहीं दूंगा। आप बैठें...

श्री अब्दुल अजीज : अण्डर रूल 131 दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम किस क्रम में है यह बताना कठिन है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, किस का नाम है यह तो आपके अधिकार की बात है कि बतायें या नहीं लेकिन जिन लोगों ने अकाल और बाढ़ के बारे में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उनके नाम सूची में आपके पास होने चाहिए ताकि पहले उनको प्रिफरेन्स दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा जी आप शायद उपस्थित नहीं थीं। सदस्यों की सूची मेरे पास है जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये थे। श्री खेतसिंह जी कृपया चर्चा आरम्भ करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डागा जी मैदान छोड़कर भाग गये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हमारा आपस का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बाढ़ और अकाल के बारे में अपना वक्तव्य दिया और एक नोट भी सर्कुलेट किया है। मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतिहास में यह पहला मौका होगा जब इतनी भयंकर बाढ़ लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों में आई

63

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और इतनी जन-हानि हुई, पशु मरे। इस के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से इसलिये नहीं कहूंगा कि आपने समय की पाबन्दी रखी है। इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि पुष्कर के पास इतनी बारिश हो रही थी, कलेक्टर अजमेर और सिंचाई विभाग के लोग इतना जानते थे कि इतनी बरसात हो रही है तो निश्चित तौर से नदी में पानी बढ़ेगा। पुष्कर से पानी सांचौर तक पहुंचा और आगे जाकर खारी नदी में गिरा और तब तक आपके अधिकारियों की नींद नहीं खुली और किसी ने इतला नहीं की। मारवाड़ में 125 वर्ष पहिले जब बाढ़ आई थी तो इतनी हानि नहीं हुई थी। घुड़ सवारों की मार्फत आगे की आगे इतला देते थे और जान-माल को बचाने की कोशिश की थी। इस बार जो बाढ़ आई है, कहीं पर किसी ने इतला नहीं दी। जोधपुर कलेक्टर को तो मालूम ही नहीं था कि जोधपुर का पूरा जिला पार कर पानी आगे वह गया था। हजारों आदमियों को ले कर गया। कितने गांव बह गये। उसके बाद में कलेक्टर को यह मालूम पड़ा है कि उसके जिले में बाढ़ आ गई है। इसी प्रकार से आपके बाड़मेर के कलेक्टर को मालूम नहीं, जालौर के कलेक्टर को मालूम नहीं। कहने का मतलब यह कि निश्चित तौर पर बाढ़ के वक्त आपके आदमियों ने जिसकी आपने इस नोट में प्रशंसा की है कि बड़े सचेत रहे हैं, हकीकत में यह इन्हीं की गलती की वजह से है। रेडियो से कह सकते थे और इतला का जरिया ढूंढ सकते थे। इस प्रकार से निश्चित रूप से हानि कहीं कम होती। लोगों को इतला तक नहीं मिली, उस पानी में बह गये। आपने जो नोट सर्कुलेट किया है इसमें मृतकों की संख्या भी नहीं बतलाई है। आपको शेप आती है। जो लोग लापता है अगर लापता होते तो कभी के घर पहुंच गये होते। यह फिगर आपको शामिल करनी चाहिये थी आपने कहा है कि बहुत ही तत्परता से सहायता की है। आपने कोई तत्परता से सहायता नहीं की है। आप सिर्फ उपर से देखकर वापिस चले गये। बिरदमलजी सिंघवी, कालवी ठाकुर साहब को भेजा। चार-चार दिन लोगों को संभालने नहीं गये। उन लोगों की क्या हालत रही, किसी को मालूम नहीं। मैं आपसे निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह अपने सब के लिये कलंक की बात है, खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा ...

श्रीमती सुमित्रासिंह : सरकार के लिये कलंक की बात है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने लिये यह कोई खुशी की बात नहीं है। अपने लिये दुःख की बात है और इनके लिये कलंक की बात है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली। अभी भी जो आपने फिगर्स दिये हैं, बहुत कम दिये हैं। मथुरादास जी जिनकी पार्टी सेन्टर में सपोर्ट कर रही है उन्होंने स्वयं ने स्टेटमेंट दिया है कि 500 करोड़ की हानि हुई है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से क्या असिसटेन्स मिली है? एक रेज्यूलेशन बनाकर भेजिये, हम भी आपके साथ भागीदार हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा राहत मंगवाईये ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज जो राहत दी गई है वह बहुत थोड़ी राहत दी गई है। आपने 100 रुपये की राहत दी है और जिनके पूरे घर बह गये हैं उनको 300 रुपये की राहत दी है। 300 रुपये में कितने पतरे आ सकते हैं। 300 रुपये में क्या मकान बन

(64)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सकता है। मोरबी के अन्दर कम से कम 1,000 रुपया दिया है। आप 300 रुपये की जो राहत पहुंचाने की बात कहते हैं वह राहत नहीं है। यह बिल्कुल मखौल है। यह जुल्म है उन लोगों पर। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि राहत की राशि बढ़ानी चाहिये। जिनके कुएं बरबाद हो गये हैं उनको बहुत ही कन्सीड्रेट ब्याज पर पैसा देना चाहियें। आपने स्वयं बालोतरा के अन्दर घोषणा की थी कि जिनके कुओं में मिट्टी आ गई है आप उनको खुदवा कर देंगे। आप मेहरबानी करके कुओं को साफ करवाइये। 16 करोड़ की जगह 32 करोड़ देने पड़ जायेंगे। हजारों कुएं बरबाद हो गये। फार्म बरबाद हो गये जिसके अन्दर अगले तीस वर्षों में फसल पैदा नहीं हो सकती। गांव बरबाद हो गये। मवेशी मर गये। लोग कहीं के नहीं रहे। पैसा सब खत्म हो गया। घर के लोग मर गये। ऐसी हालत में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा जितना भी आप दे सकें, मैक्सीमम देने की कोशिश कीजिये ताकि लोगों को राहत मिल सके और भविष्य के लिये इस बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, अभी से तय कीजिये। यह बान्ध टिकाऊ नहीं है। कोई पता नहीं किस वक्त वष हो जाये। 14 इंच वर्षा हो गई और बांध टूट गया। 20 इंच तक की वर्षा में बांध नहीं टूटे उस शक्ति का कोई बांध बने, नहीं तो यह बांध सबसे ज्यादा रुला देंगे। इसलिये बाढ़ पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से असिसटेंस लीजिये। आप भी जितना पैसा दे सकते हैं, दीजिये ताकि वे लोग हल वगैरा खरीद सकें। उनके कुओं को आप खुदवा कर दीजिये ताकि अपनी खेती वापिस शुरु कर सकें। लाखों आदमी बेघर हो गये हैं।

अब मैं आपसे फेमिन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जैसी बाढ़ आई, यह फेमिन भयंकर है। यह एक अजीब विडम्बना है कि जिस इलाके के अन्दर बाढ़ आई, वहां फेमिन भी है। जिस वक्त बाढ़ आई बरसात बहुत हुई। उसके बाद बरसात बिल्कुल नहीं हुई और इसका कारण यह हुआ कि सारी फसल खत्म हो गई। निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां एक भी हरा पत्ता देखने को मिले। सारी की सारी फसल बरबाद हो गई और अब भयंकर अकाल की स्थिति वहां पैदा हो गई है। आज लोगों के अन्दर, कम से कम कांग्रेस राज में एक बात तो थी, लोगों को इतमीनान था कि निश्चित रूप से सरकार राहत कार्य शुरु करेगी और हमको राहत मिलेगी। पिछले वर्ष आपने 400 गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये थे। इसी तरह से बाड़मेर में विलेजेज को अकालग्रस्त घोषित किया लेकिन कोई फेमिन वर्क शुरु नहीं किया। पूरा साल यों का यों निकाल दिया . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4 लाख लोगों को एम्प्लायमेन्ट दिया है

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह दिया होगा उदयपुर, चूरू और झुन्झनूं जिलों के अन्दर। हमारे यहां जोधपुर का बता दीजिये। काम के बदले अनाज में थोड़ा सा काम करवाया था। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के लोग इधर उधर जाने की सोच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा या गुजरात में कहीं मजदूरी मिले। इसलिये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आपकी

(श्री खेतसिंह राठौड़)
ओर से कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन्स होनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी टेस्ट वर्कस शुरू हों। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कलेक्टर्स को कह दिया है। अभी तक गिरदावरी रिपोर्ट नहीं आई है। यह भी आपकी कमजोरी है। इस साल फेमिन की कन्डीशन्स है। सेशन शुरू होने से पहिले आपको कलेक्टर्स को इंसट्रक्शंस दे देनी चाहिए थीं इतने-इतने विलेजेज फेमिन इनफेक्टेड हैं लेकिन वह नहीं देकर आप कह रहे हैं कि 10 तारीख तक रिपोर्ट मंगाई है। यह भी आपकी कमजोरी है इसलिये खास तौर से कहना चाहता हूं जो विलेजेज आयेंगे और मान लीजिये सारे के सारे गांव पश्चिमी राजस्थान के फेमिन में हैं इसलिये आपका दायित्व बनता है कि कुछ न कुछ मजदूरी का काम शुरू करवाये। आपने कहा, काम के बदले अनाज की योजना शुरू कर रहे हैं। मेरा निवेदन है इस योजना में छोटा-मोटा नाड़ियों आदि का काम दिया जाता है और उसमें हर एक मजदूर लगना नहीं चाहता है। फेमिन के काम में हर एक मजदूर लगना चाहेगा। आपके कई बन्धे टूट गये हैं, कई बड़ी-बड़ी सड़के खराब हो गई है, उनके सुधार का काम लीजिये, तालाबों के काम को हाथ में लीजिये। मेरा निवेदन है ऐसे वर्क्स हाथ में लीजिये जिसमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर काम पर लग जाय।

आप देख रहे हैं लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं और अगर कहीं मजदूर मुसीबत के मारे दूर-दूर चले जायेंगे तो वे समय पर आ नहीं पायेंगे। इसलिये आप इन जिलों में ज्यादा से ज्यादा फेमिन वर्क्स खोलने का प्रयास कीजिये। उसमें राजनीति मत रखिये-जितनी नीड है उसके हिसाब से काम खोलिये। आपने कमेटी के लिये कहा है तो सत्र के बाद आप उनसे कहिये कि वे जल्दी से जल्दी अपने प्रपोजल्स भेज दें और इस महिने में काम शुरू होंगे तब तो गरीबों को राहत मिलेगी और यदि इस महीने में काम शुरू नहीं किया तो जो सबसे ज्यादा नीडी हैं वे तो दूर दराज काम की तलाश में चले जायेंगे और उसके बाद आप कुछ लोगों को ही राहत पहुंचा पायेंगे।

दूसरा मैं पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं-पानी की आने वाले समय में किल्लत होने वाली है। जहां आपके इंजीनियर हैं वे चार घंटे से ज्यादा नहीं चलाते हैं। अभी माननीय वृद्धि चन्द्रजी ने कहा था कि उनके क्षेत्र में कई योजनायें अधूरी पड़ी हैं-मेरे यहां भी ऐसी ही स्थिति है। आपके इंजीनियर केवल 3-4 घंटे ही पानी देने का ऑर्डर देते हैं, उसमें न तो मवेशी ही पानी पी सकते हैं और न पूरा पानी ही मिल पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है जहां ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं हैं उनको 8 घंटे चलाने का ऑर्डर दीजिये ताकि वास्तविक राहत पहुंच सके। जहां मीठा पानी नहीं है वहां पर टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था कीजिये। पिछले वर्ष फेमिन था और अब भी फेमिन है। जिन गांवों में समस्या है वहां पी० आई० की व्यवस्था कीजिये ताकि कुछ पैसे लेकर वे गांव वालों को पिला देंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था कीजिये।

तीसरा मेरा निवेदन है, धान की कमी आ गई है। आज धान बड़ी मुश्किल से मिल रहा है इसलिये जल्दी से जल्दी सस्ते धान की दुकानें खुलवाइये और जो धान पड़ा है उसे ग्राम सेवा सहकारी समिति, कॉपरेटिव सोसायटी आदि के जरिये धान वितरित

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कराइये और यदि कहीं कॉपरेटिव सोसायटी फंक्शन नहीं करती है तो इन्डीव्युअल को दीजिये ताकि समय पर आपका धान वितरित हो सके। गांव वालों को आप यह मत कहिये कि आपके यहां ग्राम सोसायटी नहीं है इसलिये दुकानें नहीं खुलवा सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो कई गांव वालों के साथ बड़ी मुश्किल हो जायेगी ।

जहां तक चारे का प्रश्न है, मैं निवेदन करूंगा सब जगह चारे की आवश्यकता नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन जहां आवश्यकता है, उसके लिए भी आप आदेश दीजिए और अन्त में मैं कहना चाहूंगा आपने स्वयं ने कहा था पिछली बार और माननीय भटनागर साहब ने भी कहा था कि फैमिन कोड में तरमीम करेंगे क्योंकि फैमिन कोड बहुत पुराना हो गया है और अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। हमने तो तरमीम नहीं की तो हमने जो गलती की उसे आप तो मत करिये और फिर हमारे समय में तो इतनी महंगाई भी नहीं थी जितने आपके समय में है। आपने यह भी कहा था कि इसके लिए समिति बनायेंगे और वह समिति बैठकर उसके रेट्स को रिवाईज करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है यदि फैमिन कोड में तरमीम नहीं करें तो कम से कम रेट्स तो रिवाईज्ड कर दीजिए। सब को समान मजदूरी मिलनी चाहिये और आपने रेट्स रिवाईज नहीं की तो उनकी पूरी पेट भराई नहीं होगी। अन्त में कहूंगा वसूलियों के बारे में आज ही कलेक्टर्स को आदेश दे दीजिये। जितनी वसूलियां हैं चाहे वे बिगोड़ियों की वसूली हो और चाहे तकावी की वसूलियां हों इस साल की सारी वसूलियों को रोक दें। दीवानी दावों की डिग्रियां रोक दें, यह आवश्यक है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही कलेक्टर्स को आदेश दीजिये ताकि वसूलियां रुक जायं ।

ये सुझाव मैंने आपके सामने रखे हैं और मुझे विश्वास है जो अन्धे, लूले, लंगड़े लोग हैं उनको भी आप राहत पहुंचायेंगे। एक निवेदन और कर देना चाहता हूं चिकित्सा के बारे में और वह यह है कि फेमिन में लोगों की हैल्थ कमजोर होती है, तो उसकी भी आप कोई न कोई व्यवस्था कीजिये। फेमिन के बारे में आप पूरे इलाके से वाकिफ हैं इसलिये मेरे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि जिस समय आप भाषण देंगे तो निश्चित रूप से यह घोषणा करेंगे कि आम-अवाम को फायदा हो— यहां के मजदूरों के लिये, किसानों के लिये अवश्य आप कोई न कोई घोषणा करेंगे। उन लोगों के लिये डीजल, सीमेंट आदि की आवश्यक व्यवस्था हो — रबी और खरीफ की दोनों फसलों के लिये आप व्यवस्था करेंगे, यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर !

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष जी, इस वैज्ञानिक युग में जब विज्ञान के साधन इतने विकसित हैं कि मानव अन्तरिक्ष से सम्पर्क साधे हुए हैं, तदुपरान्त भी इस राज्य सरकार की मशीनरी ने एक भयंकर बाढ़ की चेतावनी प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नहीं दे सकी जिसके फलस्वरूप वहां सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों मकान गिरे, लाखों पशु मरे और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। उपाध्यक्ष जी, अगर राजस्थान में एक सजग, कुशल और उत्तरदायी सरकार होती तो निश्चित

(श्रीमती मदन कौर)

रूप से इस नुकसान को बचाया जा सकता था। मान्यवर एक सजग, कुशल और उत्तरदायी प्रशासन ऐसी प्राकृतिक विपदाओं की चुनौति को किस प्रकार स्वीकार करती है उसके दृष्टांत सदन के समने रखना चाहती हूं—सन् 1933 में मेट्रोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, पूना की इस चेतावनी पर कि करांची और आस-पास के सिन्ध क्षेत्र भयंकर बरसात होने वाली है, इस चेतावनी के आधार पर बम्बई के गवर्नर ने चूंकि सिन्ध प्रान्त बम्बई के अधीन था, बम्बई के गवर्नर ने तत्कालीन जोधपुर सरकार को तार द्वारा मैसेज दिया था। इस मैसेज का मजमून में सदन को पढ़ कर सुनाना चाहती हूं—

His Excellency the Governor of Bombay desires that all possible arrangements be made to save life and property of Karachi and adjoining areas threatened by unprecedented rain. Government of Bombay will re-imberse entire expenditure.

मान्यवर, जोधपुर सरकार ने इस तार द्वारा भेजे गये सन्देश के आधार पर 24 घंटे के भीतर-भीतर, विपदा के घटने से पूर्व 10 विशेष रेल गाड़ियां सिन्ध क्षेत्र में सिन्ध को सुपुर्द कर दीं और आज जब स्थानीय प्रशासन, सचिवालय और लोगों के बीच में तार, टेलीफोन और वायरलेस के माध्यम से 24 घंटे सम्पर्क बनाये हुए हैं ऐसी परिस्थितियों में इस बाढ़ की चेतावनी क्षणों में हमको पहुंचाई जा सकती थी और एस. ओ. एस. मैसेज के माध्यम से वहां के जान और माल की सम्पत्ति को बचाने के लिये बहुत कुछ साधन जुटा सकती थी लेकिन मुझे दुःख है कि उन क्षेत्रों में पानी भरने के 40 घंटे बाद तक भी सरकार को कोई सूचना नहीं लगी।

श्री नूरा : × × ×

श्रीमती मदन कौर : लूणी और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट में 14 जुलाई से 16 जुलाई तक लगातार मूसलाधार बरसात हो रही थी। क्यों इस प्रशासन ने किसी भी स्तर पर इस बात को अनुभव नहीं किया कि इसकी वजह से लूणी नदी के आस-पास के क्षेत्र में बाढ़ आएगी। श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि पीपाड़ कस्बे में पानी आने के तीस घण्टे बाद बालोतरा में पानी आया। क्या 30 घंटे के लम्बे अन्तराल में राज्य सरकार बालोतरा नगर के लोगों को चेतावनी नहीं दे सकती थी? ऐसी प्रशासनिक दुर्व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, इसे सरकार कहा जाय या माननीय विपक्ष के नेता के शब्दों में × × × यदि कोई सम्माननीय सरकार होती तो इस असफलता के लिए, इस अकर्मण्यता के लिए त्याग-पत्र दे देती। लेकिन ऐसी सरकार जो जन-हित को इस हद तक नकारे उसमे त्याग-पत्र की अपेक्षा करना ही निरर्थक है।

उपाध्यक्षजी, इस बाढ़ के फलस्वरूप उस क्षेत्र में हजारों मकान गिरे। पांच सौ से अधिक लोगों की जानें गईं। लाखों पशु मरे, हजारों बीघा उपजाऊ जमीन बंजड़ हो गई और कृषि कुओं को तो इतना नुकसान हुआ कि कुछ का तो नामों निशान ही मिट गया। अकेले बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र में पांच करोड़ के करीब का नुकसान हुआ है। पचपदरा नमक क्षेत्र तबाह हो गया। वहां की खानों को तो नुकसान हुआ ही है साथ ही जो तयारशुदा नमक था वह भी पानी में बह गया। इन सब के अतिरिक्त अनाज और घरेलू उपयोग की सारी चीजें और इसके अतिरिक्त

× × × अभिव्यक्ति शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती मदन कौर)

सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति का अनुमान करें तो करोड़ों में आएगी। ऐसी दर्दनाक स्थिति में जब हजारों लोग खुले आकाश में नये सिरे से जिन्दगी की शुरुआत करने को बाध्य थे बालोतरा क्षेत्र में प्रसाशनिक दुर्व्यवस्था भी अपनी चरम सीमा पर थी। चोरी, मुनाफाखोरी और लूटपाट का बोलबाला था। असामाजिक तत्व वहां के लोगों को बाढ़ का भय दिखाकर, बाढ़ के खतरे का भय दिखा कर, उनको हक्का बक्का करके भगा रहे थे और पीछे से जो कुछ बंचा कुचा सामान था उसकी चोरी कर रहे थे। इस बीच निर्जन स्थानों पर पड़ी हुई लाशों पर से जेवर आदि निकालने की घृणित वारदातों की भी कमी न थी और वहां का प्रशासन तमाशबीन की तरह देखता रहा। मान्यवर, सरकार से अभिप्राय केवल बहुमत के आधार पर राज करने से नहीं होता। सरकार का अभिप्राय अपनी जनता को सुव्यवस्थित प्रशासन देने से व एक से व्यवहार से होता है। जो कि यह सरकार इस संकट की घड़ी में भी नहीं दे सकी। श्रीमान्, इस मंत्री परिषद् के कार्यकाल की यह, सबसे बड़ी विपदा थी लेकिन इसमें भी राज्य के मुख्य मंत्री उस क्षेत्र के दौरे पर गए, पूरे दो महीने के बाद और वह भी केवल औपचारिकता निभाने।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता, अकर्मण्यता और उदासीनता इस हद तक थी कि बाढ़ आने के सात-सात, आठ-आठ दिन बीत जाने के बाद भी उन गांवों से इस सरकार का सम्पर्क नहीं बन सका। सठाणा, कनाणा, रामसिंग, मथेरा, बांदणा, जैसे एक दर्जन से अधिक गांव गिनाये जा सकते हैं। सात-आठ दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन कोई सम्पर्क नहीं साध सका जब प्रशासन सम्पर्क ही नहीं साध सका तो वहां वे लोग किस स्थिति में भूखे प्यासे की स्थिति में रह रहे हैं, जिस प्रकार से जिन्दगी और मौत के बीच में लोग जूझ रहे थे? जब सम्पर्क ही नहीं था तो राहत पहुंचाने का तो प्रश्न ही कहां था? उपाध्यक्ष महोदय, उस समय वहां प्रशासन तो एकदम दिशाशून्य हो चुका था और सचिवालय की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं। यहां मंत्रीगणों से बात करें, उनको सुझाव दें तो उत्तर मिलता है कि केन्द्रीय सरकार यह नहीं करती, केन्द्रीय सरकार वह नहीं करती। आखिर यह सरकार किस मर्ज की दवा है? इस सरकार का भी तो कोई दायित्व था। कुछ समय बाद यहां के कुछ अधिकारी, कुछ मंत्रीगण मौके पर जायजा लेने गए लेकिन राहत स्वरूप कुछ दे नहीं पाये। इस सरकार के इन अधिकारियों को राहत के नाम पर और यहां तक कि तात्कालिक राहत के नाम पर भी कुछ खर्च करने का अधिकार नहीं दिया था। वे तो केवल जायजा लेने के अधिकारी थे। मान्यवर, चूंकि इन मंत्रीगणों का उस क्षेत्र की स्थानीय जनता से कोई सम्पर्क नहीं था, उस क्षेत्र के प्रति इनकी कोई दिलचस्पी नहीं, उनके उस क्षेत्र के प्रति उदासीन होने के कारण वहां पर जो मंत्रीगण गए वे इस बात का भी पता नहीं लगा सके कि वहां किस चीज की आवश्यकता है और किस मात्रा में? स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात को सुनना उनकी बैठक बुलाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रतिनिधि भले ही उनके पीछे फिर-फिर कर सुझाव दें। मान्यवर, इसका नतीजा यह हुआ कि इस कम्युनिकेशन गेप की वजह से यह राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपना पक्ष उचित समय पर उचित कार्य ...

(श्रीमती मदन कौर)

और तक संगत रूप में नहीं रख सकी। यहां तक कि यह सरकार केन्द्रीय अध्ययन दल को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी नहीं करा सकी। इसके बावजूद अगर यह सरकार केन्द्रीय सरकार को यह कहे कि उसने पर्याप्त धन नहीं दिया उसका पक्षपातपूर्ण रवैय्या रहा तो मेरा यह कहना है कि उनका यह आरोप पूर्णतया आधारहीन है और पूर्णतया राजनीति से प्रेरित है। आपके माध्यम से, मान्यवर, मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि इस विपदा के संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जो-जो ज्ञापन समय-समय पर दिए, उनकी एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखें। ताकि सदन के माननीय सदस्यों को यह पता लग सके कि स्वयं हमारी राज्य सरकार का रवैय्या इस बारे में कितना निराशाजनक रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को तो आभार मानना चाहिए उन स्वयं सेवी संस्थाओं का, उन दानदाताओं का जिन्होंने अपने प्रयासों से उस क्षेत्र की जनता को तत्काल राहत के रूप में खाद्य सामग्री, कपड़ा, दवाइयां और सिरकियां उपलब्ध करवाई, अन्यथा वहां के हजारों लोग भूख और बीमारी के कारण मर जाते और उसका कलंक इस सरकार पर आता।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज भी राज्य सरकार और प्रशासन उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ठीक तरह नहीं आंक रहा। प्रशासन का यह कहना कि वहां सीमेंट और चद्दरों की भरमार है; वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। सीमेंट जिसके लिए राज्य सरकार का यह कथन है कि भरमार है, भरपूर मात्रा में पहुंचा दी गई है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जहां काश्तकारों को अपने कुओं की मरम्मत के लिए जहां औसतन चालीस-चालीस कट्टों की आवश्यकता है, वहां पर दस-दस बार बालोतरा के चक्कर लगाने पर भी जो सीमेंट दी जा रही है वह है केवल चार कट्टे। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, टिन की चद्दरों की स्थिति भी बड़ी अजीब है चूंकि वहां पर हजारों की संख्या में मकान गिरे हैं वहां पर टिन की चद्दरों की आवश्यकता है लेकिन जिला प्रशासन कहता है कि वहां टिन की चद्दरों का कोई खरीददार ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जो टिन की चद्दरें वहां भेजी हैं वे मोटी हैं। 16 और 18 गेज की हैं, वजनदार चद्दरें होने से इसकी कीमत भी ज्यादा है। दूसरे उन चद्दरों के ऊपर कोई ट्रेड मार्क भी नहीं। जिन चद्दरों का कोई अन्यत्र खरीददार नहीं मिला, राज्य सरकार ने उन चद्दरों को बाढ़ क्षेत्र में भेजा जहां के लोगों की क्रय शक्ति लगभग शून्य हो चुकी है। मेरा आरोप है राज्य सरकार पर कि अगर ऐसी घटिया और ज्यादा कीमत की चद्दरें वहां बाढ़ ग्रस्त लोगों को देती है तो यह सरकार भी व्यापारियों की तरह से उन लोगों का संकट के समय शोषण कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के समय ऐसा प्रतीत होता था कि वहां प्रशासन अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। मुझे आश्चर्य हुआ यह जान कर कि जब सीमेंट और चद्दरों की जरूरत बालोतरा में है तब यह सारी सामग्री से भरी हुई ट्रेन बाड़मेर ले जाने में क्या तुक था और वहां से पुनः वितरण के

(श्रीमती मदन कौर)

लिए ये सारी सामग्री बालोतरा लाई गई। इसी प्रकार एक और उदाहरण इस प्रशासन की अकुशलता और अव्यवहारिकता का मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। लूणी नदी में पुनः पानी चढ़ जाने के कारण कई गांवों का सम्पर्क बाड़मेर जिले से टूट गया तब उन गांवों को अनाज नहीं भेजा जा सका। जिला प्रशासन को यह समझ में नहीं आया कि इन गांवों को अनाज जालौर अथवा जोधपुर से जहां कि अनाज से एफ. सी. आई. के गोदाम भरे पड़े थे भेजा जा सकता था। वहां से उपलब्ध कराया जा सकता है। दुःख की बात है कि इस सरकार को और जिला प्रशासन को मेरे द्वारा सुझाव देने के बाद भी वहां पर अनाज नहीं भेजा जा सका और वहां के बाढ़ प्रभावित लोगों को वही सड़ा गला अनाज खाने को बाध्य होना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के फलस्वरूप सारे प्रभावित क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई है। सरकार उनकी उदारता से सहायता नहीं करेगी तो वे अपने पावों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। बाढ़ का सबसे भारी प्रहार उन किसानों पर पड़ा है जिनके खेत बाढ़ की चपेट में आ गये। कहीं-कहीं तो दस फीट दरारें जमीन में पड़ गई है और कहीं-कहीं पर बजरी और कंकड़ के मिलने से खेत बंजर हो गये हैं। इसी प्रकार से बड़ी संख्या में कृषि कुओं को भी नुकसान पहुंचा है। मान्यवर लूणी का आस-पास का क्षेत्र मारवाड़ का खलिहान माना जाता था। आज वह खलिहान बंजर पड़ा है। उस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। मैंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के दौरे से आने के बाद 31 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जी और सहायता मंत्री महोदय को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि इस जमीन और कुओं को सुधारने के लिए, उस कृषि उत्पादन क्षेत्र को पुनः उपजाऊ बनाया जा सके, उसके लिए वहां के किसानों को दस-दस हजार रुपये की सहायता दी जाए जिसमें आधा अनुदान और आधा ऋण हो। उसके साथ साथ यह सुझाव भी दिया था कि उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध करायी जाए। हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कृषि एवं सिंचाई राज्य मंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया और वहां की हालत को देखकर, वहां के लोगों की स्थिति को समझकर मेरे द्वारा दिए गए सुझाव की व्यवहारिकता और उपयोगिता को समझकर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दस हजार रुपये की सहायता प्रति किसान देने के लिए केन्द्रीय सरकार सहमत होगी। लेकिन मान्यवर, उस दस हजार रुपये की राशि को भी इस राज्य सरकार ने घटाकर आठ हजार रुपया कर दिया। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार किसानों की तरफ उदार हो सकती है लेकिन इस सरकार के द्वारा किसानों के प्रति उदारता का रवैया अपनाना संभव नहीं दीखता है और फिर भी यह सरकार अपने आप को ग्रामोन्मुखी होने का दावा करती है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा में नमक उद्योग है। वहां का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यह उद्योग भी बाढ़ के कारण चोपट हो गया। खानों की तो भारी क्षति हुई ही है साथ ही वहां पड़ा तैयार शुद्ध नमक बाढ़ में बह गया। राज्य सरकार से ऐसी जानकारी मिली है और राज्य सरकार के द्वारा जो यह नोट प्रसारित किया गया है, उसमें भी यह कहा गया है खार वालों को पांच हजार की सब-

(श्रीमती मदन कौर)

मीडी और कुछ ऋण के रूप में इन खानों की मरम्मत के लिए दिया जाएगा लेकिन मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस राज्य सरकार ने इन नमक की खानों के सम्बन्ध में सदैव से अपना यह एटीट्यूट रखा है और सुप्रीम कोर्ट में भी यह दावा पेश किया है कि इन नमक की खानों की मालिक राजस्थान की सरकार है। तो मेरा यह निवेदन करना है कि जब ये खाने राजस्थान सरकार की सम्पत्ति हैं तब उनकी मरम्मत कराने का पूरा खर्चा राज्य सरकार को स्वयं ही वहन करना चाहिए। इस अवसर पर राज्य सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिये। सम्पत्ति, आया ये खानें राज्य सरकार की हैं तो फिर वह पूर्ण मरम्मत का खर्चा सरकार वहन करे अन्यथा यह स्वीकार करे कि इन खानों पर सम्पत्ति का अधिकार खान वालों का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान उस तैयार शुदा नमक की ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं जिसकी तरफ राज्य सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया है। ऐसा तैयार शुदा नमक जिसकी नपती की औपचारिकता बाढ़ के पूर्व पूरी नहीं हो सकी लेकिन वहां के कार्यरत निरीक्षकों की डायरी में इन्द्राज के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कितना नमक तैयार शुदा पड़ा था और इसे आधार मान कर उस नमक का भुगतान उन लोगों को राज्य सरकार करे।

इसके अलावा मैं औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगी। पिछले दो साल से बालोतरा का इन्डस्ट्रीयल कम्लेक्स तैयार हुआ परन्तु आज वहां पर बड़ी उदासी का वातावरण छाया हुआ है। जहां एक ओर धन की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर सोडा ऐश और बहुत संक्षेप में ही पूरा कर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रही हूं।...कास्टिक लिक्विड जैसी चीजों की आवश्यकता हैं। मैं स्वीकार करती हूं कि धन के सम्बन्ध में उनकी मांग को कुछ हद तक पूरा किया गया है परन्तु सोडा एश और कास्टिक लिक्विड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रयास करके इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिये। इन्डस्ट्रियल एरिया में आज तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। चूंकि वहां का उद्योग खास तौर से रंगाई छपाई का है। इसलिए पानी महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि पानी की सप्लाई तुरन्त रेस्टोर की जाए।

इन मोटी-मोटी बातों के अलावा मेरा निवेदन राज्य सरकार से बाढ़ के समय छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योग की कमियों के सम्बन्ध में है उनको भी इस बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचकर निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ तो उनके कच्चे मकान गिर गये और इनकी, जिन छोटे व्यापारियों की दुकानें नीचे के क्षेत्र में थीं उनका सारा माल पानी में, बाढ़ में बह गया। ये किराने के व्यापारी थे या कटपीस के कपड़े के व्यापारी थे। मेरा सुझाव है कि जिन छोटे व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर 25,000 से ज्यादा का नहीं है उन लोगों को राज्य सरकार रियायती दर

(श्रीमती मदन कौर)

पर कर्जा दिला कर उनकी आवश्यकता को पूरा करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिये ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार स्थायी बाढ़ नियन्त्रण के बारे में अपना रवैया स्पष्ट करें । चूंकि पिछले वर्षों में जैसा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है उस क्षेत्र में वर्षा अधिक हुई है जिसके परिणामस्वरूप नदियों में पानी आया है और यदि आने वाले वर्षों में भी वर्षा अधिक हुई तो उसके लिए सालाना योजना बाढ़ नियन्त्रण की बनायी जानी चाहिए और उसको भी स्थायी बाढ़ नियन्त्रण योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, दो शब्द मैं सूखे के बारे में निवेदन करूंगी । चूंकि बाढ़ के बाद में सूखे की भयंकर समस्या हमारे क्षेत्र में पैदा हो गई है । इस साल यह समस्या केवल बाड़मेर अथवा पश्चिमी संभाग में नहीं है बल्कि समूचे राजस्थान में कमोबेश रूप में यह समस्या खड़ी है । चूंकि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में अकाल की समस्या है । वहां भी सूखे की समस्या है । पड़ौसी राज्य अकाल के समय हमारे मददगार होते थे परन्तु इस बार वे भी मदद नहीं कर सकेंगे । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह राज्य सरकार समय रहते चेते और एक तरफ भारत सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख कर पर्याप्त धन प्राप्त करे, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था को भी इस प्रकार तैयार करे ताकि प्राकृतिक विपदाओं का हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें । अन्त में मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि सूखा, बाढ़ और इस तरह की विपदाओं के लिये राजस्थान में एक सर्व-दलीय समिति का गठन किया जाना चाहिये ताकि इस सम्बंध में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से हो सके, धन्यवाद आपने मुझे पर्याप्त समय दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब अकाल के संबंध में बातें हो रही थीं तो मुझे ध्यान आया कि जब अविश्वास का मौका था तब तो अन्याय की पराकाष्ठा, पापाचार की पराकाष्ठा, दुराचार की पराकाष्ठा, लॉ एण्ड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति की पराकाष्ठा सब हो गई लेकिन जब अकाल की बात करनी है, बाढ़ की बात करनी है तो एक हो कर बात करेंगे । जब गोकुल में इन्द्र भगवान का भयंकर प्रकोप हुआ तो कृष्ण ने कहा था कि सब एक हो जायेंगे तो मुकाबला कर लेंगे । जब 120 एक तरफ हों, तो 120 में से भी 80 निकल जायें तो 40 की शक्ति बाकी रहेगी वह क्या कोई अकाल और बाढ़ का मुकाबला कर सकेगी । तो 120 और 80 सब को मिलकर अकाल का मुकाबला करना है . . .

(व्यवधान)

आप मेहरबानी करके मेरी बात भी सुनिये । हो सकता है मैंने गलत कहा हो आप कम से कम इतनी सहिष्णुता तो रखिये जब हम आपकी बात शांति से सुनते हैं तो आप बीच में काहे को कहते हैं । दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता था मेरे पास मेरे एक मित्र मोतीलाल जी छापरवाल, उन्होंने मेरे पास दो दोहे लिख-कर भेजे उनका मेरे पर असर हुआ वह मैं निवेदन करना चाहता हूं । माननीय सदस्यों

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पर भी असर होगा—

तजी न जावे आप. सुख सुविधा तो रंच ।
आंसू म्हांको काल का, यो कोरो प्रपंच ॥

ही आंसू तो वहीं रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से कोई त्याग नहीं करते । फिर दूसरा दोहा है—

खायरिया है देश का जन हूंख्या तृण छाल ।
मौजा करो विधायकों थांके कठ्यी अकाल ॥

तो मैंने अपना 15 दिन का वेतन 250 रु. माह सितम्बर में दिया । इस महीने में 15 दिन का वेतन और देने की घोषणा करता हूं और दिसंबर से जून तक 500 और दे दूंगा ताकि मेरे मन को थोड़ा सा सन्तोष हो । यह है कितना कम ? वैसे तो समुद्र में बूंद बराबर, लेकिन अगर हम सब लोग 500-500 दें तो एक लाख हो जायेंगे । एक लाख से मनोबल बढ़ेगा और दूसरे लोगों को, अधिकारियों को भी कह सकेंगे । आप कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा । लेकिन भगवान राम द्वारा लंका विजय के लिए पुलिया बनाते समय गिलहरी ने कुछ कंकर डाले । उससे पुलिया नहीं बनी पर मनोबल ऊंचा हुआ लेकिन मैं फिर से निवेदन करता हूं, सुनिये, मेरी बात आपको अप्रिय लगेगी लेकिन इतनी सहिष्णुता तो होनी चाहिये कि अप्रिय बात भी आप सुन सकेंगे । दूसरी बात में निवेदन करना चाहता हूं जहां अकाल है, कोई भी माननीय सदस्य प्रथम श्रेणी में नहीं घूमें, हम प्रथम श्रेणी में जायें और वे लोग भूखों मरें । दूसरा एक माह के वेतन के बारे में मैंने निवेदन कर दिया । तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मेडीकल रिइम्बरसमेंट इस वर्ष हम न लें और 2250 रुपये हमको चाहे कसी क्लास में घूमने के मिलते हों, क्यूं न मैं क्या हम अकाल के दिनों में हिन्दुस्तान में घूमते फिरेंगे ? ये 2250 रुपये जो भी संबंधित मंत्री या सी. एम. हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 2250 के कूपन्स की ऐसी व्यवस्था करायें कि हमें पूल से जीप मिल जाय और अपने-अपने क्षेत्रों में घूम सकें लेकिन ये 2250 रुपये इस काम में खर्च किये जायं । मैं अपने 2250 के कूपन्स आपको भेंट करता हूं अगर आप 2250 की बजाय जीप की सुविधा न भी करें तो भी मैं हिन्दुस्तान में नहीं घूमूंगा । फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय भी ज्यादा दौरे करना खत्म करें उन पर जो खर्चा होता है वह शंका से परे होना चाहिये और कृपा करके उद्घाटन भाषण जून तक बन्द कर दें तो बड़ी कृपा होगी ।

छोटे-छोटे जितने भी तालाब बन सकते हैं उनको कृपा करके बनायें । जहां-जहां एनीकट हो सकते हैं वे बनायें ताकि वाटर कुओं में ऊंचा आये और माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके ऐसी मीटिंग बुलायें और गंगाजल की सौगन्ध दिलायें कि अकाल के दिनों में तालाबों से पैसा नहीं खायेंगे । पेडापेक्स लगायें । मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं माण्डलगढ़ से जहां औसत से हमेशा ज्यादा बरसात होती थी वहां पानी मिलना दुर्लभ हो गया इसमें राजा को दोष दें तो यह भी ठीक नहीं । तभी तो मैं कह रहा हूं कि—

काट लिया सब रूखड़ा, वन का सेपट पाट ।
क्या झाके बरसात की जदी जीवड़ा वाट ॥

काहे को इन्तजार करते हैं बरसात का ? जब वृक्ष काट लिये । पहले पेड़ों की वजह से रुकते रुकते पानी आता था अब एकदम आता

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है जिससे बाढ़ और अकाल भी इसी वजह से आता है तो कृपा करके जहां वहां पेड़ लगाने दें और लगाने वाले को घास काटने दीजिये । और इस प्रकार वृक्षों से जब राजस्थान हरा-भरा होगा तो हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को अनाज देने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे । जहां-जहां नदियों में पानी खूब हो जैसे बनास, बेंडच वगैरा, जिनमें अगर पानी का भण्डार हो तो कृपा करके लिफ्ट इरिगेशन इस साल से शुरू कर दीजिये । एनीकट के लिय मैंने आपसे निवेदन कर दिया । जहां-जहां कुओं में खूब पानी उपलब्ध हो वहां कृपा करके वहां बिजली युद्ध स्तर पर लगावें ताकि लोग मवेशियों को जिला सकें, खुद सभी जी सकें और जो-जो कुएं गहरे करना चाहते हों उन्हें लोन और सबसीडी खूब दीजिये और जहां-जहां डीजल उपलब्ध है, प्राथमिकता उनको दीजिये जो कुओं को सिंचित करना चाहते हों । और जहां-जहां सरकार के बीड़ हैं, वे पंचायतों को दीजिये । मैं हर साल निवेदन करता हूं । आप आधी पांती कटवाइये । आधी घास किसान ले जायेगा बाकी को पंचायतों को दीजिये जो उसकी 1/4 बचायेंगे और हर साल गंजियों द्वारा सुरक्षित रखेगी ताकि जब अकाल पड़ेगा उस समय काम आयेगी। हमारे मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह जी को लोग क्यों याद करते हैं क्योंकि वो हर साल घास की गन्जियां लगाते थे और उससे बड़ी सहायता मिलती थी । .

इसके अलावा मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ढाई साल के अरसे में शराब बन्दी के अच्छे कदम उठायें हैं । 15 जिलों में शराब बन्दी हुई है लेकिन आपको और हम को भी घर-घर जाना होगा । हमारे समाज के पतन का मूल कारण है तो शराब है । शराब बन्दी के हम लोगों को प्रयत्न करने हैं । अगर कोई एम० एल० ए० शराब पीता है तो कृपा करके ऐसा कानून बनायें कि वह असेम्बली में घुस नहीं पायें । अगर कोई राज कर्मचारी शराब पीता हो तो उसको भी नौकरी से निकालें . . .

(व्यवधान)

यह आपके लिये भी, मेरे लिये भी और मिनिस्टर के लिये भी होना चाहिये ।

श्री ओंकार लाल चौहान : आपने तो प्रत्यक्ष देखा है, हाउस में. . . .

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने प्रत्यक्ष देखा है । अलदा राम जी भी शराब पीते रहे है । माननीय बजरंग लाल जी भी घुस होकर आये हैं । उनके मुंह से बदबू आ रही थी । लगान और जितनी वसूलियां है, वह कृपा करके इस साल बन्द कर दें । इस साल जीमन और भोज नहीं होने दें । ताकि अकाल का सामना कर सकें । मैं थोड़ी सी बातें और निवेदन करूंगा । मेरे य हां मक्कीहोती है उसकी कड़प यों की यों ही डाल दी जाती है । जानवर वह डंठल खा नहीं पाते हैं । इसलिए कुट्टी की मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए । भूट्टा तो इस वर्ष चिपक गया । लेकिन मक्की का डण्ठल काटा जा सकता है । इससे एक-एक टुकड़े का उपयोग हो जायेगा । मवेशी इसे पचा सकेगा । कुट्टी की मशीन के लिए आधा लोन और आधी सब्सीडी दी जावे ।

एक माननीय सदस्य : यह क्या दिया जाएगा । मेहता साहब !

श्री मनोहरसिंह मेहता : कड़वी की कुट्टी कर उसमें पानी और नमक मिलाकर थोड़े में गुजारा हो जाएगा। मैं आपका अधिक समय तो नहीं लूंगा। लेकिन जो थोड़े सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान दें इससे हम अकाल और बाढ़ का सामना कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वर चन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ की विभीषिका राजस्थान में है। लेकिन मैं भारतीय संविधान के आर्टिकिल 39 की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें केन्द्रीय सरकार का भी यह दायित्व है कि देश में किसी जगह कोई आदमी भूखा नहीं मरे। मैं यह निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि यह बात आपको चुभेगी। क्योंकि देश में अकाल और बाढ़, प्रधान मन्त्री, चरण सिंह ने अपने 15 अगस्त के भाषण में मौरवी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। एक शब्द नहीं बोले। वह इतने कहां संवेदनशील हो सकते हैं। राजस्थान को आज करोड़ों की सहायता चाहिए। वह कहां दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अगर कोई भूख से मरता है तो जितनी जिम्मेदारी भैरोंसिंह सरकार की है, उससे अधिक चरण सिंह सरकार की जिम्मेदारी है। आज क्या हालत है। मैं कल अपने क्षेत्र से होकर आया। पांच साल से काश्तकार सभी समर्थ लोग हैं। जो घोषणा की है, उसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। बाढ़ और अनावृष्टि के बावजूद जो हुआ। अभी तक जो भाव था वह 260 से लगाकर 270 तक था। जिस दिन यह घोषणा की गई कि हम जमाखोरों को पकड़ेंगे। उस रोज से दर 210 और 205 होकर रह गई है। अकाल की समस्या है। हमें सावधान होकर काम करना होगा। जो विरोधी दल के नेता महोदय हैं आप जो चाहें बोल लें। आप में कितनी संवेदना हो सकती है, वह देख रहा हूं। अकाल में राजस्थान जूझ रहा है।

श्री बालकृष्ण थानवी : इन्होंने नहीं कहा है।

श्री नवरंग सिंह : राजस्थान जल रहा है राजस्थान अकाल की चपेट में है।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं मानता हूं। आप के दल के नेता....

(व्यवधान)

मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके नेता महोदय कह रहे थे, आपकी सरकार को सम्मान पूर्वक विदाई दे रहे हैं। आज वह खुद चले गये हैं।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : आप किसानों की जगह एक राजा को सुन रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने जो सवाल उठाया है आपको पता है। जब से विधान सभा में आया हूं, मैंने

(श्री ईश्वर चन्द्र)

यह कहा है, अगर अकाल से लड़ाई लड़ना है तो वास्तव में जनता को काम करना होगा। डा. लोहिया ने लोक सभा में कहा था। सन् 66 में लोक सभा में अकाल पर बहस हुई थी तब उन्होंने कहा था हमें सरकार की दिशाहीनता पर दुःख है। हम अपने-अपने संशोधन पेश करें। आप जानते हैं कि अल्टीमेटली अकाल पड़ता है इसके बाद भी हम कोई प्रभावी इम्प्रूवमेण्ट नहीं कर सके। डा. लोहिया ने कहा था, यह सच है कि भारत सरकार ने 1883 में अकाल संहिता को पूरे देश में लागू किया था। इसी की मातहती में विभिन्न प्रादेशिक अकाल कानून बने। फिर बीच-बीच में इन प्रादेशिक कानूनों में परिवर्तन होते रहे। लेकिन जो भी परिवर्तन हुए, वे सब भारत सरकार ने अपने प्रस्तावों द्वारा किये। मिसाल के लिए 31 मार्च, 1897 के प्रस्ताव नं. 995 द्वारा भारत सरकार ने हिदायतें दीं :– (1) बिना दांत के बच्चों की मां को नकद राहत। (2) दांत वाले बच्चों को मुफ्त रसोई में भोजन और जो राशन बचे वह मां ले जाये। एक बार लोकमान्य तिलक ने 1886 में केसरी में लोगों को ललकारा था कि वे भूखों मरतों को खाना खिलायें और बिल यानी खर्च-पुर्जे को कलेक्टर के यहां भेजें क्योंकि अकाल संहिता के मुताबिक कलेक्टर ने ऐसा एलान किया था। लेकिन मैं, अकाल राहत मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अकाल संहिता से ऊपर उठ कर ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां और वालण्टरी संस्थाओं के साथ मिल कर सामना करें।

श्री बालकृष्ण थानवी : डा. लोहिया ने यह भी कहा था, जरूरी काम 5 साल इन्तजार नहीं करते हैं। आप 5 साल टाल देते हैं।

एक माननीय सदस्य : डा. लोहिया ने दल-बदल के लिए भी नहीं कहा था। आपने 5 साल पहले ही दल बदल लिया है।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी: दल बदल आपने किया है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : आप तो उनके आने से पहले ही चले गये है।

श्री ईश्वरचन्द्र : जब डॉक्टर लोहिया का नाम लेते हैं तो इज्जत से तो लीजिये। आपने कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (यू) के लोगों को कुर्सी पर बिठा दिया, जो हमारी छाती पर बैठे हैं–

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : शरद पंवार को आपने बिठाया।

श्री ईश्वरचन्द्र : जो जीरो था उसको आपने हीरो बना दिया।

श्री बालकृष्ण थानवी: आप अपराधी हैं, आप गुनहगार हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप कृपया इसको राजनीति में मत लीजिये, मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं, झालावाड़ जिले के बारे में बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश महोदय, अभी वहां पर नये नये हो आए हैं। उन्होंने कान्फ्रेन्स में कहा की 5 परसेन्ट के करीब खराबा हुआ है। आयुर्वेद मंत्री जी, कालाबादलजी भी वहां पर तशरीफ

(श्री ईश्वरचन्द्र)

ले गए थे, उन्होंने भी देखा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 80 फीसदी फसल नष्ट हो चुकी है। किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। झालावाड़ जिले में 99,564 हैक्टर भूमि में फसल बोई जाती है, इसमें 5,55,048 हैक्टेर भूमि में दो फसलें होती हैं, 45,958 हैक्टेर जमीन इर्रीगेटेड है। झालावाड़ जिले की खास फसल ज्वार है जो 1,27,997 हैक्टेर में बोई जाती है। यह मैं 77-78 के आंकड़े आपको दे रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तीन दिन तक मैं उसी क्षेत्र में था, ज्वार की फसल का एक दाना भी होना सम्भव नहीं है। मैं जिलाधीश महोदय से भी मिला, उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी कि वारिश हो जायगी, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वारिश नहीं हुई है और वहां की जनसंख्या भयंकर रूप से परेशान हो रही है। पचास गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आज भी यह हालत है कि दो तीन मील दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर टैंकरों की व्यवस्था कराई जाये। छावन्तखेड़ा से कोटा और चम्बल......

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: हमारे यहां से हजारों चले गये।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप रहेंगे, वहां कोई नहीं टिकेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये खुद ही चले गए।

श्री ईश्वर चन्द्र : धौलपुर सब-डिविजन में मुख्य मंत्री जी पधारे गए हैं, अण्डरग्राउण्ड वाटर स्कीम उनके पास है। राजाखेड़ा में 32 ट्यूब वैल्स लगाए गए, वो सबके सब खराब पड़े हैं, उनको ठीक करवाया जाये, एक ट्यूब वैल चालू है, बाकी बन्द पड़े हैं इरिगेशन मंत्रीजी, जितनी भी नदियां हैं नाले हैं, भूमि विकास बैंक को लिखकर दें दें कि काश्तकार या काश्कारों का ग्रुप सहकारी समिति बनाकर पानी लिफ्ट करना चाहे तो इरिगेशन विभाग को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने अर्ज किया कि इरिगेशन विभाग क्लियरेंस नहीं देता, तब तक भूमि विकास बैंक ऋण नहीं दे सकता। मैं झालावाड़ जिले के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस झालावाड़ जिले का उद्धार माइनर इरिगेशन स्कीम्स के जरिये से, एनिकट्स के जरिये से ही हो सकता है इसलिए आप इस ओर ध्यान देवें।

उपाध्यक्ष महोदय, नौकरशाही का जो रवैया है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। झालावाड़ जिले के लिए पांच लाख रुपयों की एक स्कीम हमने, सारे जन प्रतिनिधियों ने, पांचों एम. एल. ए. और एक एम. पी. ने एक मत होकर, जिलाधीश की सहमति से बी. डी. ओ. की सहमति से और सबकी सहमति से प्रस्ताव भेजा। उस पर रेवेन्यू कमिश्नर साहब ने लिखा कि पांच लाख क्यों खर्च करना चाहते हैं, इसके ब्याज से काम चल सकता है। भला हो राजस्व मंत्री जी का उन्होंने चुनौती दी कि मैं राजस्व आयुक्त की राय से सहमत नहीं हूं, इस योजना को लागू किया जावे। इसके बाद फाइल फाइनेन्स में गई, उन्होंने कहा यह फीजेबल नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जावे लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं राजस्व मंत्री जी की राय से सहमत हूं, और पांच लाख रुपये खर्च करने की मन्जूरी दी जाये, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। राजस्व विभाग

(श्री ईश्वरचन्द्र)

और फाइनेन्स विभाग के बीच कागज चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय भावनाओं के साथ बाढ़ और अकाल की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। आपका पी.एच.ई.डी. क्या काम करता है, इसका काम केवल नल की टोटियां खोलना है, जितनी भी स्कीम्स भेजी गई, एक भी पास नहीं हुई। जितने भी गांव हैं, सावन्तखेड़ा, पचपहाड़ वगैरह, वहां पानी नहीं मिलेगा क्योंकि स्कीम पड़ी हुई है। हमारे यहां 6 कास्टिंग मशीनें पड़ी हुई हैं, एक छबड़ा भेज दी गई, पांच हैं एग्जिक्यूटिव इन्जीनयर को एक भी मशीन ठीक करने की पावर नहीं है, दो साल से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों को लाल फीताशाही में नहीं उलझाया जाय और युद्धस्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए। वहां पर काम नहीं होने का एक कारण यह भी है कि एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर और असिस्टेण्ट इंन्जीनियर में झगड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पी.एच. ई.डी., इर्रिगेशन, अकाल सहायता और सहकारिता मंत्री महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बजरंगलालजी ने कहा था कि यह त्रिवेणी है, हालांकि उनका कहने का मतलब दूसरा था, लेकिन इसमें कोआर्डिनेशन हो जाय तो ठीक होगा। अभी तक न तो सहकारी समितियों को, न भूमि विकास बैंक को, न तहसील को और न दूसरी किसी प्रकार की वसूलियां रोकी गई हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और मैं सरकार का माइण्ड पढ़ चुका हूं अनाज के बदले काम कराओ और दूसरी तरफ वसूलियां भी करते जाओ, यह दुतरफा नीति नहीं चलेगी। झालावाड़ जिले में भीषण अकाल है इसलिए आप मेहरबानी करके तत्काल प्रभावी रूप से वसूलियां रोकने के आदेश लागू करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको महकमा दे दिया जायगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं फिर आपसे पूछने आ जाऊंगा।

दूसरी समस्या चारे के विषय में है। कृषि मंत्री जी ने कहा, यह पता नहीं उनको सोर्स आफ इन्फार्मेशन क्या है, दो लाख टन चारा वे ले आयेंगे। इससे कुछ नहीं होगा एक लाख टन चारा, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सिफारिश करें, हमारे यहां जिले में भिजवाया जाय, हमारे यहां चारे की भयंकर समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने घंटी बजा दी, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही निवेदन करूंगा कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। यहां श्रीमान् खड़े हो गए, जोश में आ गए कि कुछ नहीं किया है मैं समझता हूं पिछली कांग्रेस सरकार ने सारे अकालों में उतना काम नहीं किया है जितना जनता सरकार ने एक अकाल में किया है। हमने हेलीकोप्टर से अनाज गिरवाकर, खाद्य सामग्री गिरवाई ...

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री दिल्ली में रहें क्योंकि आपका दल बदल का दौर शुरू हो गया। इसलिए उनको जाना पड़ा, सी. पी. एम. साहब हम आपके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। अब तक हमारी सरकार संवेदना से काम कर रही है उसको मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकार लाल चौहान ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अपने दल का एक मात्र उम्मीदवार हूं, अकाल की जो दशा है, वह भयंकरतम है....

श्री उपाध्यक्ष : श्रोंकार लाल चौहान ।

श्री श्रोंकार लाल चौहान (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ व अकाल के सम्बन्ध में इस आगस्ट हाउस में चर्चा हो रही है । वास्तव में प्रकृति का भीषण प्रकोप इस राजस्थान में पड़ा और पश्चिमी राजस्थान में जिस प्रकार बाढ़ आई और उसके कारण जितनी भी क्षति हुई वह इतनी भारी क्षति हुई, जिसका वर्णन करना असंभव है । उससे काफी नुकसान हुआ, कईयों की जान गई, जैसे प्रभारी मंत्री ने बताया । हालांकि नोट जो सर्क्युलेट किया है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस नोट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि कितने मरे, कितने लापता हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो नोट सर्क्युलेट किया गया है इसका क्या आधार है, सिर्फ पेज 5 व 6 पर कुछ बाते बताई हैं जो वास्तविक स्थिति इस बाढ़ के कारण पैदा हुई है । उसका विवरण कहीं नहीं दिया गया है । मैं बाढ़ पर ज्यादा न बोलते हुए अकाल पर बोलना चाहूंगा । जो भयंकर अकाल राजस्थान में 100 साल बाद पड़ा, ऐसा प्रकोप कभी भी राजस्थान पर नहीं आया ।

मैं बाढ़ पर ज्यादा न बोलते हुए अकाल पर बोलना चाहूंगा । अनावृष्टि के कारण विशेष तौर से कोटा जिले में सिंचित व असिंचित दोनों में इसका प्रभाव पड़ा है । चम्बल क्षेत्र में लगभग 50 पर्सेन्ट और असिंचित क्षेत्र में लगभग 80 पर्सेन्ट फसलें नष्ट हुई हैं । जहां पर खरीफ की फसल नष्ट हुई है वहां पर अनावृष्टि से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ज्वार की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है और जो रबी की फसल आने वाली है उसके लिए भी एक ऐसा संकेत मिलता है कि उसमें भी बहुत हानि होने वाली है । इस संम्बंध में दो चीजें पैदा होती हैं । एक चारे की समस्या और दूसरी पेयजल की समस्या । दोनों चीजें साथ-साथ चलती हैं । मैं दो-तीन सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं ।

एक तो जंगलात के अधीन बीड़ चराई के लिए नीलाम नहीं किए जायं । वह उन पशुपालकों के लिए, जिनके पास पशु हैं उनको यह दे देनी चाहिए जिससे चारे की समस्या किसी हद तक हल हो सके । सरप्लस चारे की कटाई विभाग की तरफ से कराई जाय और इस प्रकार चारे के डिपो खोले जायं । सरपंचों को इसमें इन्वाल्व किया जाए । चारे के डिपो खोले जाने चाहिए ।

जो फेमिन कोड बना हुआ है जैसे भटनागर जी ने कहा, 1883 का है उसको बदलना चाहिए । आज स्थिति विषम होती जा रही है और उसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते और इससे जो हम क्षति की पूर्ति करना चाहते हैं वह नहीं के बराबर होती है । इसलिए मुख्य मंत्री व मंत्री महोदय मिलकर केंद्रीय सरकार पर दबाव डालें और जो दकियानूसी फेमिन कोड बना हुआ है उसके अंदर जो नियम आते हैं, उसका संशोधन वास्तविक स्थिति देखते हुए करना चाहिए ।

इसी के साथ-साथ पेयजल की समस्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र अटरू के ग्राम सहरोद जीरोद

(श्री ओंकार लाल चौहान)

छोटी व सब-डिवीजन बारां के खेराली एवं खामली गावों में पैदा होने वाली हैं। कोटा जिले के करीब 18 गांवों में (शाहबाद) और कोटा खंड (किशनगंज) के 29 गांवों में भयंकर पेयजल की समस्या उत्पन्न होने वाली है। ग्रामीणों को टेंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। वहां तालाब सूख गए हैं। इसी संबंध में आपके नोट पेज 2 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां लिखा है :

"ये रपटें शासन के पास 10 अक्टूबर, 1979 तक आने की आशा है और तत्पश्चात् इस माह में ही आवश्यकतानुसार राज्य के हिस्सों में अभावस्थिति की औपचारिक घोषणा की जा सकेगी। ऐसा अनुमान है कि राज्य की अधिकतर तहसीलों में लगभग 111 करोड़ से अधिक आबादी को अभावस्थिति का सामना करना पड़ेगा।"

मेरा निवेदन है कि टेस्ट वर्क्स शुरू होने चाहिए ताकि लोगों को आजीविका का साधन मिल सके और पापूलेशन को माइग्रेशन से बचाया जा सके। समस्या यह पैदा हो गई है कि अकाल में सरकार समुचित व्यवस्था नहीं कर सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की और कहां शुरू की? सिर्फ इसमें लिखा है कि काम के बदले अनाज योजना शुरू की जाने वाली है। राजस्थान में अभी भी, आज तक कहीं भी यह योजना चालू नहीं की गई। पहले लागू की गई थी आज से दो-तीन महीने पहले, वह सारी की सारी बंद पड़ी हैं। इसके लिए जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिया जाए। लागू तो है मगर काम बंद है। लागू होने से क्या फायदा जब लोगों को मजदूरी नहीं मिली, राहत नहीं मिली, टैस्ट वर्क्स शुरू नहीं हुए, तो ऐसी योजना बेकार है, सिर्फ कागजों पर है। इस भीषण अकाल में लगभग 111 करोड़ की आबादी ग्रस्त है, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए ताकि हम उनको कुछ राहत पहुंचा सकें।

इसके साथ-साथ जो और गांव हैं जहां पेयजल की समस्या है वे हैं हरीपुरा, कुंसरा, खेड़ा खेड़ी, लेवा, खेराली, कंडा, जगन्नाथपुरा, गोरीना, बेंगना, तूमड़ा।

आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जैसे मुख्य मंत्री जी ने शुरू में कहा था हमें राजनीति से ऊपर लेना चाहिए क्योंकि यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है, पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है। यह एक मानवीय दृष्टिकोण है और करीब 1 करोड़ आबादी ग्रस्त है तो हमें देखना पड़ेगा कि युद्ध स्तर पर जहां चारे की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां व्यवस्था करनी चाहिए। टैंकरों द्वारा या चारे के डिपोज द्वारा चारे की व्यवस्था करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी राहत कार्य शुरू करें, लोगों को मजदूरी पर लगायें, और उनकी जो दिक्कत है उसको ठीक करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो राहत कार्य करना चाहती है, सरकार करेगी, मुझे विश्वास है लेकिन इसमें वालन्टरी आर्गनाइजेशन्स को भी इन्वाल्व करें। इससे काफी हद तक राज्य सरकार उनसे सहयोग लेकर लोगों को फायदा पहुंचा सकेगी।

मैं इतना ही कहते हुए अंत में यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र कार्य खोले और मजदूरों के लिए काम करे

(श्री ओंकारलाल चौहान)
जिससे अकाल की भीषण छाया पड़ी हुई है, उससे निपटा जा सके।

धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से दो बुलेटिन आये हैं अकाल के बारे में और बाढ़ के बारे में कहा गया है कि जो प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर यह पता चलता है, कि एक ओर लगभग सम्पूर्ण राजस्थान में न्यूनाधिक अंशों में फसल खराब हुई है याने इतिहास में इससे पहले इस तरह का भयंकर अकाल कभी नहीं पड़ा। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमको इसे राजनीति से दूर रखकर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी अकाल पड़े हैं, इससे पहले भी बाढ़ें आई हैं देश के अन्दर मगर हमारे मुख्य मंत्री जी अकाल को जिस ढंग से मजाक के तौर पर ले रहे हैं, मैंने कभी भी इनसे ज्यादा नान-सीरियस मुख्य मंत्री देखा नहीं। अभी जयपुर शहर में जनता पार्टी के नेता श्री जगजीवन राम जी आये थे, हम भी उनके भाषण सुनने चले गये और जिस ढंग से हमारे सदन के नेता और राजस्थान के मुख्य मंत्री को अकाल पीड़ित लोगों के साथ मजाक करते हुए देखा, वह बोले, अकाल क्यों पडा ? क्योंकि चौधरी चरणसिंह ने 15 अगस्त को जब लाल किले पर भाषण दिया तो कोई चूक रह गयी थी, इस वजह से राजस्थान में और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में अकाल पड़ गया। क्या है यह ? फिर मैं यह कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी के शपथ ग्रहण करने में भी कोई चूक रह गयी जिससे बाढ़ आई और सैकड़ों लोग मरे हैं और इसके लिए उनकी डाइरेक्ट जिम्मेदारी है।

श्री हरीश शर्मा : राजस्थान में कम्युनिस्टों का भी अकाल है। एक-दो ही आते हैं इसलिए इनको भी अकाल सहायता दी जाये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अगर उनके भाषण में कोई चूक रह गयी तो हमारे मुख्य मंत्री जी के शपथ लेने में भी कोई चूक रह गयी जिससे बाढ आई और इतनी मौतें हुई उसकी भी जिम्मेदारी सीधे-सीधे मुख्य मंत्री जी पर है। इस तरह की बातें करने वाले कहते हैं कि राजनैतिक फायदा मत उठाओ। हमें मुकाबला करना चाहिए। मुकाबले की जगह इस तरह की बातें भाषण में कहते हैं। एक जगह नहीं और भी मैंने अखबारों में पढ़ा है वह सारी जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेकर दूसरों के कंधों पर डालना चाहते हैं। खैर, मुझे इस संबंध में और नहीं कहना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर रेडियो से खबर दे दी जाती तो लोग संभल सकते थे। बाढ कब आई और कितने समय में रण आफ कच्छ में पहुंची। 48 घंटों में रण आफ कच्छ में पहुंची है। 16 जुलाई को सुबह 8 बजे जब 16 फीट पानी था, जसवंत सागर बांध में और चारों तरफ से वर्षा हो रही थी तो जसवंत सागर बांध के जे० ई० एन० ने कलेक्टर को इत्तला दे दी और साथ ही सिंचाई विभाग को इत्तला दे दी। 16 तारीख को 10 बजे सिंचाई विभाग को इत्तला हो गयी और 16 तारीख

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

की शाम तक लूणी जन्कशन पर पुल व रेल्वे लाइन तहस-नहस हो चुकी थी। इस इत्तला के बावजूद भी राज्य सरकार के अधिकारी और जोधपुर कलेक्टर ने लापरवाही बरती अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वह लोग हैं और राज्य सरकार को उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी चाहिए थी। और अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी मैं कुछ लूणी क्षेत्र के गावों में गया और कुछ काश्तकारों से मिला। एक काश्तकार से बात की-जिसके परिवार में चार लोग बह गए और तीन लोग बच गये व तीन दिन बाद उनको निकाला गया। वह भी सरकार की तरफ से नहीं गांव के लोगों ने। जिलाधीश को इतला दी 17 जुलाई को सुबह ही दे दी गई थी, लोगों ने देखा 17 तारीख को सुबह रल्वे के कन्ट्रोल रूम में इत्तला कर दी गांव के लोगों ने 18 तारीख को 11 बजे रस्से डालकर उनको निकाला। यह तत्परता है हमारी सरकार की। यह जानें बचाई जा सकती थीं। मैं उस लड़के को मिला जो बाढ़ का शिकार रहा तो कहा कि 16 तारीख की रात को रडियो सुना था और उस समय इत्तला मिल जाती तो हम बाहर निकल सकते थे लेकिन किसी को इत्तला नहीं दी गयी। यह किस की जिम्मेदारी है ? मारवाड़ की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली वह उपजाऊ जमीन जहां फरटाइल लैण्ड कितनी होगी। वहां अब कंकड़ पड़े हैं और कितने सालों में खेती के योग्य होगी किसी को पता नहीं। हमारी तत्परता कितनी है सरकार की। बाड़मेर और सांचौर के बीच में सड़क पर एक गांधव ब्रिज है। मैं 27 तारीख को वहां पहुंचा हूं। उस ब्रिज से गांधो गांव आधा किलो मीटर है। 26 तारीख तक आप की वहां कोई सहायता नहीं पहुंची। वहां कोई नहीं पहुंची। उस ब्रिज से आधा किलोमीटर दूर गांव में 27 तारीख तक सहायता नहीं पहुंची जिस ढंग से सहायता दी जा रही है। वह खेदजनक है मैं समझता हु कि यह बाढ़ आंध्र में आई बाढ़ से भी ज्यादा भयंकर थी। इसकी ऊंचाई और वेलोसिटी देखें कि कितनी दूरी में और कितनी ऊंचाई में इसका बहाव था। वह रेल्वे ब्रिज के पिलर्स उड़ाकर ले गया। समदड़ी के पास रेल्वे ब्रिज है उसके पिलर्स का पता नहीं कहां चले गए, इतनी उसकी वेलोसिटी थी। यह तो शुक्र है कि आबादी कम थी और आंध्रकी तरह आबादी घनी होती तो ज्यादा नुकसान होता। यह बाढ़ 25 किलोमीटर की चौड़ाई में आई और इसकी ऊंचाई 10-15 फीट की होगी। हमारी राजस्थान सरकार ने इसको बहुत ही लाइटली लिया। मौरवी गुजरात में बाढ़ जो आई वहां हमसे कम ही नुकसान हुआ है यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं..:

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 20 हजार आदमी मरे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : गलत है सरकारी आंकड़े यह नहीं हैं। और वहां किस तरह से ब्रिटेन से और सारी दुनियां से सहायत मिली, मैं सवाल पूछूंगा कि हमारी सरकार कितनी गम्भीर है। आंध्र में बाढ़ आई और राजस्थान के लोगों ने करोड़ों रुपया इमदाद के तौर पर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि राजस्थान के बाकी हिस्सों से कितनी इमदाद आई? कोई प्रयत्न नहीं किये गये कोई जरुरी नहीं समझा गया। कुदरत के भरोसे उनको छोड़ दिया गया। इससे ज्यादा निकम्मापन किसी सरकार का नहीं हो सकता। कोई लाश का फोटो नहीं है। मैं जनसम्पर्क विभाग में गया मालुम हुआ पत्रकार नहीं जा सके। एक दफा जो पत्रकार हेलीकोप्टर से गया वह तो गया

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
उसके बाद कोई नहीं गया। जो भी संवदादाता यहां पर मौजूद थे पहुंच नहीं सकते थे, रास्ते खराब थे। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मैंने कोशिश की इस बात की मगर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने जरूरत नहीं समझी बाढ पीड़ित लोगों के साथ लावारिस बच्चे की तरह व्यवहार किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैंने जो बात नोट की है कि ट्यूब वैल्स का जो नुकसान हुआ है, जिसके लिये 8 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। 8 हजार की राशि से क्या दुबारा ट्यूब वैल बन सकता है. व्यवहारिक है या नहीं और अगर व्यवहारिक नहीं है और आप कर्ज पर दे रहे हैं कोई दान नहीं दे रहे हैं। मान लो उस इलाके ने दो साल तक पैदावार नहीं दी, सरकार की इमदाद नहीं मिलने की वजह से तो वह नेशनल लास है और इसलिये हमको वहां पर माकूल व्यवस्था करनी चाहिये। वह इलाका अकेला बाढ़ग्रस्त, नहीं है अकालग्रस्त भी हो गया है। इस लिये इन परिस्थितियों के अन्दर उनको ज्यादा इमदाद दी जानी चाहिये ताकि वह दुबारा जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सके। वे अपनी जमीन को दोबारा उपजाऊ बना सकें। यह सवाल ज्यादा महत्व का है इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के ऊपर कहना चाहता हूं। एक महीना पहले हमारे वित्त मंत्री जी और कालवी साहब बीकानेर गये। लम्बा चौड़ा भाषण हमें पढ़ने को मिला कि हरा चारा उगायेंगे। कितने बीघा भूमि में हरा चारा बोया गया, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है, न मुख्य मंत्री हैं, न सिंचाई मंत्री हैं और न कृषि मंत्री हैं।

श्री रघुनंदन व्यास : अकाल राहत मंत्री हैं। आपको तो व्यर्थ में बोलने की आदत पड़ गई है।

श्री मूलचंद डागा : क्या बात करते हो, थोड़ा समझो।

श्री रघुनंदन व्यास : अकाल राहत मंत्री महोदय मौजूद हैं।

श्री मूलचंद डागा : न कृषि मंत्री हैं, न मुख्य मंत्री हैं, न सिंचाई मंत्री हैं। बकवास कर रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक ही मंत्री है, एक ही मुख्य मंत्री हैं और बाकी तो शेडोज हैं।

श्री मूलचंद डागा : मुश्किल से 10 मिनिट दिये हैं। सी.पी.एम. के लीडर बोल रहे हैं कोई मंत्री नहीं, न कृषि मंत्री, न सिंचाई। यह चापलूस बीच में बोल रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन मंत्री महोदय को पता नहीं है चारा कब बोयेंगे। अकाल के वक्त में भूखे पशुओं के लिये सर्दी से बचाने के लिये हरा चारा देना जरूरी होता है क्योंकि जो कमजोर पशु हैं उन पर सर्दी ज्यादा असर करेगी वे ज्यादा मौत के मुंह में जायेंगे। इसलिये जरूरी यह था कि हरा चारा इससे पहले बोया जाना चाहिये था। हरा चारा बोने के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बैल्ट निश्चित तौर पर तैयार किया जाना चाहिये। जब अभावग्रस्त इलाके

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

के लोग उस इलाके में पहुचेंगे तो चारा भी मिल सकेगा। हमको यह भी मालूम है कि इन पशुओं को हमें 9 महीने उस इलाके में रखना पड़ेगा, वे तभी बच सकेंगे वरना वे बच नहीं सकेंगे। कहां रखेंगे 9 महीने, 10 महीने? यह सारा लम्बा पीरियड पड़ता है। आपने कभी सोचा है। जब भी राजस्थान में अकाल पड़ा, सौभाग्यवश वाकी प्रदेशों में यह हालत नहीं थी लेकिन आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में भी फेमिन हैं। एक प्लानिंग होनी चाहिये। एक दृढ़ इरादा होना चाहिये। आपको उन तमाम गांवों में, पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स में, 5-5, 10-10 बीघा जो भी जमीन उपलब्ध हो, जो भी शामलात में जमीन खाली पड़ी हो, उन तमाम जगहों पर चारा उगायें, जो हम पशुओं को चरा सकें और जो बच जाय उसका अनाज देश के काम आ सके। पिछली दफा 68 में 7 हजार बीघा जमीन में हमने हनुमानगढ़ में चारा बोया। जितना चरा सकते थे चराया और 10 हजार मन जौ निकाला गया। बाकी सूखा चारा काम में आ गया। अनाज सरकार के खजाने में आ गया। चारा अगर पशुओं के काम में न आवेगा तो सरकार के पास आ जायेगा। उसको दाने के रूप में हम युटीलाइज कर सकेंगे इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये थी। इस देश के अन्दर पिछले चार-पांच सालों में हमारा पशुधन फला-फूला और जो कमी अकाल की वजह से हुई थी उसकी, जनता सरकार को उन पशुओं की, उस पशुधन की कोई फिक्र नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि यह लोग देश-प्रदेश के अन्दर अकाल राहत कार्यों से पशुओं को राहत दिला सकेंगे, यह मेरा इल्जाम है। इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फूड फार वर्क के बारे में कहूंगा। इससे पहले भी अकाल पड़े। अकाल के काम कम हुए और सारे का सारा रुपया वेकार चला गया। इसलिये यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि फूड फार वर्क में गांवों में हाथ में लिए जावें जिससे स्थायी काम दिखाई दे, चाहे सड़क वने, चाहे स्कूल वनें, चाहे कोई चीज बनाइये.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ी देर में समाप्त करता हूं। इस तरफ न सरकार की दिलचस्पी है न और किसी की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आप फूड फार वर्क में क्या कर रहे हैं। फूड फार वर्क में गेहूं दे रहे है। 120 या 125 का भाव है। क्यों साहब, सिर्फ अनाज गेहूं ही क्यों दे रहे हैं। दो रुपया नकद दीजिए, वाकी का गेहूं दो। आप चाहते हैं एक्सप्लायटेशन हो। किसान को सब्जी के लिये, तेल के लिये, नमक के लिये नकद पैसा चाहिये। वह अपनी मजदूरी में से 2 किलो गेहूं दुकान पर ले जायगा और दुकानदार उसको 80 पैसे किलो खरीदता है और वही अनाज दूसरे मजदूर को डेढ़ रुपये के हिसाब से बेचेगा। आपकी मन्शा है एक्स्प्लायटेशन करना चाहते हैं। आपको दो रुपये नकद देना चाहिये, वाकी का अनाज देना चाहिये ताकि वह अनाज दुकानदारों के पास न जावे.....

श्री ईश्वर चन्द्र : डेढ़ रुपया नगद देंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : डेढ़ से ज्यादा होना चाहिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : अब देंगे डेढ़ रुपया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कहता हूं डेढ़ नहीं, कम से कम दो दीजिये ताकि उस गरीब का

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

अनाज उन एक्सप्लायटेशन करने वालों के पास नहीं जायें । इसके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि पंचायतों के हैडक्वार्टर्स पर आप व्यवस्था कीजिये गेहूं की । आज गेहूं का क्या भाव है—मण्डियों में । मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि आपके पास गेहूं सड़ रहा है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं । सरकार का एक आदमी लगाकर शहर में वहां बैठा दीजिये ताकि रेट्स ज्यादा नहीं बढ़े लेकिन इसमें भी आपकी दिलचस्पी नहीं है । आपकी दिलचस्पी यह होती कि रेट्स बढ़े । आपके पास गेहूं पड़ा है और मार्केट में 160 रु०, 170 रु० का भाव है तो क्यों? जो भी जरूरत की चीजें हैं उनकी सबकी पंचायत के हैड क्वार्टर्स पर व्यवस्था कीजिये । आप उससे डर रहे हैं अब तक का रीजन भी यही है कि आपका दोस्त सेठ महसूस करेगा कि कम्पीटीशन की दुकान खोल दी, जिसको वह पसन्द नहीं करेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हरे चारे के साथ-साथ सूखे चारे के क्या भाव हैं — एक रुपये का दो किलो । एक रुपये का दो किलो बिक रहा है । मेरी समझ में नहीं आता है, आप इन्तजार किस बात का कर रहे हैं । गांवों में नहीं तो आप शहरों में तो यह व्यवस्था कर दीजिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र : रसिया से मंगवायें क्या ? है ही नहीं ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : फिर भाषण क्यों कर रहे हो कि हम पंजाब से मंगवायेंगे, हरियाणा से मंगवायेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ट्रक आ रहे हैं कहने का मतलब है सूखा चारा यदि ऐसे पाइन्ट्स पर गांवों में नहीं पहुंचा सकते हैं तो पंचायत हैडक्वार्टर्स पर तो पहुंचा दीजिये . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी व्यवस्था समय पर नहीं होने के कारण पशुओं तथा गरीब लोगों का पलायन शुरू हो गया है, क्या लोगों के जाने को बन्द करेंगे? जब पशु और मनुष्य इलाका छोड़ कर चले जायेंगे फिर किसकी व्यवस्था करेंगे । लोगों को भरोसा नहीं है आप पर और आज भी हजारों की तादाद में काफिले के काफिले रोजगार पानी की तलाश में, चारे की तलाश में पंजाब की तरफ जा रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मजदूरी के बारे में कहना चाहता हूं — माकूल मजदूरी दीजिये । अब यह फेमिन कोड की मजदूरी चलेगी नहीं । आप उनसे पूरा काम लीजिये और पूरी मजदूरी दीजिये तब जाकर आपके वर्क्स स्थायी होंगे । भिक्षा वृत्ति की तरह उनको मजदूरी मत दीजिये । वरना उसी तरह होगा जो सुखाड़िया के राज्य में आपा-धापी हुई थी वही आपके राज्य में होगी।

इसी तरह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । सारे राजस्थान में कहीं भी खरीफ की फसल नहीं हुई है तो जो विद्यार्थी गांवों से आकर शहरों में पढ़ता है और होस्टल्स में रहता है—उनकी भी कोई व्यवस्था करें । क्या वे विद्यार्थी पढ़ सकेंगे—वे पढ़ाई की फीस को कैसे भर सकेंगे । आपको उनकी फीस हर हालत में माफ करनी चाहिये तथा सस्ते खाने की व्यवस्था होस्टल्स में भी चाहिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह यू० पी० ने अभी किया है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तो उन तमाम छात्रों को चाहे हरिजन के हों या गैर हरिजन हों, जो भी अफेक्टेड ऐरियाज के हैं और आप मानते हैं कि सारा राजस्थान अभावग्रस्त है तो उन छात्रों के लिये यह करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कर्ज के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं—जब बाढ़ आई उससे पहले जुलाई में सहकारी समितियों से किसानों ने कर्जे लिये, कर्जे लेकर फसलें बो दीं जिनकी लूणी नदी के बैल्ट में फसलें थीं मिर्ची आदि की फसलें थीं. जिन्होंने कर्जे से खाद लिया, कर्जे से बीज लिया, कुछ रुपया लिया और सारा का सारा जिनका बह गया उस बैल्ट में, उनका सब कर्ज आपको माफ करना चाहिये, स्थगित नहीं करना चाहिये। मैंने खाद के गोदामों में पानी भरा देखा है—बालोतरा—पीपाड़ में सारा का सारा खाद बह गया इसलिये जिन इलाकों में बाढ़ गई है और जिनको आपने महीने 20 दिन पहले कर्जा दिया है, उनको माफ करना चाहिये था, इससे उनको राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी आपने काफी समय ले लिया है अब चर्चा समाप्त करेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरा एक लास्ट पाइन्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ गया इस प्रदेश में और जो हालात थे वह हमको एक डेढ़ महीने पहले मालूम थे, हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि अकाल पड़ रहा है ऐसी परिस्थितियों में जो पानी जहां भी अवेलेबिल था, उसको ज्यादा से ज्यादा युटिलाइज करना चाहिये था चाहे वह नदी का पानी हो, नाड़ों का पानी हो, दरिया का हो, बाढ़ का हो लेकिन हमारी सरकार तो अन्धेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी और टके सेर खाजा की बात चरितार्थ करती है और उसके ऊपर बदनसीबी हमारी यह है कि सिंचाई मंत्री जी ऐसे मिले हैं कि नैकर-बाजी के अलावा उनको कोई काम नहीं है। उनका महकमा आर. एस. एस. के लोगों के साथ गप्पें लगाने के अलावा कोई काम नहीं। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है 30 अगस्त तक हमारे राजस्थान का पानी हरिकापतन से पाकिस्तान को चलता रहा जिससे गंगानगर की धान और नरमे की फसल, खास तौर से भाखरा क्षेत्र की और गंग कैनाल की फसलों को 50 परसेन्ट का नुकसान हो गया। वह पानी पाकिस्तान को जाता रहा और कोई रोकने वाला नहीं था। मेरे इलाके की फसल तबाह हो गई, गंगानगर जिले की फसल 50 परसेन्ट तबाह हो गई और पूरा का पूरा धान का ऐरिया तलवाड़ से अनूपगढ़ तक 150 कि. मी. लम्बा क्षेत्र तबाह हो गया। यह हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार के कारनामे हैं, हमारे सिंचाई मंत्री जी के कारनामे हैं। पंजाब से मिलने वाले पानी को युटिलाइज करना चाहिये था, क्यों नहीं किया और क्यों वह पानी पाकिस्तान में गया अगर समय पर खबरदार रहते तो हमारे इलाके में सवाई, डेढ़ी फसल तैयार की जा सकती थी, फोडर तैयार किया जा सकता था। लेकिन राम भरोसे है सिंचाई मंत्री जी का महकमा मेरा निवेदन है इसी तरह की हरकत होती रही तो किसानों का क्या हाल होगा। वित्त मंत्री जी आ गये हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा वित्त मंत्री जी आपने कितना हरा चारा बोया है...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कब बोयेंगे, कितना बोयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष जी, बाढ़ के बारे में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था। यह बात सत्य है कि राजस्थान की लूणी नदी में बाढ़ आई, इसको बादल फटना कहा जाय तो और भी सुन्दर होगा। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो पहली बार देखने को अनुभव हुई कि तीन दिन तक राजस्थान के अंतिम छोर कच्छ के रण में जहां लूणी नदी मिलती है, वहां तक कोई सूचना नहीं पहुंची। आप आश्चर्य करेंगे कि पीपाड़ और बिलाड़ा के बहे हुए ट्रक राधनपुर गुजरात में पहुंच गए और आज भी पालनपुर में जिलाधीश कार्यालय में प्रदर्शनी लगा कर रखे हुए हैं, ट्रक और ट्रेक्टर खड़े हुए हैं कि जिसके हों वे आकर ले जायं। एक ओर यह हालत थी लेकिन जोधपुर के कलेक्टर की नींद नहीं गई। उसकी जागृति नहीं हुई। दुर्भाग्य से मैं पाली में, डागा जी के गांव में फंस गया था। वहां विशेषाधिकार कमेटी की मीटिंग में गया हुआ था, वहां रात को फंस गया तो मुझे तीन दिन तक वहां रहना पड़ा। पाली के डाक बंगले की दुर्दशा, वहां के अफसरों की हालत कहने काबिल नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा कि वहां के अफसर ने सिवाय जीप घुमाने के कुछ नहीं किया। यह स्थिति थी। लेकिन मैं बताऊंगा जिसके लिए श्योपतसिंह जी शायद नाराज भी होंगे लेकिन जो स्वयंसेवी संगठन थे वे पाली में जागृत थे, समदड़ी में जागृत थे, बालोतरा में जागृत थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग बालोतरा में, पाली में ट्रकों में खाना बना-बना कर के घर-घर पहुंचाने का काम कर रहे थे।

श्री नूरा : यह गलत है। जोधपुर में एक करोड़ का सामान पहुंचाया है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मुझे इस पर घोर आपत्ति है। मैं पूछता हूं कि जनसंघ का राज है, मंत्रियों ने क्यों नहीं किया, यह जवाब दीजिए। तुम्हारा आर.एस.एस. क्या करता रहा इससे हमें मतलब नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जिनको होश नहीं है, वे जो भी बोलें वह माफ है। मैं यह बात कह रहा हूं कि अकाल के समय, बाढ़ के समय अगर कोई जागृत थे वहां के आर.एस.एस. के लोग जो बालोतरा में, पाली में, समदड़ी में, कढाणा में और जोधपुर में खाना बना-बना कर घर-घर पहुंचा रहे थे। यह स्थिति थी। जोधपुर के दो हजार लोग गांवों में गए, खाना बनाकर ले गए। साधन नहीं थे तो गाड़ियों में गए, साधन नहीं मिले तो पैदल गये। आप राजनीति में उन्हें गाली दें, उन्हें स्काउण्डल कहें, उनको गुण्डा कहिए लेकिन जिस समय वे लोग काम करते हैं उनकी तारीफ क्यों नहीं करते ..

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : तारीफ के काबिल होंगे तो तारीफ करेंगे लेकिन आप इस तरह से सस्ता प्रचार मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जिनको वृद्धि नहीं हो तो इस प्रकार के लोगों के बारे में क्या कहूँ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपकी सरकार ने क्या किया है। हम यह पूछते हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया, इसका जवाब दें। हम यह नहीं पूछते कि जनसंघ ने क्या किया हम सरकार से पूछते हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : स्वयंसेवी संस्थाओं ने क्या किया यह कह रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इस प्रकार से आर. एस. एस. का प्रचार यहां पर नहीं कर सकते। क्या बात करते हो...

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं आपको कहना चाहता हूं, श्रीमती मदनकौर ने एक बात कही, सिन्ध की बाढ़ की बात कही। मैं भी मीरपुर खास में था और मैं भी सिन्ध में पैदा हुआ हूं। कराची में था। बम्बई प्रान्त में सिन्ध था और पूना के लोगों ने जब कहा तो जोधपुर राज्य की रेलवे ने क्या काम किया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि इस बाढ़ के कारण सारा जोधपुर विभाग रेल के बारे में शून्य था। जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन गाड़ी बन्द। जोधपुर से भीलड़ी गाड़ी बन्द। जोधपुर से बाड़मेर गाड़ी बन्द। जोधपुर से जयपुर गाड़ी बन्द। जोधपुर से बीकानेर गाड़ी बन्द और एक महीने तक रेलें बन्द रहीं। एक महीने तक रेलों की स्थिति यह रही। टेलीफोन की स्थिति ? पाली नगर की आबादी पचास हजार के ऊपर मैं मानता हूं..

श्री परसराम मदेरणा : एक लाख है।

श्री रघुनन्दन व्यास : टेलीफोन नहीं। टेलीफोन बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा टेलीफोन से बात नहीं हो सकती। वायरलेस की व्यवस्था ठप्प। इस प्रकार की दुर्दशा इन जिलों के अन्दर पैदा हुई। राजस्थान की सरकार को अन्धकार में रखा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि लूणी में बाढ़ आई और समदड़ी के उस पार करमावास से लेकर आसोतरा के पास तक जो भी जोगी और नटों के डेरे थे उनका न तो पटवारियों के पास हिसाब है, न पुलिस वालों के पास हिसाब है, न सरपंच के पास है। करीब एक सौ डेरे बह गए। कितने लोग बह गए, कितनी सम्पत्ति होगी, कितने पशु होंगे, कुछ पता नहीं। यह वेक्यूम रह गया, यह लेकूना रह गया, यह कमी रह गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि करमावास से लेकर आसोतरा तक नट और जोगी कितने बह गए उनका सर्वेक्षण करवाया जाय। गांधव का पुल बना, बहुत बड़ा पुल बना, दो करोड़ रुपया खर्च किया गया, उस पर 18 फुट पानी था। माननीय परसरामजी सांचौर गए थे और माननीय खेतसिंह जी भी जाकर आए हैं, उन्होंने देखा है कि पानी ही पानी। सांचोर इलाके में, नहरी इलाके में पानी आता है तो इस बात का शुक्र रहा कि लूणी में बाढ़ आई उस समय जंवाई बांध गरम नहीं था। अगर जंवाई का पानी आता तो मैं कहता हूं कि सांचौर तहसील के सौ गांवों का नामोनिशान नहीं होता। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। उसके सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए जायं। जहां तक कुओं की खुदाई की बात है, नहरों में कुओं का प्रश्न नहीं है। वहां नए सिरे से

(श्री रघुनन्दन व्यास)

डवलप करता हूं। इन सारे गांवों में जिस प्रकार आंध्र के गांवों को बसाया है कि बाढ़ आवे तो गांव डूबे नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था जिला जालौर के अन्दर लूणी से गुढ़ामलानी तक सारी जमीन साफ करने की जरूरत है, समतल करने की जरूरत है, पचपदरा के साल्ट को तो ठीक करवायेंगे ही। इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि 71 में बाढ़ आई और उसके बाद 73 में बाढ़ आई। यह बाढ़ का काम, फेमिन का काम जैसा हमारे भटनागर साहब ने कहा, कोड के हिसाब से चलता है और कोड जब मर्जी आए तब खत्म हो जाता है। हमें कोड नहीं चाहिए, योजना चाहिए। इसलिए 71 की बाढ़ में नुकसान जालौर जिले को हुआ, उसके बाद 73 में नुकसान हुआ लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं। वे गांव आज भी दुर्गति में हैं। हम जो भी योजना हाथ में लें बाढ़ की, रिपेयर को ये काम अधूरे नहीं रख कर पूरे करवायेंगे। यह नहीं कि 10 तारीख को काम खत्म, बरसात आ गई और काम ठप्प हो गए। यह बरसात कोई काम नहीं आती बरसात तो आई, कब आई और कब गई। बरसात तो अब की बार भी आई और फिर भाग गई। यह तो ईश्वर की देन है। इसलिए बाढ़ और अकाल दोनों स्थितियां हैं। आपकी रिपोर्ट मेरे सामने है। मेरा निवेदन है कि कुएं ठीक करवायें, कुओं को अच्छे ढंग से ठीक करवायें। इसके लिए केवल सीमेण्ट ही नहीं चाहिए, ईंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए। डी. पी. ए. पी. डिपार्टमेंट, अण्डर-ग्राउण्ड वाटर बोर्ड और ये ब्लास्टिंग, इन तीनों का तो भगवान ही मालिक है। और यह पी. एच. ई. डी. है जैसा माननीय वृद्धिचन्दजी ने कहा कि इन गांवों में पानी नहीं पहुंचता है। गांव में दो हजार आदमी प्यासे रहते हैं। लेकिन जो पहाड़ी गांव हैं जैसे मेरे सिरोही जिले में हैं, वहां खूब बरसात आए तो दस फुट पर पानी मिल जाय लेकिन जब बरसात नहीं आए तो कुएं सूख जावें। रेगिस्तान की दूसरी स्थिति है। जब वहां पर पानी नहीं आएगा तो कुएं का पानी सौ फुट से डेढ़ सौ फुट चला जाएगा, दो सौ फुट नीचे चला जाएगा लेकिन कुओं में पानी तो मिलेगा। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है, देसूरी से आबूरोड तक का, अगर वहां बरसात नहीं हो तो कुएं सूख जाते हैं। वहां ब्लास्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लास्टिंग पहुंचता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन पहाड़ी गांवों में ब्लास्टिंग की व्यवस्था हो, अन्डरग्राउन्ड वाटर की व्यवस्था हो। जब श्री हरिश्चन्द्र जी जालौर जिले से एम० पी० थे तो वहां पर दो सौ ट्यूब वैल्स खोदे गये थे। वे वहां पर हैं किन्तु उसमें से पचास ट्यूब वैल्स बेकार पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन बेकार पड़े वैल्स को शुरू करवाया जाए। माननीय सदस्य श्योरतसिंह चारे की बात कहते हैं। मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि चारा कपास से पैदा नहीं होता है, चारा सरसों से पैदा नहीं होता है, चारा जीरे से पैदा नहीं होता है, चारा रायड़ा से पैदा नहीं होता है। जिस फसल से चारा मिलता है वो ही फसल बोई जाए इसके लिए हमारी राज्य सरकार को एक आर्डिनेन्स निकालना चाहिए कि वे ही फसलें बोई जाएं जिससे चारा मिल सके और जिसके पास पचास बीघा जमीन है उसके लिए तो यह कम्पलसरी किया जाये कि अकाल के वक्त में कम से कम कोई भी

(श्री रघुनन्दन व्यास)

के श कपास की फसल नहीं बोई जाए और जौ, गेहूं बोया जाए.....

श्री स्योपत सिंह मकासर : कपास रबी में पैदा नहीं होती है।

श्री रघुनन्दन व्यास : आप खेती नहीं करते हों। आप तो बंधुआ मजदूर रखते हैं। वे ही खेती करते हैं। जाट के घर पैदा होने से अपने आपको किसान कहते हैं परन्तु आपको खेती के बारे में कुछ नहीं मालूम इसलिए मेरा यह निवेदन है कि गेहूं और जौ की बुवाई करायी जाए जिससे हम को अनाज और चारा दोनों मिलेंगे। इस ओर हम लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में कई छोटे छोटे बांध हैं। कुछ में पानी है और कुछ खाली हैं। मेरा यह निवेदन है कि इन सारे बांधों को इस अकाल के तहत दो फीट और ऊपर लिया जाए और उसमें छोट-छोटे एनीकट बनाये जाएं। आबू पर्वत पर कहते हैं वर्षा हुई परन्तु आज वहां पर भी अकाल है। आबू पर्वत पर 12 गांव हैं। वहां पर बसे लोग जाति के राजपूत हैं परन्तु यह आबू ट्राइबल में नहीं आता है। आबूरोड तहसील आती है। इसलिए आबू पर्वत पर बसे 12 गांव को ट्राइबल के नाम से कोई सहायता नहीं मिल पाती है और न किसी प्रोग्राम में सहायता मिल पाती है और न एस. एफ. डी. से। आज आबू पर्वत के तालाब सूख गये हैं। इन तालाबों की व्यवस्था की जानी चाहिए और साथ ही किसान को जानवर बांधने के लिए लोहे की चदरें दी जाएं। यह सारे प्रश्न जिनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा एक अंतिम प्रश्न है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज से तीन वर्ष पहले भीनमाल हैडक्वार्टर पर महीने में चार बार स्पेशल ट्रेन क्रूड आयल की आती थी अब यह हैडक्वार्टर जोधपुर कर दिया गया है और सारा माल गांधीग्राम या साबरमती से सीधे ही जोधपुर जाता है और वहां से आबू रोड या भीनमाल जाता है। मेरा यह निवेदन करना है कि यह व्यवस्था गलत है। यह दकियानूसी व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। गांधीग्राम या साबरमती से क्रूड या डीजल सीधा आबू रोड, भीनमाल पहुंचे जिससे किसान को लाभ मिलेगा, उसका पैसा बचेगा और खर्चा भी कम लगेगा।

इतना ही नहीं, बिजली के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। काफी बिजली का विस्तार हुआ है परन्तु इसके सामान का अभाव है। मंत्री महोदय इसकी व्यवस्था करके गांव में यह सामान पहुंचावें। मेरा एक निवेदन और है—सिरोही में 10-12 गांव ऐसे बच गये हैं जहां कि बिजली नहीं है। ये पहाड़ी गांव हैं इसलिए वहां पर कुएं सूख रहे हैं। खेती नहीं हो रही है। मंत्री महोदय और अकाल सहायता मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे स्पेशल कोटा में इन 10-12 गांवों को बिजली दें तो हम यह कह सकेंगे कि राजस्थान में सिरोही ऐसा जिला है जो विद्युतीकरण में फर्स्ट होगा। इन गांवों में बिजली पहुंच जाने से पूरा जिला इलेक्ट्रीफाइ हो जाएगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन सारी बातों की ओर ध्यान दें और इसके बारे में विचार करें। डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के तहत तारबंदी,

(श्री रघुनन्दन व्यास)

मेड़ बंदी का काम किया जा रहा है। जंगलों का भी विकास किया गया है। परन्तु दस वर्षों में भी एक पौधा नहीं रोपा गया है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और इस कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और इस समय सारे बीज फ्री दिए जाने चाहिए। गांव गांव में जंगलात पैदा करने चाहिए और जो गांवाई जंगल है उसको जीवित रखा जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। राजस्थान सरकार को मालूम पड़ने के बाद उसने जिस गति से काम किया है, जिसको अनाज चाहिए था, उसको अनाज दिया गया है, जिनको कपड़ा चाहिए था उनको कपड़ा दिया गया है, जिनको गेहूं चाहिए था उनको गेहूं दिया गया है। सहायता मिली है परन्तु मैंने पहले ही यहां पर कहा था कि चार दिन तक अव्यवस्था रही। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्थाओं ने सहायता कार्य किया है, माननीय श्योपतसिंह जी को इससे चिढ़ होगी परन्तु इन संस्थाओं ने सहायता कार्य किया है पहले इन संस्थाओं ने काम किया है। बाद में सरकार ने सहायता कार्य किया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन चार दिन का यह जो गेप रहा है उसका कारण चाहे टेलीफोन कट जाना रहा हो, या अन्य कोई कारण रहा हो, उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि जोधपुर और अजमेर के जिला प्रशासन का एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए कि उन्होंने टाइम पर आगे सूचना क्यों नहीं दी? टेलीफोन विभाग, पोस्टल विभाग ने भी समय पर सूचना नहीं दी? इसलिए इन सारे प्रश्नों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे ताकि भविष्य में ऐसी मुसीबत आवे तो हम उसका सामना कर सकें। अंत में मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें। टेलीफोन कट जाने की बात समझ में आ सकती है परन्तु इसकी सूचना आल इंडिया रेडियो से जिला प्रशासन जारी करवा सकता था?

श्री श्योपतसिंह मकासर : भटनागर कोई सरकार है क्या?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय सायं 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृति दी गई)

सदन का समय सायं 6 बजे तक बढ़ाया गया

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ और अकाल पर चर्चा करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है, मैं इसको औपचारिकता ही समझूंगा। मान्यवर, कई वर्षों पूर्व बाढ़ और अकाल को एक दैवी प्रकोप समझा जाता था और उसके बाद ज्यों-ज्यों विकास हुआ इस को प्राकृतिक प्रकोप की संज्ञा दी जाने लगी परन्तु आज यह मानवकृत समस्या है। जो सरकार है, जो शासन चलाते हैं, उस सरकार का यह जिम्मा होता है कि वह देश की जनता को जो दूर-दूर स्थान पर रहती है, जो जंगलों में, खेत में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं

(92)

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

उन लोगों की जानमाल की रक्षा हो सके उसके लिए उनको समय पर इत्तिला हो सके उनको चेतावनी दी जा सके, यह चेतावनी देना इस राज्य का, सरकार का परम कर्त्तव्य है लेकिन हमारी सरकार ने यह कुछ नहीं किया और उसकी लापरवाही के कारण राजस्थान के 500 व्यक्तियों को जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा और करीब दो लाख मवेशियों को जो हिन्दुस्तान की एक बेहतर किस्म की नस्ल थी, जो करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति थी, उससे हम को हाथ धोना पड़ा। औरतों और मान्यवर, सारे कुएं, किसानों की जमीन, उनकी फसल और जो भी जैसा था, वह सब कुछ संचित किया हुआ माल एक-दो दिन के अन्दर स्वाहा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना की बात है कि जो सरकार सत्ता में है और अधिकारियों को यह मालूम है कि 15 तारीख की रात्रि को अजमेर संभाग में भारी वर्षा हो रही है 16 तारीख को भी भारी बरसातें हैं लेकिन जिलाधीश, अजमेर एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, जो प्रभावित क्षेत्र से हैं वहां पर सूचना देने की कोशिश नहीं की। मान्यवर 16 तारीख को दो बजे, शहर में, मेड़ता संभाग के छोटे-मोटे बंधे टूट जाने के कारण भयंकर बाढ़ का प्रकोप उस शहर में हुआ वहां 25 हजार की आबादी आंखों देखते, दिन के दो बजे और 5 बजे के बीच, में व करीब दो हजार मकान हजारों मवेशी और करीब 40 आदमियों से उस नगरपालिका को हाथ धोना पड़ा। मान्यवर, दिन के दो बजे पीपाड़ शहर में भयंकर ताण्डव नृत्य हुआ लेकिन वहां के एस. एच. ओ. वहां की नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों, और 20 किलोमीटर दूर बिलाड़ा है, वहां पर तहसील दार, विकास अधिकारी, थानेदार सभी लोग हैं, सारे साधनों से लैस हैं उन्होंने जोधपुर जिलाधीश को या सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, जब पीपाड़ में दो बजे पानी आ चुका था 40 आदमी मर चुके थे, हजारों घर बरबाद हो चुके थे, फिर भी किसी भी तरह की सूचना, या तो जिलाधीश ने लेने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने दी नहीं। अगर दी तो मान्यवर, यहां मंत्री महोदय विराजे हुए हैं ये मुझे जवाब देकर बतलायें। मान्यवर, दो बजे के बाद यह पीपाड़ काण्ड शहर में हुआ। इधर दो बजे जय संगसर बांध भर चुका था। दो बजे के बाद 7 बजे तक उस बान्ध में 12 से 15 फीट तक पानी भर चुका था लेकिन वहां पर जो जे० ई० एन० है, लाखों रुपये का लेन देन है इसी परपज के लिए वहां रखे गये हैं, उन्होंने कतई कोशिश नहीं की कि अपने अधिकारियों को या जिलाधीश को पूरी इत्तला दूं, उनको सूचित करूं। मान्यवर, अभी श्योपतसिंह जी ने कहा मेरे ख्याल से, उनको कोई गलतफहमी करा दी होगी, उस जे. ई. एन. ने इत्तला नहीं की बल्कि वहां के सरपंच ने इत्तला दी, तहसीलदार को टेलीफोन किया 5 बजे किया, 7 बजे फिर टेलीफोन किया कि बान्ध बहुत पूरी तरह से भर गया है, भयंकर नुकसान होने का खतरा है। लेकिन मैं आपको ठीक अर्ज करूं किसी भी तरह की इत्तिला रात को 8 बजे के पहले, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर उसको मालूम होता कि पीपाड़ में 40 आदमी मर गये हैं, पीपाड़ शहर में 7 फुट पानी फैल गया है, पानी 7 फुट से 15 फुट तक और बस स्टेशन पर 20 फुट तक आ गया था। लेकिन तहसीलदार ने एस. एच. ओ. और

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बिलाड़ा ने आगाह नहीं किया जब कि एक आध घंटे में तमाम लोगों को इत्तला की जा सकती थी, उन्होंने कतई इत्तला नहीं की। इससे बड़ी निकम्मी बात इससे बड़ा निकम्मापन अधिकारियों का राज्य सरकार के प्रति क्या हो सकता है? जो लोग घर में रहते हैं व सो रहे थे जिनको विश्वास है कि अगर घर में रात को कोई घुसकर चोरी करले, लूटमार करले तो सरकार का दायित्व है कि उसकी रक्षा करें तो मान्यवर, जहां प्रकृति का इतना बड़ा प्रकोप हो, जो कि एक मानवकृत प्रकोप है, इससे रक्षा करने का दायित्व सरकार का है। आपने ठेकेदारों की मारफत लोगों को मारने के लिए इस प्रकार के बान्ध बनवाये। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप लोगों का फर्ज था कि जो काम आपको 15 मिनट में सूचना देने का था वह आपने नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा में रात को 11 बजे, और इसके बाद में जब बन्धा टूटता है, और बाणगंगा का पानी खुलता है तो 11-12 के बाद बिलाड़ा में 50 आदमियों की जानें जाती हैं। जब तहसीलदार को 4 बजे इत्तला हो गई व फिर सूचना हुई 7 बजे हुई, और वहां पर भी तो बरसात हो रही थी, अगर अपने शतुरसवार, पटवारी, आर. आई. या नायब-तहसीलदार को दौड़ा देते, 5 मिनट का काम था, लेकिन एक ने भी जाकर के सूचना देने की कोशिश नहीं की, इत्तला नहीं की और उसकी वजह से 50 आदमियों को देखते-देखते रात में 12 और 2 बजे के बीच में मरना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आपके ज. ई. एन. जो तैनात हैं, उसने किसी भी प्रकार की सूचना दी व आगाह करने की कोशिश नहीं की। मन्त्री महोदय आपको शर्म आनी चाहिये, लेकिन आप सीट पर हैं नहीं, आपको शर्म आनी चाहिये, आप दो महीने बाद उस क्षेत्र में पधारे। आप तो कम से कम लायक हैं, समझदार हैं, दो महीने बाद वहां की जनता को आप पूछने जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं। मैं तो कहता हूं उस आदमी को इनाम देना चाहिये जिसने पांच सौ आदमियों को ही मरवाया अगर 25 हजार आदमी मरवाते तो बहुत बढ़िया करता आपकी मंशा पूरी हो जाती तो मान्यवर, जब अपने अधिकारियों को मालूम था कि आपकी वहां लाम्बा बांधा में एनीकट का काम चल रहा है ठेकेदार के आदमियों के वहां होने का इल्म था लेकिन विभाग के ज. ई. एन. ने वहां कोई सूचना नहीं दी वे 16 तारीख को नहीं मरे, 17 को नहीं मरे, 18 तारीख की सुबह तक मौत से संघर्ष करते रहे टीला कटता रहा, लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्था राज्य सरकार से नहीं हुई जब कि मोतीलाल बोहरा साहब, 50 लाख रुपये हेलिकाप्टर पर, गरीब जनता के खर्च पर सैर की, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मुझे एक व्यक्ति का नाम बताव जिसको आपने डूबने से बचाया हो, मैं मानता हूं कि आपने बड़ी सैर की, खूब घूमे...

श्री रघुनन्दन व्यास: उसमें रामसिंह जी विश्नोई भी थे, माथुर साहब जी भी थे, वह सैर कहां हुई?

श्री रामसिंह विश्नोई: मि. व्यास, यह बकवास करने का समय नहीं है, इस तरह की बात करने की नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं आपको भी मालूम था कि 16 तारीख को बाढ़ आई है 17 और 18 तारीख तक करीब 200 आदमी बिलाड़ा से लगा तार मेरे क्षेत्र तक शिकार हुए हैं, डूब गये हैं, उनको मौत हो चुकी थी लेकिन दूसरे गांवों में लोग मौत से जूझते रहे हैं कोई टीले पर चढ़कर

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

कोई पूछी पर, लेकिन राज्य सरकार से, जिला धीश कार्यालय से यह कहीं से भी कोई तरह की व्यवस्था उनको बचाने की नहीं की गई। इसलिये करीब 500 आदमी मारे गये। मान्यवर, केवल आदमी ही नहीं मरे, दो लाख मवेशी भी जो बचाये जा सकते थे, नहीं बचाये जा सकी अगर आप समय पर इत्तला कर देते। क्योंकि लगातार बरसात हो रही थी, भारी बरसात थी, लेकिन इतनी भारी नहीं थी कि आपकी पूरी संचार व्यवस्था ठप्प हो जाय। लेकिन दो लाख मवेशी जो करोड़ों रुपयों की होती है, व भी पश्चिमी राजस्थान के मवेशी, अगर पानी आने के पांच मिनट पहले या बाद में उनको खोल दिया जाता तो एक मवेशी भी नहीं मरता। लेकिन वहां की जनता और किसान सभी घरों के अन्दर बिना इत्तला के पड़े रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मान्यवर, इस प्रकार से करोड़ों बीघा जमीन और हजारों बीघा की फसल नष्ट हो गई है। 25 तारीख तक जिलाधीश, जोधपुर को यह भी मालूम नहीं हो सका कि कितने गांव हैं। आप जाते हाथ पैर हिलाते लेकिन किसी तरह की कोशिश नहीं की है। जोधपुर और पाली की छोटी-छोटी संस्थाओं ने सभी ने मिलकर काम किया है।

(व्यवधान)

वहां की गरीब जनता ने किया है।

श्री नूरा : आपका मतलब आर. एस. एस. से तो नहीं है।

श्री राम सिंह बिश्नोई: नहीं, नहीं।

श्री श्योपत सिंह मकासर: क्या बात कर रहे हैं।

Why are you sitting here? What do you want to say?

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : सही बात का समर्थन करने दें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सही बात क्या? तुम्हारे राज में बैठे हैं? ऐसे बुरे-बुरे काम किये हैं। कोई अच्छे काम किये हैं?

श्री रतन लाल वर्मा: आपने तो जिन्दगी में बुरे-बुरे काम ही किये हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर: तुम्हारी तरह से लॉटरी में नहीं आये हैं। तीसरी दफा यहां आया हूं–This is the third time, and with a great majority.

दुबारा फिर आऊंगा।

श्री रतन लाल वर्मा : मैं भी दुबारा आऊंगा। डंके की चोट से अभी चैलेंज करता हूं। कोई ताकत नहीं रोक सकती है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : बोलने दो।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आपने रात दिन क्या किया था, यह मतलब कहो।

श्री श्योपत सिंह मकासर: मोहन पूनमिया पाली के रहने वाले हैं।

(व्यवधान)

आपने राज ले लिया। और क्या चाहते हैं। What do you want more.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्योपत-सिंह जी। दूसरों को भी बोलने दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन पर लगाम

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
लगाइये। यह ग्रुप आफ ××× बैठा है। उनको रोकिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों को इन्होंने ××× कहा है। इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे कहते हैं बंधुआ मजदूरों को रखते हैं। मुझे कहते हैं ××× कह दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ××× शब्द अगर कहा है तो उसे एक्सपंज किया जाये।

श्री रामसिंह बिश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा, यह जो बाढ़ आई तो जो मवेशी बंधे थे खत्म हो गये। सरकार का कुछ फर्ज था। मैं ठीक अर्ज करता हूँ। चाहे जोधपुर जिलाधीश का रिकार्ड देख सकते हैं। दानदाताओं की बात नहीं कहता लेकिन 14 दिन तक एक दिन भी आटा, चारा दिया हो, या मवेशी को खिलाया हो तो जो चाहें आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि राज्य सरकार का फर्ज है कि वहां जाकर व्यवस्था करें यह सरकार का फर्ज है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक रुपया भी खर्च नहीं किया।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कटे हुए कपड़ों का बंडल ले गये।

श्री रामसिंह बिश्नोई : 15-16 तारीख तक उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिंह जी चर्चा समाप्त करें। कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : बस मुझे थोड़ा ही बोलना है।

एक माननीय सदस्य : यह लूणी से आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, आपको बोलने का पूरा समय दिया गया है। और भी माननीय सदस्य बोलेंगे, उनको भी समय देना होगा।

एक माननीय सदस्य : बाकी तो बकवास है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मान्यवर, 20 तारीख के बाद, 16 तारीख से 26 तारीख तक एक बिजली का खम्बा लगाना था तो उसमें 15 दिन लग गये। एक खम्बा खड़ा करने में 15 दिन लग गये। जोधपुर की जनता ने जेवर बेचे। उन के खाने की व्यवस्था की। उन्होंने स्वयं प्रयत्न किया। तब जाकर 15 दिन में खड़ा हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार ने लापरवाही बरती है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए लोगों की काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई अधिकारी था तो किन कारणों से यह हुआ। लाखों करोड़ों रुपयों की किसानों की क्षति हुई है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा, तो लाख मवेशी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मर गई...

(श्री [illegible]) ... जो दो साल पहले हिन्दुस्तान के अन्दर ... जिनका नाम था। हालत बिगाड़ दी है। बुरी हालत कर रखी है। मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को दो लाख की क्षति हुई है। उनको 50 प्रतिशत देकर उनकी क्षतिपूर्ति करें। इससे वह ढंग से वह कुछ कर सकेंगे। मान्यवर, दो महीनों से डीजल और सीमेंट का एक कट्टा भी किसानों को उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि दो हजार लीटर डीजल आता है। लेकिन कुछ नहीं मिलता है। किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

तात्पर्य यह है कि जो नुकसान हुआ है वह प्रकृति के प्रकोप से हुआ है। इसकी क्षतिपूर्ति कर देना चाहिए। क्या यह हमारा फर्ज नहीं है। आपने जोधपुर डिवीजन का बायकाट किया है। यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यह सभी को मालूम है कि सरकार की क्या नीति रही है। अभी समय है। आप ऋण देकर जो कर्जा देते हैं, उससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उनकी फसलें खराब हो गई हैं। उनकी मदद करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री [illegible] ...

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री सूर्यनारायण चौधरी (संसदीय मामलात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर, 1979 को मध्यान्होत्तर 3.00 बजे से 4.45 बजे तक हुई।

समिति सिफारिश करती है कि 5 अक्टूबर, 1979 से 8 अक्टूबर, 1979 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय :—

शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

(1) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं पारण।

(2) राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं पारण।

(3) अतिरेक वर्ष 1973-74 व वर्ष 1974-75 अतिरेक मांगों पर विचार एवं मतदान तथा सम्बन्धित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन उन पर विचार एवं पारण।

(4) अनुपूरक अनुदानों 1979-80 की मांगों पर विचार व मतदान तथा सम्बन्धित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं पारण।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर, 1979।	(1)	राजस्थान पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं पारण।
	(2)	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार एवं पारण।
	(3)	राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक 1979 पर विचार एवं पारण।
रविवार, दिनांक 7 अक्टूबर, 1979।		बैठक नहीं होगी।
सोमवार दिनांक 8 अक्टूबर, 1979।	(1)	राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम विधेयक, 1979 पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी इस पर आपत्ति है, कई बार आसन से, निर्णय हो चुका है।

श्री ईश्वरचन्द : आप इण्डिपेण्डेन्ट थोड़े ही हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी को अभी कांग्रेस (आई) में प्रवेश नहीं मिला है।

श्री मूलचन्द डागा : फ्राईडे प्राइवेट मेम्बर्स रखा जायगा। मुश्किल से यह एक फ्राईडे मिला है, तीन बार निर्णय हो चुका है, फ्राईडे को प्राईवेट बिजनेस रखा जायगा, मुश्किल से एक फ्राईडे मिला और प्राईवेट मम्बर्स के लिए नहीं रखा है। दूसरी बात यह है कि क्या यह सम्भव है कि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने जो निर्णय लिया है, एक ही दिन में तीन बिल कैसे पास हो सकते हैं, पुलिस का बिल, पंचायत समितियों का और तीसरा एक और बिल। क्या ये तीनों बिल एक ही दिन की बैठक में होना सम्भव है, यह व्यवहारिक नहीं है, यह पहली बार हुआ है, तीन बिल एक ही दिन में। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सेटरडे मिलता है आपने सेटरडे भी रख दिया। 8 तारीख को जो बिल रखे हैं उसके क्लॉजेज हैं 79, क्या एक ही दिन में वह बिल पास हो जायगा। 1973-74, 1974-75 और 1979-80 को डिमाण्ड और सप्लीमेन्टरी ग्राण्ट्स क्या एक ही दिन में पास हो जायगी। क्या यह निर्णय हो गया है और हां कह दें तो क्या हम रबर की मोहर हैं। किसी ने थिन्किंग नहीं किया है, यह इम्पासिबल है। यह सम्भव नहीं है, सही भूमिका हम इस तरह से नहीं निभा सकते। कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं सकता, संशोधन नहीं कर सकता। कौनसा आसमान टूट रहा है। 8 के बाद रख लीजिये, 9 को या 10 को, चार महीने ही साल में क्यों चलाते हो।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, आपने कह दिया।

क्या सदन की सहमति है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रतिवेदन जो माननीय श्री सूर्यनारायण जी चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के बारे में कम कहूंगा, लेकिन अकाल के बारे कुछ सुझाव दूंगा। मेरे इलाके में अकाल स्थायी रहता है। बाढ़ के बारे में हमारा पड़ोसी इलाका है। मैं इस बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसे दो-तीन वक्ताओं ने कहा और पूर्व वक्ता ने भी कहा कि अकाल भगवान की देन है। लेकिन राजस्थान में अकाल मनुष्य निर्मित है। कांग्रेस के राज में जो इस पक्ष में बैठे नेता थे, उन्होंने तीस वर्ष तक यही कहा कि अकाल मनुष्य निर्मित है और इसका स्थाई हल होना चाहिये। चार-पांच विधायकों ने भी यह बात कही है लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि योजना का कोई स्थाई कार्यक्रम नहीं बनाया गया क्योंकि हमारी थिंकिंग इस प्रकार की नहीं है, ढाई साल हमको भी हो गया, मेरा यह मानना है कि हम भी उसी मार्ग पर जा रहे हैं। मैंने पिछले अधिवेशन में भी कहा था हिन्दुस्तान की एवरेज वर्षा जैसलमेर से कम है, पांच इन्च सालाना औसत आता है। आज कल छः या सात इन्च है हिंदुस्तान का एवरेज कम है यह ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से चला आ रहा है। अबकी बार पूरे राजस्थान में अकाल है, और बाड़मेर, जैसलमेर फलौदी की स्थिति तो बदत्तर है। योजनाएं बनाई गई लेकिन ये योजनाएं तो ठीक वैसे ही हैं कि घर में आग लग गई तब सामान को बाहर निकाला जा रहा हो। इस तरह से इसका कोई स्थाई हल नही हो सकता, जब तक सरकार पैसे का उपयोग और दुरुपयोग करती रही है, लीपापोती करती रही है लेकिन इस अकाल का कोई स्थायी हल नहीं हो पाया है। केन्द्र में ग्रामोन्मुखी सरकार है, यहां भी ग्रामोन्मुखी सरकार है। अकाल के निवारण का कोई स्थायी हल निकाला जाना चाहिये, मैं चाहूंगा श्री पूनियाजी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुख्य मंत्री जी से भी चाहूंगा कि रिप्लाई देते समय डिटेल्स में में बतावें कि इसके लिए स्थाई हल ढूंढने के लिए सरकार क्या करने जा रही है मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। फैमिन कोड भी बाबा आदम के जमाने का चला आ रहा है-हर बार यही कहा जाता है कि केन्द्र से पैसा ले लेंगे राजस्थान से ले लेंगे, मैं उस इलाके का रहने वाला हूं। जब तक इसका कोइ स्थाई हल नहीं हो जाता है तब तक मैं तो यह बात कहता रहूंगा। साथ ही मैं इसके स्थाई हल के बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। जैसा कि पिछले अधिवेशन में भी कहा और दूसरे सदस्यों ने कहा और हर मौके पर कहा गया, अकाल के बारे में बातचीत हुई, लेकिन वही पुराने कोड के हिसाब से 6 आना, सवा रुपया जो 1823 से चली आ रही है, वही मजदूरी चली आ रही है। अकाल की इक तरफा डींग हाकी जाती है, जो मशीनरी है,

(श्री किशनसिंह भाटी)

बड़े बड़े कमिश्नर्स हैं वे उसके आदी हो गए कांग्रेस ने जो किया वही हम कर रहे हैं। कहने को मन्त्रीजी ऊपर हैं, और अफसर नीचे, लेकिन मन्त्रियों के आदेश की अवहेलना की जाती है इसलिए हम इस व्यवस्था से निकल नहीं रहे हैं। वरना मेरे कुछ उपयोगी सुझाव हैं। फेमिन के इलाकों में काम करायें तो उपयोगी काम करायें। मगर जैसलमेर और रेगिस्तानी इलाकों में वहां के एक्स. ई. एन. और दूसरे अधिकारियों को कोई फाइनेंशल पावर्स नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम 1968 के फेमिन की तरह रेगिस्तानी इलाकों में खोलें। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कम से कम फेमिन पीरियड में एक्स. ई. एन. को पावर्स दीजिए। दूसरे नम्बर पर बाड़मेर जैसा इलाका है वहां एक्स. ई. एन. का आफिस है लेकिन वे रेगुलर पी. डब्ल्यू. डी. के काम करायेंगे, डेयरी की सड़कें बनायेंगे, पुलिया, बनायेंगे; क्या-क्या काम वे करेंगे? फूड फार वर्क को देखेंगे या फेमिन वर्क को देखेंगे? यह व्यवहारिक कठिनाई है। जब पूनियाजी वहां आए थे तो अधिकारियों व जन-प्रतिनिधियों ने उनसे कहा कि कम से कम फेमिन पीरियड में वर्कशाप स्थापित कीजिए क्योंकि फेमिन में जितने टैंकर्स जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में भी 50-40 टैंकर्स एक विधान सभा क्षेत्र में होते हैं, आधे तो ब्रेक-डाउन होकर पड़े रहते हैं। जैसलमेर में 40 टैंकर्स देते हैं, बाड़मेर को देते हैं, आधे रेतीले इलाकों में होते हैं और ब्रेक-डाउन्स जोधपुर में आकर होते हैं। 300 प्लस 300 कुल 600 मील से ठीक होकर टैंकर्स जाते हैं, इसलिए आप कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, आधे ब्रेक-डाउन्स वहीं पड़े रहते हैं। इसलिए पी. डब्ल्यू. डी. की स्थाई वर्कशाप कम से कम फेमिन डिपार्टमेंट में बाड़मेर, जैसलमेर और शेरगढ़ में 4-6 महीने के लिए स्थापित करें और 5-7 लाख की स्वीकृति की पावर्स एक्स. ई. एन. को दें और स्टाफ को बढ़ायें। मेरे यहां 514 गांवों में अकाल है, बाड़मेर में ज्यादा अकाल है, उस हिसाब से 177 गांव हमेशा प्यासे रहते हैं और एक टैंकर ज्यादा से ज्यादा 2 गांवों को अटैंड कर सकता है। इस दृष्टि से जो 40 टैंकर्स आप देते हैं, मेरे यहां 177 गांव परमानेंटली फेमिन में होते हैं, 177 प्यासे गांव हैं, फेमिन में ज्यादा होते हैं। इसलिए, 40-50 टैंकर्स उन गांवों को अटेंड नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम मेरे इलाके में, बाड़मेर, शेरगढ़ और फलौदी को आप ज्यादा टैंकर्स दें, आपके पास टैंकर्स कम हैं। मैं जब अधिकारियों से मिलता हूं तो कहते हैं कि न फोरेस्ट के पास टैंकर्स हैं न ग्राउंडवाटर के पास टैंकर्स हैं। हमारे रेगिस्तानी इलाके में फोर व्हीलर्स टैंकर्स जाते नहीं। इसलिए देश के जिन इलाकों में जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आप टैंकर्स लीजिए हमारे यहां रोटी व घास का इतना अकाल नहीं है। सबसे ज्यादा रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी का अकाल है मनुष्य व पशु के लिए।

ढाई साल से चिल्ला रहा हूं, प्रेस चिल्ला रही है, मुख्य मंत्री से मिले हैं और इनसे कहते रहे हैं कि जब तक डिफेक्टिव स्कीम्स को सेंटर से रिवाइज नहीं करायेंगे तब तक दिल्ली के तमूरलंग व चंगेजखां की स्कीम्स कैसे चलेंगी? वहां इंजनियर्स 3-4 घंटे इंजिन चलायेंगे, कहेंगे घर भरकर ले जायें पशु बाद में पा लेंगे। जहां पशुओं के पीने का कुआं है, वहीं आदमी का। यह काफला आफिसर्स का पता नहीं कहां खतम होगा। सब पश्चिम

(श्री किशनसिंह भाटी)

राजस्थान के लोग महसूस करते हैं कि डिफेक्टिव स्कीम्स 211 साल तक हम रिवाइज नहीं करा सके, आसमान से नहीं आयेंगे। इसलिये राजस्थान में मवेशियों और आदमियों के पानी का एक ही सोर्स होना चाहिये इसलिए मवेशियां को शामिल करें। इसलिए मैं संबद्ध मंत्रियों से चाहूंगा कि ये डिफेक्टिव स्कीम्स डिफेक्टिव मास्टर प्लान्स बने हुए हैं, इनको ठीक करायें रेगिस्तान में लाखों मवेशी जो अरबों रुपयों के हैं, जिस पर इकानामी निर्भर है और आदमी की जिंदगी के लिए लाइवस्टाक है, पशुधन है करोड़ों रुपए का 1968 में मारा गया। मैं जैसलमेर का उदाहरण देता हूं। स्कीम्स बन रही हैं, सुराणा साहब का स्टेटमेंट आया, कालवी साहब का पता नहीं कैसे हां में हां कह दिया, श्योपत सिंह और रघुनंदन व्यास विवेचन कर रहे थे जालौर-जैसलमेर की 300 मील की पट्टी ऐसी है कि सारे राजस्थान को खिला सकती है। लेकिन जैसलमेर के एक गांव से 30 मील दूर पशु जाकर चरे तो वापस नहीं आ सकता। पानी नहीं। आप स्थाई ट्यूबवैल्स तो नहीं कर सकते। जहां कहीं ट्यूबवैल्स के सोर्सेज हैं वहां से कच्ची लाइन जैसी वायर फिट करके काम करें आर्मी की तरह कच्ची लाइन बिछाते हैं तो आपकी जो पाइप लाइन्स हैं रेगिस्तानी इलाकों में जहां 200-200 मीलों में वहां टेम्परेरी लाइन पहुंचा दें और मवेशी फेमिन से बच जाएं तो आप पाइप लाइन बिछाएं चाहे टेम्प्रेरी फिटिंग करें। टेम्प्रेरी काम करोड़ों रुपए के कर दिए तो अरबों रुपए के मवेशी बच जायेंगे और किसी को यकीन न हो तो सारी कैबिनेट से दरखास्त करता हूं, विरोधी दल के नेता को लेकर चलिए 300 मील तक, फार माइल्स, टुगेदर, पानी नहीं है। इसलिए टेम्प्रेरी पाइप लाइन ले जायं और राजस्थान के लाखों करोड़ों मवेशी बच जायं बशर्ते आप में काम करने की इच्छा हो।

(5.25 सायं)

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

वसूलियों के बारे में कुछ साथियों ने कहा, रेगिस्तानी इलाके, बीकानेर, जोधपुर और दूसरे जो इलाके हैं चाहे भरतपुर भी हो एतराज नहीं, जहां अकाल है सारी वसूलियां रोकें और उनके बच्चों की जो एजूकेशन फीस ले रहे हैं कम से कम इस पीरियड में तो माफ कीजिए।

सस्ती दुकानों के बारे में पहले मोहन धारिया ने स्कीम बनाई। अब मोहन धारिया सोचते हैं अच्छा है। जैसलमेर से 250 मील पाकिस्तान में चले जायं तो आपकी आंखें खुल जायं। टी. टी. कृष्णमाचारी और सुल्तान सिंह डी. आई. जी. गए थे। जब उनकी जीप फंसी और 3-4 घंटे प्यासे मरे तो उनको पता लगा। वी. सी. पांडे थे उनको आपने डी. पी. ए. पी. का काम दे रखा था। दुर्भाग्य है कि राजस्थान हुकूमत के एक दबंग अधिकारी को आपने दिल्ली में बिठा दिया। लेकिन टी. टी. कृष्णमाचारी और ओ. एन. जी. सी. ने प्लान शुरू किया। इसलिए आप वहां पधार कर देखें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ट्यूब वैल्स खोदिए, जो सरप्लस रिग्स हैं वे शेरगढ़ और जैसलमेर में भेजिए और कम से कम सौ-पचास ट्यूब वैल्स फेमिन पीरियड में खोल दें। यह रेगिस्तानी इलाका हरा भरा हो जाएगा। लेकिन आप तो सिर्फ कागजों में उलझ गए।

दूसरा, मेरा यह सुझाव है कि सस्ती

(श्री किशनसिंह भाटी)

दुकानों के बारे में धारिया साहब यह नहीं जानते थे जैसलमेर और फलौदी आदि की कितनी आबादी है इसलिए उन्होंने हिन्दुस्तान को देखते हुए कह दिया कि हर 5 हजार की आबादी तक यह सस्ती दुकानें पहुंच जायेंगी। मेरे क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में, खेतसिंह जी के क्षेत्र में, कोलायत के क्षेत्र में हजारों गांव ऐसे हैं कि जहां 5 हजार तो क्या तीन की भी आबादी नहीं है। इस लिए भारत सरकार ने जो बैस्ट स्कीम बनाई है मैं सुझाव दूंगा कि फैमिन पीरियड में कम से कम हर गांव में नहीं तो कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर्स पर यह सस्ती दुकानें कीजिए। यह व्यवहारिक सुझाव है और इसके सिवाय कोई अड़चन नहीं हो सकती। फमिन के यूटीलिटी के काम होने चाहिए, दवाइयों के काम के इन्तजाम होने चाहिए। बड़े-बड़े ऑफिसर्स और कुछ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव भी सभी तरह के लोग हैं, जो काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं वहां चैकिंग ढ़ग से हो। एन्टी-करप्शन का सैल मोबाइल हो कर घूमता रहे, ऐसा करेंगे तो राजस्थान की जनता आपका बड़ा उपकार मानेगी। युद्ध स्तर पर काम कीजिए। सरकार के पास सी.आर. हैं, मुख्य मंत्रीजी के पास लिस्ट है, राजस्थान की बैस्ट मशीनरी, अच्छे कलेक्टर, अच्छे ए. ई. एन. और अच्छे ऑफिसर्स जिस डिपार्टमेन्ट में भी हों उस फैमिन को आप युद्ध स्तर पर लीजिए। बाढ़ के प्रश्न को युद्ध स्तर पर लीजिये। राजस्थान में बैस्ट मशीनरी 6 महीने के लिये फैमिन स्ट्रिकन एरिया में, ड्राट स्ट्रिकन एरिया में लगा दीजिए और जो अच्छा काम करें उसको आप रिवार्ड दीजिए। जो नैपाल ने पॉलिसी अख्तियार की उसको प्रशासन के सुधार पर कहें। जो ट्यूबवैल ब्रेक-डाउन हो जायें, जहां मजदूरों को पेमेन्ट नहीं होता और जहां जानबूझकर पानी नहीं पहुंचाया जाता ऐसी मशीनरी के खिलाफ सीरियस ऐक्शन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तब आपको अच्छे ऑफिसर्स का पता लगेगा। मैं समझता हूं कि इन सुझावों को सीरियसली लेकर इसके बारे में आप चलेंगे।

रेगिस्तानी इलाके में जहां गरीब मेघवाल लोग रहते हैं उनकी औरतों को पानी लाने के लिए तीन सौ फीट के कुएं हैं। मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम फैमिन पीरियड में जितने कुएं हैं हमारे रेगिस्तानी इलाके में उनको डीजल की मशीनरी दे दें। वहां पर 40 मेघवालों के घर हैं और उनमें से एक के पास भी ऊंट नहीं है और उनका कहना है कि फैमिन में हमारे जानवर भी पानी ज्यादा पीते हैं। और यह डीजल की मशीनरी उनको दी जायें तो लाभ हो सकता है। और यह होता है तो अल्पसंख्यकों, गरीबों को, हरिजनों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फूड फोर वर्क्स के बारे में एक-दो लाइन सुझाव है। रेगिस्तानी इलाकों में जैसे बीकानेर, जोधपुर के इलाकों में न तो स्कूल बन सकते हैं और न सफाखाने बन सकते हैं और न कोई और धर्मार्थ के काम हो सकते हैं क्योंकि वहां हमेशा अकाल रहने की वजह से वहां के लोगों की माली हालत खराब है। हमारा पब्लिक कण्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता इसलिए फैमिन आपके लिए गोल्डन अपार्चु-

(102)

(श्री किशनसिंह भाटी)

निटी हैं । जो पैसा दें फूड फौर वर्क में यह मैटेरियल का दिया जाता है तो आप फैमिन के हैड में से भी फूड फौर वर्क में पैसा दे दें तब तो इन रेगिस्तानी इलाकों में कुछ उपयोगी काम हो जायेंगे ।

दूसरा काम हमने शुरू किया बहुत अच्छा है लेकिन बहुत बड़ी डिफिकल्टी रेगिस्तानी इलाके की है । पंचायत समितियों में एक-एक ओवरसीयर है और हमारे यहां पंचायत समिति का हल्का कितना है जितना आपके दस विधान सभाई क्षेत्र हैं उतना । अब सरपंच वहां अंगूठा छाप और ओवरसीयर पंचायत समिति में एक होने के कारण सात पीढ़ियों में भी सब गांवों में नहीं जा सकता इसलिए मेरा सुझाव है कि आप टेम्प्ररी ओवरसीयर ले लें या फिर दूसरे डिपार्टमेन्ट्स से डेपुटेशन पर ले लें । फैमिन पीरियड में फूड फोर वर्क को बीकानेर जिले में पहुंचायें ।

दूसरे फूड फोर वर्क प्रोग्राम में एक डिफिकल्टी है कि लोगों को जो धान लाना पड़ता है उसके लिए वह जोधपुर आते हैं, वहां से क्लियरेन्स एफ. सी. आई. से लेकर पोकरण आना पड़ता है और इसलिए आना पड़ता है कि पोकरण में गोदाम है और पोकरण मेरी कान्स्टीटुएन्सी के बिलकुल एक किनारे पर है । 18 हजार स्क्वायर मील में मेरी कान्सटीटुएन्सी है और उसके किनारे पर गोदाम है और वहां से धान जाता है गांवों में । तो जितना धान आप देते हैं ट्रान्सपोर्टेशन की कीमत ज्यादा लग जाती है । इसलिए इस फैमिन के पीरियड में जिला हैडक्वार्टर्स पर और पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर धान का आप जखीरा रखिये और 50-60 मील में ही धान उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था आप कर दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा ।

दूसरे, घास का जहां तक सवाल है उसके लिए आप डिपोज खोलते हैं और वे बहुत लेट खोलते हैं और केवल शहरों में ही एक दो जगह खोलते हैं । जहां घास खतम हो गयी है कम से कम सब-तहसील हैडक्वार्टर पर, और. आई. सर्किल पर पचास गांवों में जहां घास नहीं है वहां यह सुविधायें उपलब्ध करायें । मैं चाहता हूं कि इसको आप डी-सेन्ट्रलाइज करें तो गांवों में लोगों को इससे बड़ी रिलीफ मिलती है और उसका कुछ फायदा मिल सकता है ।

दूसरे, इस बारे में मैं यह चाहूंगा कि पशु आहार आप देते हैं फैमिन पीरियड में, वह सस्ता दे सकें और पंचायत हैडक्वार्टर तक व्यवस्था कर सकें तो सब तरह के लोग फायदा उठा सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सड़कों के किनारों पर दुकानें हैं, सैन्टर हैं और जो रिमोट एरियाज हैं उनको कोई लाभ सरकार की स्कीम का नहीं मिलता इसलिए मैंने जो कहा है वह इसलिए कहा है कि आप इसको सीरियसली लें और इस प्रॉब्लम की तह में जायें और जिन गांवों में फायदा नहीं पहुंचा है उनको भी फायदा दें । इसके अलावा एक बात और कहूंगा कि ट्यूब वैल्स चलते हैं वह 4 घंटे भी नहीं चलते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में तो वह 8 से 12 घंटे तक

(श्री किशनसिंह भाटी)

चलने चाहिए और पीने के पानी की भी सुविधा होनी चाहिए इस पीरियड में । आपको युद्ध स्तर पर यह कार्य करने चाहिए ।

साथ ही साथ, बाढ़ के बारे में दो शब्द कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब आसन ग्रहण करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : दो मिनट लूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्योपतसिंह जी की तरह नहीं करूंगा । केवल अपने पड़ोसी जिले के बारे में हमदर्दी जाहिर करने के लिए इतना जरूर कहूंगा कि बाढ़ में जो हो गया सो हो गया । कृषि मंत्री जी कहते हैं कि ढाणी-ढाणी आदमी भेजे हैं । मैं इसको मानता हूं लेकिन उससे पहले जैसे जोधपुर स्टेट में इन्तजाम था उसी तरह का इन्तजाम होना चाहिए था । आपको एक जांच करनी चाहिए और जो लोगों को धान दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है एक तो उसका मिस-यूज नहीं हो और दूसरे आप सैकड़ों बुलडोजर लगा दें जैसा पंडित जी कह रहे थे कि 500 मील जमीन एक बार में समतल नहीं कर सकते । इसलिए कम से कम खेती की जो जमीन है उसको समतल करने के लिए लोगों को बुलडोजर्स दिये जायें और कुओं के लिए राशि दी जाये और कनेक्शन जल्दी दिये जायं । बाढ़ में जो हो गया सो तो हो गया लेकिन रिहेबिलिटेशन का काम है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए । तब ही यह काम ढंग से हो सकता है । जो मिनिमम 25-26 पाइन्ट प्रोग्राम दिये हैं उनको आप स्वीकार करें और जिन स्वयं सेवी संस्थाओं ने जोधपुर और बाड़मेर वालों के लिए इन्तजाम किये हैं उनकी मैं भूरी-भूरी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । मैं समझता हूं कि फैमिन का स्थाई हल हमारा मंत्री मण्डल, प्रगतिशील मंत्री मण्डल, जनता पार्टी का मंत्री मण्डल जरूर करेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा ही नहीं अपितु विश्वास है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह ।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची आपके पास पहुंची होगी । हमारा भी दल है इसलिये हमारा ख्याल रखा जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा कल भी होगी । आप कल के लिये प्रतीक्षा करें ।

श्री बहादुर सिंह (नौहर): उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की विभीषिका के बारे में जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, उनको न दोहराता हुआ, बाढ़ के लिये केवल इतना ही कहूंगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक प्रकोप है लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप को आसानी से रोका जा सकता है और अगर हमारी सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करती तो बाढ़ इतना नुकसान नहीं कर सकती थी । अगर हमारी सरकार ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आगाह किया होता, तो जान और माल का नुकसान नहीं होता । मैं सरकार पर एलीगेशन लगाना चाहूंगा कि यह इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण 500 आदमी की जानें गईं और उनकी मृत्यु का जिम्मा मौजूदा सरकार पर है । इस बारे में बाढ़-क्षेत्र का जो विवरण दिया गया है उसके लिए माननीय बाढ़-सहायता मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ सहायता अपर्याप्त है । जिनके घर बर्बाद हो गये हैं उनको 25

(104)

(श्री बहादुर सिंह)

रुपये से लेकर 300 रुपये तक की सहायता देने का है। जिनके खेतों की मिट्टी बह गई, ट्यूब वैल खत्म हो गये, जिनका अनाज बह गया, घर का सामान बह गया उनको 25 रुपये से लेकर 300 रुपये देना वाजिब बात है?

दूसरा सरकार का ध्यान में इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मरता है उसको 5 हजार रुपया मुआवजा देते है....

एक माननीय सदस्य : एक लाख रुपया देते हैं।

श्री बहादुर सिंह : अगर बाढ़ में मरता है तो 1 हजार रुपया देते हैं। क्या सरकार इतना फर्क समझती है आदमी की जिन्दगी में। हवाई जहाज में सफर करने वाले व्यक्ति की जिन्दगी ज्यादा कीमती होती है और गरीब काश्तकार जो हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता उसकी जिन्दगी इतनी सस्ती होती है, केवल एक हजार रुपया देते हैं। यह सरकार के लिये शर्म की बात है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो हवाई जहाज के एक्सीडेन्ट में मरता है उसकी तरह ही प्राकृतिक प्रकोप से मृत्यु होने वाले को भी एक लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिये।

दूसरा, मैं सुझाव दूंगा रिहेबिलिटेशन के बारे में। जो बाढ़ से वर्बाद हुए हैं उनको इस तरह से मुआवजा दिया जाय कि वह अपनी खेती कर सकें। खेती न केवल उसके अपने लिये है बल्कि खेती का न होना राष्ट्र का नुकसान है बाढ़ से जिन लोगों की जानें गई हैं उन लोगों को ज्यादा कम्पनसेशन दिया जाय और रिहेबिलीटेशन के लिय ज्यादा मुआवाजा और शीघ्र सहायता दी जाय।

अकाल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं गंगानगर जिले से आया हूं, मेरा क्षेत्र ऐसा है जैसा कि बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर जिलों के क्षेत्रों की हालत है। जो दिक्कतें वहां हैं उससे कहीं ज्यादा दिक्कतें मेरे क्षेत्र में हैं पानी की समस्या मेरे क्षेत्रों में है। दूसरे क्षेत्रों में पेयजल की समस्या इतनी नहीं है। हमारे जिले में जितनी समस्याएं हैं शायद ही उतनी भयानक समस्यायें किसी दूसरे क्षेत्र में होंगी। सैंकड़ों गांवों के अन्दर 10,–10, 11–11 और 12 मील से पानी लाना पड़ता है। पानी पर्याप्त मिलता नहीं। मेरे क्षेत्र के जो गांव है उनके कुओं का पानी नीचे चला गया है। पानी आया नहीं। जो पानी है वह जहरीला होता जा रहा है। दो आदमियों की मृत्यु भी हो गई है। हजारों पशु मर गये हैं। तालाब सूख गये हैं और लोग इलाका छोड़ने के लिये मजबूर हो गये हैं। सरकार को बारबार प्रतिवेदन देने के बावजूद, बारबार अकाल सहायता मंत्री को कहने के बावजूद आज किसी किस्म की कोई सहायता नहीं दी गई है। अकाल सहायता मंत्री का क्षेत्र मेरे क्षेत्र के बहुत नजदीक पड़ता है। उनके क्षेत्र से मेरे क्षेत्र में समस्यायें कहीं ज्यादा है। उनके क्षेत्र में सब सहायता पहुंच रही है। हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंच रही है। इसलिये कि हम विरोध में बैठते हैं। वहां का विधायक मंत्री नहीं बन सका इसलिये वहां के लोग प्यासे मरते हैं, यह सरकार के लिये शर्म की बात है और यह भी कहना चाहता हूं कि अकाल सहायता मंत्री इस तरह से पक्षपात करके जन भावना का निरादर न करें।

अकाल सहायता के बारे में मैं दूसरा सुझाव देना चाहूंगा। जिस तरह राहत कार्य

(श्री बहादुर सिंह)

शुरू किये जा रहे हैं वह बड़ी दुखदायी बात है। आज भी सरकार की ओर से जो अकाल सहायता का विवरण दिया गया है, जिन स्थानों के नाम दिये गये हैं वे केवल 13 जिलों के हैं। गंगानगर जिले का नाम नहीं है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में नौहर, भादरा, सूरतगढ़ के इलाके में गेहूं की, चारे की समस्यायें ज्यादा हैं, ज्यादा दुखदायी हैं। पेयजल की समस्या, चारे की समस्या मेरे क्षेत्र में भी है। इस लिये मेरे क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाये। आपने प्रतिवेदन में कहा है कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। एक महीना पहले भी मैं मंत्री जी से मिला था उस वक्त भी मंत्री जी ने यह कहा था कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। 15 दिन के बाद मैं फिर मिला उस वक्त भी वही जबाव था कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। आज हमको जो विवरण दिया गया है एक महीने बाद जो हाउस के सामने प्रतिवेदन रखा है उसमें भी यही कहा है कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। मंत्री जी कितना वक्त लगेगा ? क्या एक तहसीलदार अपने तहसील की यह रिपोर्ट नहीं दे सकता कि कितने गांवों में पेयजल की समस्या है। एक दिन का काम है। एक महीने में सरकार से नहीं हो रहा है। इससे बढ़कर सरकार के लिये अकर्मण्यता का उदाहरण क्या दिया जा सकता है। अकाल एक प्राकृतिक प्रकोप है मगर सरकार अगर सचेत रहे तो अकाल की विभीषिका को कम किया जा सकता है। हमारी सरकार ने तो यह समझ लिया कि सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां समतल जमीन है नहरों से पानी लिया जा सकता है। मैं मेरे क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। नौहर फीडर 81 लाख की स्कीम थी। एक करोड़ रुपया सर्वे पर खर्च कर दिया लेकिन आज तक शुरु नहीं हुई। सिद्धमुख कैनाल, सरकार ने एक करोड़ रुपया से ज्यादा सर्वे पर खर्च कर दिया लेकिन आज तक नहर को शुरु नहीं किया गया। भाखड़ा कैनाल में थोड़ा सा खर्चा करके पानी बढ़ाकर नौहर भादरा क्षेत्र में पानी किया जा सकता है। कम खर्च पर पानी दिया सकता है। एक बार मैंने सरकार को इस बारे में सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इससे वह इलाका सरकार को पैदावार देता। सरकार का पैसा जो अकाल सहायता पर खर्च करना पड़ता है वह नहीं करना पड़े। जो हम अकाल सहायता में पैसा देंगे उतने पैसों के अन्दर उस एरिया के अन्दर पीने का पानी और यह पैदावार के साधन बढ़ाये जा सकते हैं। नहरें लाई जा सकती थीं लेकिन सरकार ने निरन्तर उपेक्षा जारी रखी। मेरे से पहले वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सिंचाई मंत्री जी वे हैं जिन्हें सिंचाई का आज ज्ञान नहीं है। वे अपने कोटा के सिंचाई के साधनों में कुछ कर रहे हों तो मुझे मालूम नहीं हैं लेकिन जहां जहां सिंचाई के साधन बढ़ाने चाहिये थे वहां तो माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। राजस्थान कनाल की तरफ ध्यान देना चाहिये था।

(व्यवधान)

बहुरूपिया रहने दो।

हमारे राजस्थान कनाल का पानी बेकार जा रहा है--डिप्रेशन में गिर कर सीपेज की समस्या पैदा कर रहा है। सीपेज की समस्या के लिये सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। उस पानी को चेनेलाइज कर के यटिलाइज करना चाहिये--इस प्रकार से

(श्री बहादुर सिंह)
अकाल नहीं पड़ता। आज कई घर उजड़ गये और बेघरबार हो गये ।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता: भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है ।

श्री मूल चन्द डागा : यह भैंस कौन है?

श्री बहादुर सिंह : भैंस का दूध सूख गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं फैमिन का काम कराते समय सरकार ध्यान दे। परमानेन्ट अकाल को रोकने के लिये अगर ज्यादा पैसा लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगरसरकार ने केवल इधर से उधर फर्जी रोल बनाने के लिये दे दिये तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है । मंत्रीजी का तजुर्बा होगा आपके क्षेत्र में पिछले फैमिन में पैसे लगे थे ढ़ाई करोड़ और कहां 2 खर्चा हुआ है, यदिइसका पता लगाया जाय तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कहां पैसा खर्च हुआ था आपके क्षेत्र में यह कहावत मशहूर है कि अकाल पड़ता है तो जमाना होता हैं इसलिय मेरा निवेदन है कि इस उदाहरण का दुवारा न दोहराये। फमिन में किये गये काम हमेशा बने रहें और लोगों को भी रोजी रोटी मिल जाय, इस ओर सरकार का ध्यान रहना चाहिये ताकि सरकार को भी उन लगे गये रुपयों का रिटर्न मिलता रहे और जिस से देश की मजबूती भी बढ़ती रहे और कहीं चाटू कारों के चक्कर में पड़ गये तो यह देश बरबाद हो जायेगा और वांछित सहायता नहीं मिल पायेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं केवल एक बात और निवेदन करना चाहता हूं गंगानगर जिले में भादरा और नोहर में जो बारानी क्षेत्र हैं और नहरी क्षेत्रमेजहां ऐसे क्षेत्र हैं जो केवल नाम मात्र के हैं:—15-15 हजार बीघा भूमि हैं और केवल एक हजार बीघा में ही कुछ काश्तकारों के खेत आ पाते हैं। बाकी के नहीं आते हैं इसलिए वहां भी आपको कुछ करना चाहिये, क्योंकि वे परेशान हैं। इसलिये ऐसे क्षेत्र जो बारानी हैं, उनको अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय। मेरे क्षेत्र में कहते होते हुए भी कहते डिक्लेयर नहीं किया गया है तो वहां के काश्तकारों की हालत आज बदतर है,जहां पशु धन मर रहा है, मनुष्य मर रहे हैं और बड़ी मुसीबत में हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री-जी को फिर आगाह करना चाहता हूं उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जाय और शीघ्र अकाल राहत कार्य शुरू करवाये जाय

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी ।

(व्यवधान)

श्री जगदीशचन्द्र: आप क्या बोलेंगे, हमें बोलने दीजिये । इनके यहां अकाल का असर नहीं पड़ा है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति के इस मामले पर चर्चा करते समय राजनीति से दूर रहना चाहिये, लेकिन मैंने देखा कि पाली में जब बाढ़ आई थी तब यहां के मंत्री हैलीकोप्टर में बैठकर आये थे और जब वहां इस बारे में मीटिंग हुई तो एक मंत्री के पीछे 25 गाड़ियां कतार के रूप में देखीं । आप अन्दाज लगा लीजिये बाढ़ की स्थिति के लिये इनका क्या रवैया है 25 गाड़ियों में सब अधिकारी आ रहे थे और उसके बाद मंत्रीजी आ गये आते ही उन्होंने पहला प्रश्न किया बोलिये डागाजी कितना बीज चाहिये मैंने कहा

(श्री मूलचन्द डागा)
बीज का कहां सवाल है, अभी तो गांवों में पानी भरा हुआ है। मंत्री बिलकुल नये-नये आये हैं–इन्हें मालूम नही गांव डूबा हुआ है। क्या है वहां कि किसी अधिकारी ने रटाया होगा कि बीज पूछ लेना कितना चाहिये। मैंने कहा बीज की बात तो अभी बंद करो और पहली बात यह करो कि जो गांव पानी से घिरे हुए हैं पहले वहां जाओ और उन लोगों को सुरक्षित स्थानो पर पहुंचावो।

एक माननीय सदस्य: कौन मंत्री हैं, उनका नाम बतायें।

श्री मूलचन्द डागा: नाम तो, क्या, बड़े साफे वाले हैं। फिर साहब क्या होता है, वह कह दिया कि मुझे 15 मिनट ठहरना है मैंनें चार पांच प्रश्न किये और पूछा कैसे लोगों को निकाल कर ला रहे हैं. क्या आपकी योजना है। कहते हैं, मेरे पास तो 10 मिनिट का टाइम है डागाजी और 10 मिनिट में ही जाना चाहता हूं, क्योंकि आगे भी जाना है।

मैंने उन्हें यह भी बताया सावलता, खाण्डी, पाली पानी से घिरे हुए हैं

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया: आप फर्मा रहे हैं उनको रोकना चाहते थे तब उन्होंने कहा मुझे आगे जाना है।

(अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा: आप मूलचन्दजी जाने दीजिये। आपकी बात तो मानी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं जो स्टडी टीम आई है, पहला पाइन्ट तो यह कहना चाहता हूं चाहें कोई मंत्री आये, जो कतार थी गाड़ियों की और उसमें कितना खर्चा आया है, उसको देखें। मैं कहना चाहता हूं अकाल में जिन्होंने ज्यादा टूर किये हैं चाहे मुख्य मंत्रीजी हों या अन्य कोई मंत्री हो उसके पीछे गाड़ियों की बड़ी कतारें लग जाती थीं। आपके सारे अफसर, आपके सारे इंजीनियर बिना काम गाड़ियों में घूमते थे।

श्री रतन लाल शर्मा: यह तो सुखाड़िया साहब करते थे....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: सुखाड़िया ने किया है तो गलत किया है। बाढ़ से पीड़ित लोगों को देखने के लिये आये हैं या मौज मस्ती, घूमने आये हैं, इसको भी देखना चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: टाइम हो गया।

श्री मूलचन्द डागा: अभी तो चिट्ठा खुलेगा तब मालूम पड़ेगा क्या टाइम हो गया तो श्रीमन् मैं पहला प्रश्न यह करना चाहता हूं—जो स्टडी टीम आयी, उसके लिये खाना हुआ दो सौ आदमियों का और यह खाना रात्री के 12.00 बजे तक चलता रहा। मैंने पूछा बाढ़ पीड़ित लोगों को देखने आये है या खाना खाने आये हैं। मैं पूछना चाहता हूं बाढ़ और अकाल के समय में जितने मंत्रियों का दौरा हुआ और जितने हवाई जहाज से दौरे किये और जो स्टडी टीम आयी उसमें कम से कम आपके 15 लाख का खर्चा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल दिनांक 4-10-1979 प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। (तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 600 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 4 अक्टूबर 1979 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची)

आपातकाल में 244 (2) में जो डॉक्टर सेवा निवृत्त किए गए हैं, उनकी सूची

क्र.सं.	सेवा-निवृत्त डॉक्टर का नाम व पद	स्थान जहाँ से सेवा-निवृत्त किया गया	सेवा-निवृति की तिथि	राज्य सेवा में पुनः लिया अथवा नहीं
1.	डॉ. (श्रीमती) जे. डी. वालिया, सी.ए.एस.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	3-10-75	राज्य सेवा में पुनः नहीं लिया गया।
2.	डॉ. ए. एन. दास, सी. ए.एस.	नगर परिषद् अजमेर में प्रति नियुक्ति पर (मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्यावर) के अधीन	10-10-75	पुनः राज्य सेवा में ले लिया गया।
3.	डॉ. बी.बी. तारा, सी. ए. एस.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	9-10-75	पुनः राज्य सेवा में नहीं लिया गया।
4.	डॉ. दर्शनसिंह, सी. ए. एस.	मैडीकल कॉलेज, जयपुर	11-10-75	पुनः राज्य सेवा में नहीं लिया गया।
5.	डॉ. एस. सी. गुप्ता, सी. ए. एस.	एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर	9-10-75	पुनः राज्य सेवा में नहीं लिया गया।
6.	डॉ. एस. ए. सकपरिया, सी. ए. एस.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा	10-10-75	पुनः राज्य सेवा में नहीं लिया गया।
7.	डॉ. एस. सी. शुक्ला, सी. ए. एस.	मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी, प्रतापगढ़	11-10-75	पुनः राज्य सेवा में नहीं लिया गया।

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची)

पिछले पांच वर्षों में खोले गए होमियोपैथिक औषधालयों की सूची

वर्ष	नाम औषधालय	जिला
1974-75	कोई औषधालय नहीं खोला गया ।	
1975-76	1. बरोली	भरतपुर
(4)	2. आंतरदा	बून्दी
	3. पिरवाली	नागौर
	4. मंडवारिया	सिरोही
1976-77	5. राजगढ़	चित्तौड़गढ़
(7)	6. नीमला	श्री. गंगानगर
	7. मुकन्दगढ़	झुन्झनू
	8. खारिया मीठापुर	जोधपुर
	9. लेबर कोलोनी, कोटा ..	कोटा
	10. सुमेल	पाली
	11. परिता	सवाई माधोपुर
1977-78	12. अलवर	अलवर
(21)	13. खेरवा	बांसवाड़ा
	14. सिधावली	भरतपुर
	15. भरतपुर	भरतपुर
	16. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
	17. बीकानेर	बीकानेर
	18. बून्दी	बून्दी
	19. गंगानगर (पुरानी बस्ती)	गंगानगर
	20. बालसमन्द, जोधपुर	जोधपुर
	21. रेलावन	कोटा
	22. पाली	पाली
	23. भागेसर	पाली
	24. सीकर	सीकर
	25. लसाडिया	उदयपुर
	26. सुलई	,,
	27. जसवन्तगढ़	,,
	28. पई	,,
	29. हीरापुरा, जयपुर	जयपुर
	30. सांगानेर	जयपुर
	31. वड़सा	डूंगरपुर
	32. चौकडी मोदीखाना, जयपुर	जयपुर
1978-79	कोई औषधालय नहीं खोला गया ।	
1979-80	33. सूरतगढ़	गंगानगर
(4)	34. विधान सभा सचिवालय	जयपुर
	35. दौसा	जयपुर
	36. सारलू	चूरू

(110)

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

उदयपुर नगर में चलने वाले बिना लाइसेन्स के टैम्पो

97. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर में दिनांक 16-9-79 तक कितने टैम्पो चलाने की स्वीकृति दी गई एवं कितने बिना स्वीकृति के चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कई लोग बिना स्वीकृति के टैम्पो प्रारम्भ कर देते हैं जिन्हें विभाग बाद में स्वीकृति प्रदान कर देता है जिससे नियम से स्वीकृति प्राप्त करने वालों को स्वीकृति नहीं मिलती और नियम की अवहेलना करने वाले को प्रोत्साहन मिलता है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ आदतन अपराधियों को भी लाइसेन्स दे रखे हैं जिससे आये दिन बाहर के यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार होता रहता है ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर में किसी भी टैम्पो चालक का मीटर नहीं चलता है एवं यात्रियों को मनचाहे ढंग से लूटा जाता है ? विभाग को जानकारी होते हुए भी उन्होंने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

उदयपुर में चार टैम्पो के परमिट स्वीकृत किये गये थे जिनमें से तीन सरेण्डर करा दिये गये हैं। वर्तमान में केवल एक टैम्पो ही परमिट के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। बिना स्वीकृति के कोई टैम्पो नहीं चल रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) टैम्पो में मीटर लगाये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

जनाना अस्पताल, जयपुर में बैड्स बढ़ाने की स्वीकृति

98. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनाना अस्पताल, जयपुर में कितने बैड स्वीकृत हैं ?

(2) क्या यह संख्या जयपुर की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार बैड्स बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो इस बारे में क्या विचार चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जनाना अस्पताल, जयपुर में 416 बैड्स स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं।

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) जी नहीं। योजना मद में आर्थिक सुविधा होने पर ही बैड्स बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

एस्प्रीन की गोलियों की खरीद

99. **श्री भूरालाल (गोगुन्दा):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डा. पी. डी. माथुर जब निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर थे उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 5 लाख रुपये की एस्प्रीन की गोलियां खरीदी गई थीं ? उक्त दवाई के खरीदने में परचेजिंग आफिसर कौन था ?

(2) क्या टेन्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसका आर्डर सबसे न्यूनतम को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या रसायनिक जाँच से उक्त गोलियों में दवाई की मात्रा कम पाई गई ?

(4) क्या इस मामले की विभागीय जाँच अथवा पुलिस द्वारा जाँच कराई गई ? यदि कराई गई, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? क्या दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण

100. **श्री श्रवणलाल (हिण्डौन):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा सरकारी नियमों के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं नर्सों के तबादले किए गये तथा कई कर्मचारियों के स्थानान्तरण कई बार करके निरस्त भी किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन स्थानान्तरणों के कारण मरीजों की चिकित्सा सुविधा में दुविधा उत्पन्न हो रही है ?

(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली (डॉ. तोतुका) द्वारा करौली में पद ग्रहण से अब तक कितने स्थानान्तरण किये गये एवं कितने निरस्त किए गए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) 52 स्थानान्तरण में से 7 निरस्त किए गये।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(112)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली (डॉ. तोतुका) द्वारा दिनांक 1-2-1979 से अब तक किए गए स्थानान्तरणों एवं निरस्त किए गये स्थानान्तरणों की तालिका:—

क्र. संख्या नाम पद	स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या	जिन कर्मचारियों के आदेश निरस्त किये उनकी संख्या
(1)	12	4
(2) एच० एस० डबल्यु०	5	2
(3) एच.एस.ओ. (महिला. स्वास्थ्य निदेशालय)	1	–
(4) ए.एस.एम. (प्रसाविका)	20	–
(5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	1

विकास अधिकारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति

101. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विकास विभाग द्वारा सभी विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को विकास अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे ? क्या इस आदेश की पालना की जा रही है ? अगर नहीं; तो क्यों ?

(2) किन-किन विकास अधिकारियों ने इस आदेश की अवहेलना की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। सामान्यतया समस्त विकास अधिकारियों द्वारा इस आदेश की पालना की जा रही है लेकिन विशेष परिस्थितियों, जैसे "काम के बदले अनाज योजना" अन्त्योदय तथा ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में विकास अधिकारी सोम, मंगल व बुधवार को मुख्यालय छोड़ सकते हैं।

यह सूचना उपलब्ध नहीं है। किसी विकास अधिकारी के खिलाफ इसके सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि सोमवार, मंगलवार व बुधवार को मुख्यालय पर नहीं रहते हैं।

जयसमंद की नहरों से प्रभावित कृषि भूमि

102. श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील सलूम्बर में जो जयसमंद तालाब से पिलाई के लिए नहरें निकाली गई हैं उससे काफी कृषि भूमि को नुकसान नहरें कच्ची होने से पानी के भरण से हो रहा है काफी पानी नहरों से निकलता है व कितने ही गांवो की जमीन कतई काश्त काबिल नहीं रही, व किसान फिर भी उस जमीन का लगान भर रहे हैं ? उन सब नहर को कब तक पक्की बनाने का राज्य सरकार का इरादा है ? क्या पक्की बना देने से जमीन ठीक होकर वापस कृषि के काबिल हो जाएगी, यह कार्य कब शुरू किया जा रहा है ?

(श्री मावजी भाई)

(2) करीब 12 करोड़ रुपये क नहरों को पक्की बनाने के लिए बजट में मंजूरी बताई गई है, पर उस रकम को इस काम के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है ? ऐसा क्यों कर हो रहा है ? क्या इस कार्य को जल्दी शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयसमन्द तालाब की नहरों को आधुनिकरण के अन्तर्गत पक्का करने की योजना प्रस्तावित है ? इस योजना पर लगभग नौ करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है व इसको धन की उपलब्धि के अनुसार कई चरणों में किया जा सकेगा।

नहरों को पक्का करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। श्यामपुरा नहर की सरसीया माइनर पूरी पक्की हो चुकी हैं एवं सलूम्बर नहर का अधिकतर भाग पक्का हो चुका है एवं शेष भाग पर कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं।

गत वर्ष बजट में इस कार्य हेतु केवल रु० 25 लाख का संशोधित प्रावधान रखा गया है जिसका पूरा उपयोग किया जायेगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये का प्रावधान था जिसका भी पूरा उपयोग सरसिया माइनर व सलूम्बर नहरों को पक्का करने पर खर्च किया गया।

उदयपुर से सोम मार्ग का राष्ट्रीयकरण

103. श्री लालूदास (फलासिया): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या उदयपुर से सोम तक के मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्या इस मार्ग पर निगम की बसें चल रही हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ? अब कब तक इस मार्ग पर निगम की बसें चालू कर दी जावेंगी !

उत्तर

उदयपुर-नाई-उदरी-बीछीवाड़ा, फलासिया-सोम-कोटड़ा मार्ग, जिसका उदयपुर-सोम भी एक भाग है, के राष्ट्रीयकरण की अनुमोदित योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68- डी के अन्तर्गत राजस्थान राज-पत्र दिनांक 10-1-77 में प्रकाशित कर दी गई थी। किन्तु निगम द्वारा मार्ग की दशा खराब होने के कारण अभी तक वाहन संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है। मार्ग की दशा सुधारने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है। जैसे ही मार्ग वाहन संचालन योग्य हो जावेगा। निगम द्वारा वाहन संचालन सम्भव हो सकेगा।

बून्दी डिपो में बसों की कमी

104. श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बूंदी डिपो पर कितनी बसों की कमी है और यह कमी कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ?

उत्तर

निगम के दी आगार में बसों की कमी नहीं है। बूंदी आगार को आवश्यकतानुसार वाहनें आवंटित की हुई हैं।

राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं में सुधार

105. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम के पास इस समय कितनी बसें हैं और इसमें चालू हालत में कितनी हैं ?

(2) राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में कितनी बसें खरीदने का विचार रखती है?

(3) क्या निगम की अधिकांश बसें रख-रखाव व समुचित मरम्मत के अभाव में जर्जर दशा में हैं ?

(4) क्या निगम के अधिकांश वर्कशाप्स में बड़ी मरम्मत की सुविधाओं का अभाव है ?

(5) क्या अधिकांश वर्क-शाप्स मे विभिन्न स्पेयर पार्ट्स ही उपलब्ध नहीं होते हैं ?

(6) क्या बस टायरों के अभाव में विभिन्न मार्गों में बस संचालन में भारी कटौती आये दिन होती रहती है ?

(7) उपर्युक्त स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं? क्या प्राइवेट बस वालों को नेशनलाइज्ड रूट पर परमिट देने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) निगम के पास दिनांक 20-9-79 को स्वयं निगम की 2166 वाहनें थीं इनमें से 1592 वाहनें चालू हालत में हैं। निगम द्वारा वर्ष 1980 की अवधि में 570 नई वाहनें खरीदने का प्रस्ताव है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) हाल ही रिट्रेडिंग पलान्ट के संचालन में हड़ताल होने से कठिनाई के कारण रिट्रेटेड टायर कम उपलब्ध होने से कटौतियाँ की गईं थीं। इस स्थिति को ठीक करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए निगम द्वारा एक और टायर रिट्रेडिंग प्लांट केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर में स्थापित किया है। इस प्लांट द्वारा समुचित उत्पादन किये जाने पर बस संचालन में होने वाली कटौती में सुधार होगा ।

(6) जी नहीं। ऐसा प्रावधान नहीं है।

106. **श्री बालचन्द्र आर्य (डग)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डग और चौमेला में उसके आसपास के ग्रामों से अधिक केस आते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार चौमेला में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विचाराधीन मुकदमे जो डग एवं चौमेला क्षेत्र से सम्बन्धित

(विधि मंत्री)

है की संख्या निम्न प्रकार है :–

फौजदारी

वर्ष	डग	चौमेला	कुल
1975	29	72	101
1976	52	68	120
1977	58	123	181
1978	39	113	152
1979	50	65	115

दीवानी

1975	9	8	17
1976	1	13	14
1977	6	10	16
1978	–	11	11
1979	3	4	7

डग पुलिस थाना है। चौमेला क्षेत्र थाना गंगधार के अन्तर्गत है।

(2) चौमेला, जिला झालावाड़ में न्यायालय स्थापित करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ से जानकारी की उस क्षेत्र से पिछले पांच सालों का औसत करीब 140 मुकदमे होने से वहां न्यायालय स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

राज्य के चिकित्सालयों में लेडी डाक्टर्स की व्यवस्था

107. **श्री ईश्वर चन्द भटनागर (पिड़ावा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के किन-किन कस्बों एवं शहरों में राजकीय चिकित्सालयों में लेडी डॉक्टर्स कितनी-कितनी अवधि से नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार हर शहर व कस्बे में लेडी डॉक्टर्स की व्यवस्था करने में सक्षम है ? यदि हां, तो किस तिथि तक व्यवस्था हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, उपलब्ध होने पर 39 महिला चिकित्सकों की नियुक्ति दिनांक 3-9-79 को की जा चुकी है जो एक माह में कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। शेष स्थानों के लिये महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर लगा दी जायगी।

जिलानुसार कस्बों एवं शहरों के राजकीय चिकित्सालयों में महिला डॉक्टर्स के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	राजकीय चिकित्सालय	जिला	अवधि	विशेष
1	2	3	4	5
1.	विराटनगर	जयपुर	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से।

116

1	2	3	4	5
2.	चाकसू	जयपुर	4-79	डॉ० (कु०) शशीबाला गोयल के त्याग पत्र करने पर
3.	खेड़ली	अलवर	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से।
4.	कामां	भरतपुर	1-5-78	महिला चिकित्सक के अभाव में डॉ० बी० सी० सोढी 16-12-78 से कार्यरत हैं। डॉ० (कुमारी) बीना सिन्हा को नई नियुक्ति आदेश पत्रांक 486, दिनांक 14-6-78 द्वारा दी गई, परन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया।
5.	बयाना	भरतपुर	..	महिला चिकित्सक के अभाव में डॉ० सतीशचन्द्र आर्य 7-10-78 से कार्यरत हैं।
6.	माण्डल रदायल	भरतपुर	..	डॉ० ए० एन० टिक्ट, 5-79 कार्यरत ग्रहण करने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई।
7.	माण्डल	भीलवाड़ा	6-79	डॉ० (श्रीमती) सरोज माहूर का स्थानान्तरण जिला पाली में होने के कारण।
8.	शाहपुरा	भीलवाड़ा	5-79	डॉ० (श्रीमती) विजय रानी शर्मा का स्थानान्तरण भीलवाड़ा हो जाने के कारण।
9.	बालोतरा	बाड़मेर	1-5-78	महिला चिकित्सक के अभाव में डॉ० बंशीलाल चौधरी दिनांक 2-1-79 से कार्यरत है। डॉ० (कुमारी) पुष्पा लोहिया को नयी नियुक्ति आदेश क्रमांक 486, दिनांक 14-6-78 द्वारा की गई, किन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया गया।
10.	लाखेरी	बून्दी	10-78	डॉ० (श्रीमती) उषा माहेश्वरी का स्थानान्तरण

1	2	3	4	5
				राजकीय चिकित्सालय चौमू (जयपुर) हो जाने से।
11.	सरमथुरा	धौलपुर	..	महिला चिकित्सक के अभाव में डॉ० जगदीश प्रसाद अग्रवाल दिनांक 2-2-79 से कार्यरत हैं।
12.	गर्जसिंहपुरा	श्री गंगानगर	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से।
13.	अनूपगढ़	,,	30-3-79	,,
14.	पदमपुर	,,	30-5-79	,,
15.	केसरीसिंहपुरा	,,	30-5-79	,,
16.	भादरा	,,		महिला चिकित्सक के अभाव में डॉ० अमर सिंह राठौड़ दिनांक 2-3-79 से कार्यरत हैं।
17.	मण्डरेला	झुन्झुनू	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से।
18.	नवलगढ़	,,	7-6-79	,,
19.	उदयपुरवाटी	,,	8-78	डॉ० (श्रीमती) एम० गोईनका का स्थानान्तरण बांदीकुई (जयपुर) होने के कारण डॉ० (कु०) नवीन शेखावत की नई नियुक्ति कर पद स्थापन आदेश 486 दि० 15-8-78 द्वारा किया गया किन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया।
20.	मण्डावा	झुन्झुनू	7-79	डा. (श्रीमती) उषा अग्रवाल सी० ए० एस० का स्थानान्तरण श्री गंगानगर होने के कारण डॉ० (श्रीमती) सुमन लता बंसल की नई नियुक्ति कर पद स्थापन आदेश क्रमांक 486 दि० 14-8-78 के द्वारा किया गया किन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया गया इसके बाद (डॉ०) (कु) विद्या कुमारी की नई नियुक्ति कर पद स्थापन आदेश 604 दिनांक

(118)

1	2	3	4	5
				30-9-78 के द्वारा किया गया किन्तु उन्होंने अपना पद स्थापन मण्डावा से बदला कर टोंक करा लिया।
21.	सुनेल	झालावाड़	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से ।
22.	अकलेरा	,,	1-5-79	,, ,,
23.	इन्दरगढ़	कोटा	30-5-79	,, ,,
24.	भीमगंज मण्डी	,,	30-4-79	,, ,,
25.	छीपाबड़ोद	,,	30-5-79	,, ,,
26.	अन्ता	,,	30-5-79	,, ,,
27.	मांगरोल	,,	8-78	डॉ. (श्रीमती) ज्योति दीसित का स्थानान्तरण कोटा हो जाने के कारण डॉ. (श्रीमती) दिनेश वृन्दानी की नई नियुक्ति कर लगाया 8-78 में किन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया ।
28.	सांगोद	,,	1-5-78	डॉ. (श्रीमती) विजय लक्ष्मी की नई नियुक्ति कर 8-78 में पद स्थापित किया किन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया ।
29.	कुचेरा	नागौर	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से।
30.	मकराना	,,	7-6-79	,,
31.	नावां	,,	30-5-79	,,
32.	बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़	5-79	डॉ० (श्रीमती) मीता गुप्ता का स्थानान्तरण डूंगरपुर हो जाने के कारण ।
33.	पिण्डवाड़ा	सिरोही	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से ।

119

1	2	3	4	5
34.	सोजत	पाली	6-79	डॉ० (श्रीमती) ऊषा महेश्वरी का स्थानान्तरण जोधपुर हो जाने के कारण ।
35.	जैतारण	पाली	1-10-78	डॉ० (श्रीमती) शशि प्रभा का त्यागपत्र देन पर ।
36.	तखतगढ	,,	9-79	डॉ० (श्रीमती) उमा उज्जवल का स्थानान्तरण सादड़ी (पाली) होने के कारण
37.	टोडारायसिंह	टोंक	1-5-78	डॉ० (कु०) सुनीता नाग की नई नियुक्ति कर पद स्थापन आदेश क्रमांक 486 दिनांक 14-8-78 के द्वारा किया गया किन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया ।
38.	मानटाउन 2	सवाई गंगापुर	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से ।
39.	अजीतग	सीकर	,,	महिला चिकित्सक के अभाव में डॉ. कल्याण सिंह 16-2-76 से कार्यरत हैं ।
40.	लसिल	,,	1-5-78	महिला चिकित्सक के अभाव डॉ० रामस्वरूप जाजू दि० 31-10-78 से कार्यरत हैं ।
41.	खंडेला	,,	3-2-79	डॉ० (कु०) सुषमा सर्राफ के त्याग पत्र दिए जाने पर
42.	दांता	सीकर	..	महिला चिकित्सक के अभाव में डा० राधे श्याम शर्मा दिनांक 16-1-78 से कार्यरत है।
43.	नीम का थाना	सीकर	2-79	डॉ० (श्रीमती) अखला नन्दा दायमा का स्थानान्तरण सांभर(जयपुर) होने के कारण डॉ० के० सी० गुप्ता दिनांक 9-5-79 से कार्यरत है ।

1	2	3	4	5
44.	रामगढ़ सेठाना	सीकर	7-78	डॉ. (श्रीमती) सुलोचना सहगल का स्थानान्तरण मण्डावर (जिला सवाई माधोपुर) होने के कारण महिला चिकित्सक के अभाव में डॉ० गिरधारी लाल शर्मा दिनांक 25-9-78 से कार्यरत हैं।
45.	टोडाभीम	सवाई माधोपुर	1-5-78	डॉ० (कुमारी) राजू डोंगरा की नव-नियुक्ति कर पद स्थापन आदेश क्रमांक 486 दिनांक 14-8-79 के द्वारा लगाया किन्तु कार्य ग्रहण नहीं किया गया।
46.	मालपुरा	टोंक	7-6-79	पद सृजित होने की तिथि से।
47.	फतेहनगर	उदयपुर	30-5-79	पद सृजित होने की तिथि से।
48.	भिण्डर	"	10-7-79	डॉ० (कु०) निधि शर्मा के त्याग पत्र देने पर।
49.	सरदारशहर	चूरू	7-78	डॉ० (श्रीमती) सन्तोष जैन का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय शाहपुरा (जयपुर) को हो जाने के कारण तीन महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कर, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ (चूरू) के अधीनस्थ पद स्थापन आदेश क्रमांक 132 दिनांक 12-4-79 द्वारा किया गया किन्तु उनमें से किसी ने भी कार्य ग्रहण नहीं किया।

जोधपुर संभाग को 132 के. वी. की विद्युत लाइन

108. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री माधोसिंह दीवान (सोजत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर संभाग में 132 के. वी. से आने वाली लाइन से विद्युत कब बन्द हुई तथा उसे कब चालू किया गया ?

(2) इस दौरान कब जोधपुर का बिजली घर चालू किया गया तथा प्रति दिन कितने यूनिट बिजली वितरित की गई ?

(3) 132 के. वी. के कितने टावर क्षतिग्रस्त हुए, उसको ठीक करने का काम कब चालू किया गया ? इस क्षति का मुआयना करने मुख्य अभियन्ता कब जोधपुर पहुंचे तथा कब साइट पर पहुंचे ? क्या सीनियर अधिकारी के लिये इतने दिन बाद पहुंचना तथा खाली एक टावर को ठीक करने के लिये इतना समय लगाना उचित था ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठतम अधिकारी से कराना उचित समझती है, ताकि इस प्रकार की लापरवाही बार-बार न बरती जाये ?

(4) क्या यह सही है कि इस बाढ़ के दौरान अनेक 400 वोल्ट तथा 11 के. वी. के खम्बे गिर गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नोर्म के अनुसार सीमेंट व पत्थर डालकर इन खम्बों को खड़ा नहीं किया गया था, इस कारण बोर्ड को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार थे तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जोधपुर 132 के. वी. जी. एस. एस. पर 132 के. वी. पर विद्युत प्रवाह दिनांक 17 जुलाई, 79 को 1-55 बजे बन्द हुआ तथा दिनांक 27 जुलाई 79 को 2-15 बजे 132 के. वी. पर प्रवाह पुनः प्राप्त हुआ।

जोधपुर का पुराना विद्युत गृह दिनांक 17-7-79 को सायं 8-00 बजे चालू किया गया। नये विद्युत गृह का डीजल सेट दिनांक 18-7-79 को प्रातः 9-25 बजे चालू किया गया एवं ताप विद्युत सप्लाई दिनांक 19-7-79 को प्रातः 8-15 बजे चालू हुई। इस दौरान प्रतिदिन वितरित विद्युत की मात्रा संलग्न तालिका 'अ' में दर्शाई गई है।

(2) जोधपुर को 132 के. वी. पर बिजली पाली तथा बिलाड़ा दो ओर से मिलती है 132 के. वी. बिलाड़ा जोधपुर लाइन का टावर नं. 135 से 143 तक का अनुभाग भयंकर बाढ़ के चपेट में आ जाने से क्षतिग्रस्त हुआ। इस अनुभाग की लम्बाई 2.36 किलो मीटर के लगभग है। इस अनुभाग का टावर नं. 140 पूर्णतः नष्ट हो गया था। 132 के. वी. पाली जोधपुर लाइन के दो अनुभाग बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए। पहला टावर लोकेशन नं. 563 से 570 का अनुभाग जिसकी लम्बाई 2.18 किलो मीटर के लगभग है जिसमें टावर नं. 567 पूर्णतः नष्ट हो गया। दूसरा टावर नं. 521 से 531 तक का अनुभाग क्षतिग्रस्त हुआ जिसकी लम्बाई 3.21 किलो मीटर है जिसमें टावर नं. 525 व 526 पूर्णतया नष्ट हो गये।

(3) मुख्य अभियन्ता (निर्माण एवं उत्पादन) दिनांक 23-7-79 को सायं जोधपुर

(विद्युत मंत्री)

पहुंचे तथा दिनांक 24-7-79 को प्रातः जोधपुर-बिलाड़ा 132 के. वी. लाइन के क्षतिग्रस्त स्थल पर पहुंचे। दिनांक 18-7-79 को वायुसेना के हैलीकोप्टर में जोधपुर के अधिशासी अभियन्ता को भेजकर बाढ़ में गिरी क्षतिग्रस्त लाइनों का सर्वेक्षण कराकर क्षति का अनुमान लगाया गया। किस क्षेत्र से जोधपुर आदमी तथा सामान आदि भेजा जा सकता है, उस सबका इन्तजाम करने के पश्चात ही जोधपुर पहुंचना संभव था क्योंकि जोधपुर की संचार व्यवस्था पूर्णरूप से अस्त व्यस्त हो गई थी। चूंकि वहां पहुंचने के बाद कहीं बाहर कोई सम्पर्क करके इन्तजाम करना असंभव था इसलिये पूर्ण व्यवस्था करने के बाद ही मुख्य अभियन्ता का वहां पंहुचना उचित एवं सार्थक था। सम्पूर्ण कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है तथा इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई। अतः किसी प्रकार की जांच कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, इस वर्ष की अप्रत्याशित एवं विनाशकारी बाढ़ के कारण 400 वोल्ट एवं 11 के. वी. के कई खम्बे बह गये या क्षतिग्रस्त हुए हैं। 400 वोल्ट एवं 11 के. वी. के खम्बों को खड़ा करने के लिय सीमेंट कंक्रीट नहीं किया जाता है। इस अप्रत्याशित बाढ़ के अपरिमित दबाव के कारण बिजली के खम्बे या तो बह गये या टूट कर मिट्टी में दब गये अथवा टेढ़े हो गये थे। इस प्राकृतिक प्रकोप से आई प्रलयंकारी बाढ से हुई क्षति के लिये किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

देवास योजना की स्वीकृति

109. **श्रीमती श्यामा कुमारी संगर** (कपासन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या उदयपुर नगर में पिछोला, फतेहसागर और उदयसागर झीलों को भरने हेतु और जिंक स्मेल्टर तथा उदयपुर के उद्योगों को पूरा पानी देने हेतु देवास योजना के तीनों चरण पूरा करने की योजना है? अगर हां, तो कब तक कार्य चालू कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि इसी योजना के अन्तर्गत अलसीगढ़ में बांध बनाकर और एक पहाड़ में टनल बनाने का कार्य सरकार पूरा कर चुकी है, लेकिन पहाड़ की टनल अब भी ऊपर से कच्ची है? यदि हां, तो इसे कब तक पक्का कर दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार द्वार दूसरा चरण देवास योजना का आरम्भ कराने हेतु या इस योजना में कितनी रकम लगेगी इसकी सर्वे कराने हेतु, एक टीम भी सिंचाई विभाग की गोराने के आसपास या पानरवा के पास लंगोटिया बांध बनाने भेजी है या सरकार के पास लंगोटिया नाका बांध कर पानरवा के पास कोई बांध बनाने की योजना है?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना में पहले पानी वाया बड़ी का तालाब में डाल कर लाने की कोई सर्वे भी हुई है?

(5) क्या यह योजना इसी कारण से पूरी नहीं हो सकी कि पानी सीधा पीछोले में डाला जावे या पहले बड़ी के तालाब में डालकर फतेहसागर पीछोला में पानी लाया जावे?

(6) क्या अब पीछोला के ऊपर नन्देश्वर महादेव के पास कोई रीजरवायर की तरह कोई तालाब बनाया जा रहा है?

(श्रीमती श्यामा कुमारी संगर)
अगर हां, तो कितना बड़ा और कितनी रकम खर्च होगी और उन लोगों को जिनकी जमीन डूब में आवेगी कहां बसाया जावेगा? इसमें कितनी जमीन डूब में आवेगी?

(7) इस बांध के बनने पर सड़क फिर किधर से निकाली जावेगी?

उत्तर

(1) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर व पेयजल की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु देवास योजना बनाई गई है। इस योजना को चार चरणों में पूर्ण करने का प्रस्ताव है। योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है व द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण की योजनाओं के प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं व इनके लाभ लागत अनुमान के अनुसार इन पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) जी हां। देवास योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत अलसीगढ़ के पास बांध व सुरंग पूर्ण हो चुकी है।

पहाड़ की टनल का ऊपरी भाग अनलाइन्ड (unlined) है व इसको पक्का कराने का प्रावधान, पी०एच०ई०डी० विभाग द्वारा दिये जाने पर कार्य करवाना सम्भव होगा।

(3) देवास द्वितीय चरण की योजना ग्राम डाकदरा तहसील जाडोल में देवास नदी पर प्रस्तावित है, इस योजना की अनुमानित लागत 7.00 करोड़ रु. है। इस योजना से सिंचाई का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राक्कलन बनाया गया था अतः इस योजना को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिये ली जाने हेतु उनसे प्रावधान उपलब्ध होने पर इसका क्रियान्वयन निर्भर करेगा।

(4) जी नहीं। इस योजना का सर्वेक्षण देवास नदी के पानी को पिछोला झील में डालने हेतु किया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) नन्देश्वर महादेव के पास एवज़ी एब्जोरसन डेम बनाने का प्रस्ताव है। इसकी अनुमानित लागत 20.50 लाख रुपये आंकी गई है व इस बांध में 90 एकड़ जमीन डूब में आने का अनुमान है। डूब में आने वाली जमीन के लिए नकद मुआवजा देने का प्रस्ताव है।

(7) इस बांध के बनने पर सड़क को ऊंचे लेवल पर बनाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्यनिषेध के सम्बन्ध में देय राशि

110. **श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर)**: क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को मद्यनिषेध नीति के संबंध में कितनी राशि देने का आश्वासन दिया है?

(2) इस वर्ष मद्य निषेध के फलस्वरूप राज्य में आबकारी आय में कितनी कमी हुई? इसकी एवज में केन्द्रीय सरकार कितना अनुदान दे रही है?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार ने राज्य में मद्य निषेध लागू होने के फलस्वरूप वर्ष

(124)

(आबकारी मंत्री)

1977–78 की वास्तविक आबकारी आय से, वर्ष 1978–79 से 1983–84 तक जो आय में कमी होगी उसका 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में देना तय किया है।

(2) इस वर्ष 1979–80 की आबकारी आय में कमी का अनुमान वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही मालूम हो सकेगा। हानि पूर्ति के रूप में केन्द्रीय सरकार कुल हानि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार को देगी।

अजमेर जिले में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बकाया अनाज

111. श्री नूरा (मसूदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गांवों में विकास एवं राहत हेतु काम के बदले अनाज योजना के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य कराये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत अजमेर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इस योजना के अधीन अनेकों कार्य कराये गये ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उन काम करने वाले मजदूरों को अनाज का पूरा भुगतान करने के लिये पूरा अनाज अलॉट कर दिया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों का कितना-कितना अनाज बाकी है ? सूची ग्राम पंचायत-वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार बकाया अनाज देने का विचार रखती है ? अगर हां तो इस अनाज का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। भारत सरकार से अभी पूरा आवंटन प्राप्त न होने के कारण अजमेर जिले की समस्त पंचायतों को आवश्यकतानुसार अनाज का आवंटन नहीं किया जा सका है। जिन ग्राम पंचायतों को जितना अनाज दिया जाना शेष है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। 2000 मैट्रिक टन गेहूं दिनांक 23-9-79 को आवंटित किया गया है। बाकी भी भारत सरकार से अनाज का आवंटन होते ही आवंटित कर दिया जावेगा।

तारांकित प्रश्न सं. 111 की सूची

नाम पंचायत समिति केकड़ी

क्र. सं. 1	नाम ग्राम पंचायत 2	बकाया की मात्रा 3	
1.	पीपलाज	100	क्वि.
2.	आलोली	100	"
3.	कादेड़ा	200	"
4.	भीमडावास	150	"
5.	गोरधा	200	"
6.	गुडगांव	200	"
7.	बघेरा	200	"
8.	भराई	200	"
9.	प्राहेडा	100	"
10.	सरसडी	100	"

(पंचायत मंत्री)

1	2	3	
11.	खवास	100	क्वि.
12.	देवगांव	100	,,
13.	जूनिया	300	,,
14.	लसाड़िया	200	,,
15.	मेवदांकलां	100	,,
16.	कनोज	200	,,
17.	घूघरा	200	,,
18.	राकावास	100	,,
19.	घटियाली	100	,,
20.	बांजरी	100	,,
21.	खेजड़ी	100	,,
22.	चितीवास	400	,,
23.	सावर	150	,,
24.	सदारा	200	,,
25.	कालेडा कृ. गो.	400	,,
26.	सतारी	250	,,
27.	मोलकिया	700	,,
28.	पारा	500	,,
29.	मेहरूकलां	500	,,
	योग ..	6250	क्वि.

नाम पंचायत समिति, मसूदा

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	बकाया की मात्रा	
1	2	3	
1.	मसूदा	100	क्वि.
2.	घोलीदांता	400	,,
3.	हरराजपुरा	300	,,
4.	मायना	300	,,
5.	श्यामगढ़	300	,,
6.	ललवा	400	,,
7.	झोंक	300	,,
8.	अरघी देवरी	200	,,

1	2	3	
9.	बरवा		
10.	कानावेडा	100	क्वि.
11.	किराप	200	,,
12.	मायला	200	,,
13.	जामोला	200	,,
14.	सतावडिया	200	,,
15.	बेगलियावास	100	,,
16.	शेरगढ़	200	,,
17.	देवमाली	300	,,
18.	लोडीयाना	200	,,
19.	हनुतिया	200	,,
20.	नन्दवाड़ा	200	,,
21.	दौलतपुरा	600	,,
22.	रामगढ़	200	,,
23.	जोवाना	100	,,
24.	देवास	100	,,
25.	जालिया दोयम	200	,,
26.	कानिया	100	,,
27.	बाड़ी	400	,,
28.	बरल	100	,,
29.	संथाना	300	,,
30.	शिवराती	200	,,
	योग ..	6700	क्वि.

नाम पंचायत समिति, किशनगढ़

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	बकाया की मात्रा	
1	2	3	
1.	हरमाडा	132.00.000	क्वि.
2.	त्योद	61.00.000	,,
3.	बुहारु	56.00.000	,,
4.	अदूण	42.00.000	,,
5.	सिनोदिया	112.00.000	,,
6.	बरना	200,00.000	,,

(126)

(पंचायत मंत्री)

1	2	3
7.	सरगांव	53.50.000 क्वि.
8.	कोटडी	80.48.000 ,,
9.	सलेमाबाद	150.00.000 ,,
10.	नवां	103.00.000 ,,
11.	अमरपुरा	20.75.000 ,,
12.	पींगलोद	149.20.000 ,,
13.	कुचील	108.25.000 ,,
14.	पारन	125.00.000 ,,
15.	डीडवाग	159.97.500 ,,
16.	थल	49.40.000 ,,
17.	तिलोनिया	148.01.000 ,,
18.	जाणोता	90.12.000 ,,
19.	बारपरियापसि	9.00.000 ,,
	योग ..	1841.28.500 क्वि.

नाम पंचायत समिति, अराई

क्र.सं. 1	नाम ग्राम पंचायत 2	बकाया की मात्रा 3
1.	दादिया	145.46.700 क्वि.
2.	सन्दोलिया	177.65.000 ,,
3.	कालानाडा	121.02.000 ,,
4.	भामालाव	256.62.300 ,,
5.	लाम्बा	492.57.170 ,,
6.	हरपुरा	238.26.500 ,,
7.	सूंपा	46.54.600 ,,
8.	सांपला	29.07.375 ,,
9.	रामपाली	33.47.200 ,,
10.	खोरिया	38.08.500 ,,
11.	स्यार	34.94.250 ,,
12.	मनोहरपुरा	120.75.800 ,,
13.	ढसूक	478.21.300 ,,
14.	झीरोता	218.14.600 क्वि.
15.	फतेहगढ	79.75.600 ,,
16.	अजगरा	20.31.250 ,,
17.	हिगोनिया	30.55.700 ,,
18.	लल्लाई	50.80 000 ,,
19.	गोठियाना	150.00.000 ,,
20.	बोराडा	71.63.800 ,,
21.	मडवरिया	230.00.000 ,,
22.	भागीदीन	265.64.200 ,,
	योग ..	3329.53.855 ,,

नाम पंचायत, समिति, भिनाय

क्र.सं. 1	नाम ग्राम पंचायत 2	बकाया की मात्रा 3
1.	बडली	191.81.700 क्वि.
2.	लामगरा	330.92.450 ,,
3.	एकलसिंहा	132.64.500 ,,
4.	गुडाखुर्द	15.95.000 ,,
5.	नागोला	177.54.250 ,,
6.	सराना	38.18.325 ,,
7.	सोकलिया	146.43.000 ,,
8.	भगवतपुरा	6.30.000 ,,
9.	नान्दसी	170.46.000 ,,
10.	सोबडी	200.00.000 ,,
11.	भिनाय	150.00.000 ,,
12.	बूबकिया	200.00.000 ,,
13.	कराटी	145.46.800 ,,
14.	पडांगा	399.83.500 ,,
15.	टांटोरी	140.00.000 ,,
16.	रामभालिया	236.77.125 ,,
17.	केवानिया	127.85.125 ,,
18.	शेरगढ	62.73.000 ,,
19.	डबरेला	14.20.000 ,,

(पंचाय मंत्री)

1 2	3
20. बरोल	15–00–000 क्वि
21. कनईकलां	76–72–000 „
22. घातोल	72–98–000 „
23. वान्दनवाड़ा	64–00–000 „
24. छछुन्दरा	159–14–400 „
25. राताकोट	74–19–050 „
26. सीगावल	74–57–500 „
27. कुम्हारिया	96–24–000 „
28. पाडलियां	164–10–000 „
29. जोतायां	100–00–000 „
30. गोयला	200–00–000 „
31. सातोलाव	100–00–000 „

योग: 4084–46–525 क्वि.

नाम पंचायत समिति, श्रीनगर

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	बकाया की मात्रा
1	2	3
1.	मांवशिया	200–95–150 क्वि.
2.	दांता	84–77–050 „
3.	तिलानां	185–65–000 „
4.	साम्प्रोदा	138–21–000 „
5.	उंटडा	32–00–000 „
6.	सोहरवाडा	480–00–000 „
7.	नरवर	275–00–000 „
8.	फारक्या	15–56–450 „
9.	दिलवाडा	0–04–100 „
10.	चाचियां वास	165–00–000 „

योग: 1633-18-750 क्वि.

नाम पंचायत समिति, जवाजा

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	बकायां की मात्रा (क्विंटल)
1	2	3
1.	बरांसन	160
2.	सखीनां	300
3.	कोटडा	70
4.	राजियावास	170
5.	किसनपुरा	70
6.	सुखडियां	140
7.	देवाता	530
8.	सूरजपुरा	100
9.	जवाजा	65
10.	बाकरा	125
11.	नाहकलां	165
12.	टाडटंढ	490
13.	रावतमाल	70
14.	जालियां प्रथम	275
15.	नरवतखेड़ा	170
16.	दुर्गावास	60
17.	बड़ाखेड़ा	130
18.	बामनहेडा	100
19.	बनजारी	440
20.	लोटियानां	230
21.	देलवाड़ा	380
22.	सुहावा	65
23.	सरमालियां	70
24.	आसन	120
25.	अतीतमंड	—
26.	बलाट	200
27.	मेदरिया	240
28.	रपनार	150
29.	नुंद्रीमेन्द्रातान	520
30.	ब्यांवरखास	305
31.	बडक्रोचरा	250
32.	गोहानां	330

(पंचायत मंत्री)

1	2	3
33.	भालपुरा	70 क्वि.
34.	तारागढ	540 ,,
	योग ..	7,000 क्वि.

नाम पंचायत समिति, पीसांगन

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	बकाया की मात्रा
1	2	3
1.	कडैल	439-65-000 क्वि.
2.	तिलोरा	284-09-000,,
3.	देवनगर	284-25-000,,
4.	खोरी	777-18-000,,
5.	गनाहेडा	101-27-000,,
6.	नांद	153-31-000,,
7.	भगवानपुरा	100-20-000,,
8.	करनोस	100-00-000,,
9.	भडसूरी	200-00-000,,
10.	कालेसरा	200-00-000,,
11.	बुधवाडा	200-00-000,,
12.	जेठाना	330-00-000,,
13.	नागेलाव	260-00-000,,
14.	गोला	1500-00-000,,
15.	लीडी	200-00-000,,
16.	लामाना	200-00-000,,
17.	भिडकचियावास	127-51-000,,
18.	मांगलियावास	100-00-000,,
19.	दांतडा	200-00-000,,
20.	डोडियाना	300-00-000,,
21.	मीवना	100-00-000,,
22.	डुमाडा	150-00-000,,
23.	मायापुर	100-00-000,,
24.	सराधना	200-00-000,,
25.	केसरपुरा	100-00-000,,
26.	मकरेडा	100-00-000,,
27.	पीसांगन	150-37-000,,
28.	गोविन्दगढ़	194-55-000,,
29.	पगारा	232-40-000 क्वि.
30.	पीचोलिया	260-20-000,,
31.	रामपुराडावला	250-00-000,,
32.	अडवासा	228-25-000,,
33.	भटियानी	249-16-000,,
34.	देराडू	290-00-000,,
35.	नादला	290-00-000,,
36.	बाघसूरी	230-00-000,,
37.	न्यारा	250-00-000,,
38.	भवानीखेडा	234-85-000,,
39.	राजोशी	200-00-000,,
40.	राजगढ़	500-00-000,,
41.	बिठूर	200-00-000,,
	योग ..	10567-24-000 क्वि.

पंचायत एवं विकास विभाग पर प्रशासनिक व्यय

112. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सत्र 78-79 में राजस्थान में पंचायत तथा विकास विभाग में कितना प्रशासनिक खर्च हुआ है। तथा कुल व्यय का यह कितना प्रतिशत है ?

(2) इस अवधि में विकास व्यय कितना हुआ है तथा कुल खर्च का यह कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) सत्र 78-79 में पंचायत तथा विकास विभाग में प्रशासनिक व्यय कुल 57,10,949 रु० हुआ है जो कि कुल व्यय का 1.81 प्रतिशत है।

(पंचायत मन्त्री)

(2) इस अवधि में विभिन्न विकास योजनाओं के लिये विकास विभाग द्वारा कुल 30,84,70,000/- रुपये पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु दिया गया है। व्यय की सूचना अभी तक संकलन नहीं हो सकी है अतः व्यय का प्रतिशत देना सम्भव नहीं है।

सुमेरगंज मण्डी से केरोसिन का ब्लैक

113. श्री हीरा लाल आर्य (पीपलदा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स श्री किशन सुमेरगंज मंडी के यहां से दो पीपे केरोसिन के ब्लैक में बिकते हुए पकड़े गए थे जिसकी सूचना सप्लाई निरीक्षक, श्री कृष्ण चन्द्र महेश्वरी को दिनांक 8-3-79 को दे दी गई थी ?

(2) उक्त दो पीपे तेल को पकड़ लिया गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी जिसका क्या कारण रहा ?

(3) उक्त शिकायत जिला रसद अधिकारी, कोटा को भी भेजी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर शिकायत को दबा देने का क्या कारण रहा ?

(4) क्या सरकार भ्रष्टाचार रोकने हेतु की गई शिकायत को दबा देने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि मैसर्स श्री किशन सुमेरगंज मन्डी के यहां से दो पीपे केरोसिन के ब्लैक में बिकते हुए पकड़े गये थे। इसकी कोई सूचना भी सप्लाई निरीक्षक, श्री कृष्ण चन्द्र माहेश्वरी को दिनांक 8-3-79 को किसी के द्वारा नहीं दी गई थी।

(2) मैसर्स श्री किशन सुमेरगंज मंडी के यहां तेल के दो पीपे पकड़े ही नहीं गये तो उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उक्त पीपों बाबत कोई शिकायत, जिला रसद अधिकारी, कोटा को भी प्राप्त नहीं हुई अतः शिकायत दबाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) शिकायत दबाने की बात सही नहीं होने से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि विकास बैंक डूंगरपुर में अनियमितताएं

114. श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है ? यदि हां, तो सन् 1978-79 में कितने रुपये ऋण के रूप में वितरित किये गये ?

(2) क्या जनजाति (भील) किसानों को अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि ऋण कुओं के लिये वितरित किया है, तो किन व्यक्तियों के कुओं के लिये पम्पिंग सैट व अन्य कार्यों के लिये वितरित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या कांग्रेस सरकार के समय डीलरों द्वारा दिल खोलकर आम कृषकों व

(श्री लाल शंकर डेंडोर)
ऋण प्राप्तकर्ता किसानों को खूब लूटा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या कांग्रेस (ई) के श्री गौरी शंकर पण्ड्या डीलर व श्री प्रियकान्त डीलर दोनों बाप बेटे हैं । उन्होंने लाखों रुपये का घोटाला ऋण वितरण में कराया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या किसान कुए का ऋण फार्म भरके लाता है उसी बीच श्री प्रियकान्त व गौरी शंकर व श्री मेमराज डीलर व संजय डीलर मिलकर किसानों को फुसला पम्पिग सैट का कोटेशन फार्म फर्जी लगाकर भ्रष्ट उपाय से ऋण प्राप्त कर लेते हैं ? आदिवासी भील किसान अनपढ़ अगूंठा कर देता है ? क्या इस सांठ-गांठ से भ्रष्टाचार जोरदार चल रहा है ? क्या राज्य सरकार इस संबंध में विस्तृत जांच करवाकर भ्रष्ट व्यक्तियों को उचित दण्ड दिलवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सहकारी वर्ष 78-79 के कुल रुपया 67.46 लाख के ऋण वितरित किये गये ।

(2) बैंक द्वारा जनजाति (भील) किसानों को नियमानुसार अनुदान उपलब्ध कराया गया है । कृषकवार एवं उद्देश्य अनुदान प्राप्ति कृषकों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(3) पूर्व में प्राप्त शिकायत की जांच बैंक व पुलिस द्वारा की जा रही है । अब प्राथमिक भूमि विकास बैंक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण नीति के आधार पर ही ऋण भुगतान कर रहा है ।

(4) बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गौरी शंकर पंड्या व श्री प्रियकान्त पन्ड्या दोनों डीलर बाप-बेटे हैं । श्री गौरी शंकर पन्ड्या की फर्म पन्ड्या मशीनरी स्टोर्स द्वारा इस बैंक से करीब पिछले दो वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई धन्धा नहीं किया गया हैं । कृषक की शिकायत पर एक मामले में श्री प्रियकान्त की फर्म पण्ड्या ब्रादर्स, सीमलवाड़ा के विरुद्ध जांच की गई थी। बैंक द्वारा इस फर्म को ब्लैक लिस्ट करने हेतु दिनांक 8-9-79 को नोटिस दिया गया है जिसका उत्तर दिनांक 21-9-79 को प्राप्त हो गया है । शीघ्र जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(5) जी हां, किसान कुए हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये ऋण प्रार्थना-पत्र भर कर बैंक में लाता है । एक शिकायत श्री प्रियंकांत पंडया पम्प सैट्स डीलर के सम्बन्ध में बैंक को प्राप्त हुई थी उस पर बैंक स्तर पर कार्यवाही चल रही है । ऋण वितरण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार ही हो रहा है । यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई तो शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

115. श्री शंकर लाल (जैतारण): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कुछ जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार द्वारा दुकानें खोली

(श्री शंकर लाल)

गई है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कहां-कहां और कितनी-कितनी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन दुकानों की उपयोगिता का क्या अनुभव रहा है? क्या राज्य सरकार ने इसका मूल्यांकन कराया है?

(3) इस प्रणाली को अपनाने में सरकारी कोष का कितना रुपया व्यय हुआ है?

(4) इन दुकानों की व्यवस्था हेतु कर्मचारियों का चयन किस प्रकार किया गया?

(5) क्या राज्य सरकार भविष्य में इस प्रणाली में कोई संशोधन करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानें है। प्रत्येक जिले की इन दुकानों की जो संख्या है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन दुकानों की उपयोगिता उस समय होती है जब वस्तुओं का अभाव होता है अथवा कीमतों में वृद्धि होती है। उपयोगिता के विषय में अलग से कोई मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

(3) इस प्रणाली को अपनाने में राजस्थान सरकार के कोष से कोई व्यय नहीं हुआ है।

(4) ये दुकानें या तो सहकारी समितियों को दी हुई हैं या कुछ निजी व्यापारियों की हैं। अतः इन दुकानों की व्यवस्था हेतु कर्मचारियों का चयन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(5) राज्य सरकार इन दुकानों को अधिक प्रभावशाली बनाने का विचार रखती है।

तारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(FOOD AND CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT)

SUBJECT:—No. of Fair Price Shops for the Month of 30th June, 1979.

S. No.	Name of Distt.	Urban			Rural			G. Total
		Coop.	Indi.	Total	Coop.	Indi.	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ajmer	46	150	196	161	91	252	448
2.	Alwar	14	47	61	245	165	410	471
	Barmer	4	13	17	141	98	239	256

(132)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Banswara	2	9	11	86	101	187	198
5.	Bharatpur	7	139	146	183	285	468	614
6.	Bhilwara	31	3	34	202	139	341	375
7.	Bikaner	17	65	82	48	125	173	255
8.	Bundi	4	10	14	39	72	111	125
9.	Chittorgarh	11	26	37	184	129	313	350
10.	Churu	4	68	72	63	143	206	278
11.	Dungarpur	3	3	6	44	93	137	143
12.	Ganganagar	33	65	98	164	206	370	468
13.	Jaipur	61	218	279	183	396	579	858
14.	Jaisalmer	8	..	8	13	87	100	108
15.	Jalore	4	3	7	103	95	198	205
16.	Jodhpur	96	17	113	175	92	267	380
17.	Jhunjhunu	16	10	26	152	88	240	266
18.	Jhalawar	7	19	26	90	73	163	189
19.	Kota	17	62	79	153	161	314	393
20.	Nagaur	15	39	54	233	52	285	339
21.	Pali	15	20	35	100	173	273	308
22.	Sawai Madhopur	22	52	74	232	177	409	483
23.	Sikar	5	5	10	145	90	235	245
24.	Sirohi	7	13	20	28	46	74	94
25.	Tonk	5	28	33	99	83	182	215
26.	Udaipur	34	50	84	60	372	432	516
	TOTAL ..	488	1134	1622	3326	3632	6958	8580

खाद्य पदार्थों में मिलावट

117. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत दो वर्षों में राज्य में कितने मिलावट के केस बनाये गये ?

(2) कितने मामलों में नमूने लिये गये और उनके जांच के क्या परिणाम रहे ?

(3) खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के आरोप में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया और कितनों पर जुर्माने किये गये ? सूची नामों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् मूल्यों में वृद्धि तथा मिलावट की दुष्प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है ? —यदि हां, तो सरकार की भविष्य में इस बारे में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में (1977 एवं 1978 में) निम्न मिलावट के केस बनाये गये:–

(1) 1977 431

(2) 1978 309

खाद्य पदार्थ अपमिलय निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गत दो वर्षों में लिये गये नमूने एवं उनके परिणामों की सूचना इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	वर्ष	नमूने लिए गये	मिलावटी पाये गये
1.	1977	1486	431
2.	1978	885	309

(2) खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के आरोप में गत दो वर्षों में नीचे लिखे मामलों में दण्ड दिया गया व जुर्माना किया गया:—

1. 1977 (1) जुर्माना 736 मामलों में।
(2) दण्ड दिया गया 769 व्यक्तियों को।

2. 1978 (1) जुर्माना 75 मामलों में।
(2) दण्ड दिया गया 735 व्यक्तियों को।

(3) वर्ष 1977 एवं 1978 में जुर्माना जिन मामलों में किया गया व दण्ड दिया गया उनके पिछले वर्षों में मुकदमे भी शामिल हैं जहां तक नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न है, ऐसी सूचना संग्रह कराया जाना इतनी कम अवधि में सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। भावों में वृद्धि हुई है। परन्तु मिलावट की दुष्प्रवृत्ति बढ़ने के कोई प्रमाण नहीं हैं।

भावों की वृद्धि रोकने की कार्यवाही का सम्बन्ध चिकित्सा विभाग से नहीं है। मिलावट रोकने के लिए अधिक सतर्कता बरती जा रही है।

बूंदी जिले में खानों का आवंटन एवं रिन्युअल

118. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में खान विभाग द्वारा किसी भी नये व्यक्ति को खान नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो कब तक पत्थर की खानें देने का राज्य सरकार का विचार है ?

(2) क्या कुछ पूंजीपतियों की खानों का

139

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

राज्य सरकार ने रिन्युअल किया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या वर्तमान में बून्दी जिले में खान विभाग से रेवेन्यू (सरकारी आमदनी) 1977 से कम हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या बून्दी जिले में बिना खानों के रिन्युअल हुए भी कुछ व्यक्ति अपनी खान बदस्तूर चला रहे हैं । यदि हां, तो राज्य सरकार ने उनको रोकने का क्या उपाय किया है ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में खान विभाग द्वारा केवल सेंड स्टोन के अतिरिक्त अन्य सभी खनिजों की खानें नवीन व्यक्तियों को नियमानुसार दी जा रही है । सेंड स्टोन की खानें नये व्यक्तियों को न दिये जाने के आदेश दिनांक 6-4-78 के राज-पत्र में प्रकाशित हुये थे । और इन्हें पुनःखोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) ऐसा कोई मामला नहीं है । जिसमें केवल पूंजीपतियों की खान का ही नवीनीकरण किया हो । नियमानुसार प्रथम नवीनीकरण सभी आवेदन कर्ताओं को स्वीकार किये जा रहे हैं ।

(3) यह सही नहीं है कि बून्दी जिले में खान विभाग से राजस्व की प्राप्ति 1977 से कम हो रही है । आय में निरन्तर बढ़ोतरी हुई है ।

(4) बून्दी जिले में द्वितीय एवं उसके बाद के सेंड स्टोन के नवीनीकरण के आवेदन-पत्रों में नीति संबंधी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन होने से स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं । परन्तु इन खानों का कार्य रोका नहीं गया है । खानों का कार्य खनन् पट्टाधारियों के द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत अन्डर टेकिंग के आधार पर बदस्तुर चल रहा है ।

क्रय विक्रय सहकारी समिति रामगंज मंडी में गबन

119. श्री हरीश शर्मा (कोटा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति, रामगंज मंडी में पदाधिकारियों द्वारा गबन एवं पद का दुरुपयोग पाया गया है यदि हां, तो कुल कितना गबन हुआ तथा समिति को कितना घाटा निजी स्वार्थ हेतु पंहुचाया गया ? इसके जिम्मेदार अधिकारी कौन-2 हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोड़क गांव एवं अरलाई में भारी गबन है । इस गबन के दोषी कौन–कौन हैं ? इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) समिति की धारा 70 की जांच के आधार पर जांच अधिकारी ने भूतपूर्व व्यवस्थापक श्री राधाकृष्ण टेलर को समिति में सीधी खरीद से 1.10 लाख रुपये की हानि के लिये उत्तरदायी ठहराया हैं । इनके विरुद्ध इस राशि की वसूली के लिये सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के तहत संयुक्त रजिस्ट्रार, कोटा द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया व 74 (1) की जांच हेतु रीजनल

(सहकारिता मंत्री)
आडिटर, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि निर्णय में श्री टेलर दोषी पाये गये तो इनके विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स के तहत कार्यवाही की जायेगी एवं यदि आरोप गम्भीर पाये गये तो मामले को पुलिस में भी दिया जावेगा।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोडक में कोई गबन होना प्रकाश में नहीं आया है। अरलाई ग्राम सेवा सहकारी समिति में आडिट रिपोर्ट एवं निरीक्षण के दौरान 1,47,879.97 पैसा का गबन प्रकाश में आया है। विस्तृत विवरण संलग्न सूची में अंकित है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, कोटा के कार्यालय में दिनांक 7-9-78 को मामला रजिस्टर्ड किया गया। धारा 74 (1) के तहत नोटिस दिये गये हैं। निर्णय में दोषी पाया जाने के पश्चात् ही वसूली की कार्यवाही की जावेगी। मामले को पुलिस में देने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

सूची

क्र.सं.	स्रोत व वर्ष जिसके द्वारा गबन प्रकाश में आया	राशि	दोषी व्यक्ति का नाम	विशेष विवरण
1.	आडिट रिपोर्ट वर्ष 74-75	4,871.00	श्री धर्मसिंह, व्यवस्थापक	स्टाक व राशन
	एवं 75-76	4,416.32	श्री धर्मसिंह, व्यवस्थापक	स्टाक व अमानत राशि
2.	1974-75	8.00	श्री जगदीश टेलर	राशन कार्ड
3.	1974-75	222.00	श्री पन्नालाल, अध्यक्ष	बारदाना
4.	1974-75	10.00	श्री धन्नालाल, कोषाध्यक्ष	बारदाना
5.	1976-77	1,38,352.65	श्री धर्मसिंह, व्यवस्थापक एवं प्रबन्धकारिणी समिति।	
		1,47,879.97		

खनन कार्य करने वालों को सुविधाएं

120 श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

रायल्टी के बदले में राज्य सरकार खनिज क्षेत्र एवं खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करती है ? विस्तार से ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

राज्य सरकार खनिज विकास के लिये सदा प्रयत्नशील रहती है और इसलिये खनिकों के हित में खदानों तक उपागमन, सड़कों का निर्माण, खनि अभियन्ताओं और भू-वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर तकनीकी सलाह, खनन कार्यों में बिना लिये उपकरणों की उपलब्धि और खनन हेतु लघु पट्टाधारियों को कर्जे आदि दिये जाते हैं ।

राज्य में अवैध शराब के निर्माण में बढ़ोतरी

121. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अवैध शराब का निर्माण व बिक्री दिनों दिन बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो कितने केस पकड़े गये व चालान हुए ?

(2) क्या यह सही है कि अवैध शराब सेवन से कई प्रकार कि दुष्कृतियां समाज में उत्पन्न हो गई हैं तथा विषैली शराब के सेवन से ग्रामों में मौतें हो रही हैं ? यदि हां, तो अब तक मरने वालों की संख्या क्या है ?

(3) राज्य को शराबबन्दी करने से कितना घाटा हुआ है ?

(4) क्या घाटा पूर्ति की केन्द्र से मिलने वाली सहायता बन्द हो गई है ?

(5) केन्द्र से सहायता राशि कितनी मांगी गई थी और कितनी देना तय हुई थी ?

(6) क्या राज्य सरकार शराबबन्दी नीति पर फिर से विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और क्या आधार तय किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अवधि अप्रेल, 79 से अगस्त, 79 तक 3,011 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं एवं 2,114 चालान हुए।

(2) इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है विषैली शराब के सेवन से ग्रामों में किसी की मृत्यु के समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(3) राज्य सरकार को मद्य निषेध नीति लागू करने से निम्न प्रकार घाटा हुआ है :—

1977-78	रु०	96,61,450
1978-79	रु०	3,05,58,655
1979-80	वर्ष समाप्ति पर मालूम हो सकेगा ।	

(4) जी नहीं ।

(5) राज्य सरकार ने केन्द्र से मद्य निषेध के फलस्वरूप सम्पूर्ण घाटे की पूर्ति हेतु लिखा था । परन्तु केन्द्र सरकार ने वर्ष

(आबकारी मंत्री)

77–78 की आय को आधार मानते हुए घाटे का 50 प्रतिशत वर्ष 78–79 से वर्ष 83–84 तक पूर्ति करना तय किया है।

(6) जी नहीं।

मांडक बांध योजना

122. श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मांडक बांध योजना की क्या प्रगति है तथा इसे बागोलिया टैंक (तालाब) मावली, जिला उदयपुर से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

(2) क्या उक्त योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) मांडक बांध योजना के दो विकल्पों (आल्टरनेटिव) का सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है। प्रथम विकल्प के अनुसार मांडक जलाशय के पानी का उपयोग बनास नदी के बाईं ओर नामाना बांध के नीचे वाले असिंचित क्षेत्र के लिए नहर बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 8000 एकड़ है जिसमें से उपरोक्त नहर द्वारा लगभग 1650 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकेगी।

दूसरा विकल्प मांडक बांध से फीडर चैनल निकाल कर बागोलिया बांध में डालने तथा उसकी नहर के री-मोडलिंग से सम्बन्धित है।

उपरोक्त दोनों विकल्पों का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है तथा तुलनात्मक नक्शे एवं विवरण तैयार करके तकमीना व रिपोर्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है।

(2) जी हां।

उपरोक्त दोनों विकल्पों में से जो योजना अधिक उपयुक्त होगी उस पर क्रियान्वित करने के लिए विचार किया जायेगा।

महाविद्यालयों का स्थायी एफिलियेशन

123. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय से किन-किन महाविद्यालयों का स्थायी एफिलियेशन अभी तक नहीं हो पाया है ? एफिलियशन नहीं हो पाने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या जहां-जहां स्थायी एफिलियेशन हो जाता है वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अलग से लाइब्रेरी ब्लाक खोलना आवश्यक हो जाता है ? यदि हां, तो बाड़मेर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अलग से लाइब्रेरी ब्लाक खोलने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय से जिन महाविद्यालयों का स्थायी एफिलियेशन अभी तक नहीं हो पाया है इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके स्थायी एफिलियेशन

(320)

(शिक्षा मंत्री)

न होने का कारण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पूर्ण न होना है।

(2) जी नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची

अस्थाई सम्बंधता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची

(1) **राजकीय महाविद्यालय**

1. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़।
2. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़।
3. राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़।
4. राजकीय महाविद्यालय, करौली।
5. राजकीय महाविद्यालय, नागौर।
6. राजकीय, महाविद्यालय, सिरोही।
7. राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल।
8. राजकीय महाविद्यालय, बारां।
9. राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर।
10. राजकीय महाविद्यालय, जालौर।
11. मोतीलाल बैगानी राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं।
12. सी०एम०बी० राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा।
13. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।
14. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
15. एस०बी०डी० राजकीय महाविद्यालय, सरदार शहर।
16. जी०एम०एस० राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़।
17. राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर।
18. गौरीदेवी कन्या महाविद्यालय, अलवर।
19. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा।
20. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर।
21. जे०डी०बी० कन्या महाविद्यालय, कोटा।
22. राजकीय महाविद्यालय, बान्दीकुई।
23. राजकीय महाविद्यालय, बहरोड।
24. राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा)।
25. राजकीय महाविद्यालय, डीग।
26. राजकीय नेहरू महाविद्यालय, देवली।
27. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी।
28. राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी।
29. राजकीय महाविद्यालय, केकडी।
30. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा।
31. राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड।
32. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़।

(2) **अराजकीय महाविद्यालय**

1. विजयसिंह पथिक श्रमजीवी सांध्य महाविद्यालय, अजमेर।
2. आदर्श डिग्री महाविद्यालय, अजमेर।
3. इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन, अडायता।
4. श्रीमती गोमती देवी महाविद्यालय, बड़ागांव।
5. श्री नेहरू शारदा पीठ, बीकानेर।
6. श्री पन्ना महाविद्यालय, विजयगढ़।
7. बिड़ला महाविद्यालय, भवानीमंडी।
8. सेठ जी०आर०चमडिया महाविद्यालय, फतेहपुर।
9. नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़।
10. अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर।
11. एस०एस० जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर।
12. लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर।
13. कनोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर।

(शिक्षा मंत्री)

14. श्री संत सांई महिला महाविद्यालय, जयपुर।
15. वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर।
16. हितकारी कोप्रेटिस श्रमजीवी सांध्य महाविद्यालय, कोटा।
17. जवाहर विद्यापीठ, कानोड़।
18. भगवानदास महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ।
19. जैन तेरापंथी महाविद्यालय, रामावास।
20. एम०के० साबू वाणिज्य महाविद्यालय, पिलानी।
21. श्री के० एस० कन्या महाविद्यालय, सीकर।
22. महात्मा गांधी सांध्य महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
23. सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ।
24 मोहता महाविद्यालय, सादुलपुर।

कुशलगढ़ क्षेत्र में सिचाई हेतु मास्टर प्लान

124. **श्री जीथिंग भाई** (कुशलगढ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कुशलगढ क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो कब से और मास्टर प्लान के अन्तर्गत कौन-किन तालाबों को सम्मिलित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ में कलिजरा तालाब की सर्वे बहुत पुरानी है जिसकी गत वर्ष तकनीकी स्वीकृति दी गई है और डी. पी. ए. पी. में फाइनेंस स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? यदि हां, तो प्रशासनिक एवं फाइनेंस स्वीकृति क्यों नहीं की गई? क्या ट्रायबल सब-प्लान में उक्त तालाब को बनाने का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं। मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है, परन्तु इस क्षेत्र में ट्राइबल सब-प्लान व डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत सिंचाई कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 1979-80 में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कुशलगढ तहसील में 5 कार्य क्रमश:—

1. सारन पटेल का नाका
2. खानपाडा
3. गोयाका प्रसाद
4. नागदा
5. कालिजरा

प्रस्तावित हैं।

ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत भकरिय सिंचाई योजना का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं।

कालिन्जरा योजना की तकनिकी स्वीकृति नहीं दी गई है। योजना वर्ष 1979-80 में डी. पी ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है, लेकिन स्वीकृति कमेटी ने इसकी अनुमानित लागत अधिक होने के कारण इस कार्यक्रम में स्वीकृति नहीं दी है। वर्तमान में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत यह योजना प्रस्तावित नहीं है अगले वर्ष में धन राशि उपलब्ध होने पर ही इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

कुन्ड्याखाल की योजना की स्वीकृति

125. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कस्वा काछोला, राजगढ़ पंचायत तथा आसपास के कई गांवों में सिंचाई का साधन भी नहीं है और कुओं में भी जल बहुत गहरा है ?

(2) यदि हां, तो क्या यहां की जमीन को सिंचित करने के लिये कुन्ड्याखाल की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां तो यह योजना कब प्रारम्भ होगी ?

(3) क्या भयंकर अकाल का नजारा देखने के बाद जांह-जहां भी छोटे-छोटे बांध या एनीकट बनाये जा सकते हैं उन पर पूरी शक्ति लगाई जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यहां कोई सिंचाई का तालाब नहीं है कुओं के जलस्तर सामान्यतः गहरा है।

(2) कुन्ड्याखाल परियोजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। लाभ लागत अनुपात ठीक होने पर योजना पर विचार किया जायेगा।

(3) जी हां।